हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 2015

खण्ड-1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 10 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के बारे में शिक्षा मंत्री द्वारा की गई कतिपय अप्रतिष्ठाजनक टिप्पणियों से संबंध में मामला उठाना।	(2) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 3
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 32
स्थगन प्रस्तावों / ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2) 68
वॉक-आऊट	(2) 71
विभिन्न मामले उठाना	(2) 73
वैयक्तिक स्पीष्टकरण–	
श्री कृष्ण लाल पंवार द्वारा	(2) 74
विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भण)	(2) 74

मूल्य :

584

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा में फैल रही स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलने के कारण लोगों में भारी रोष तथा दहशत से संबंधित (2)77

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी (2)79

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष द्वारा–

(i) सभापतियों के नामों की सूची (2)86

(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना (2)87

(ख) सचिव द्वारा–

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी (2)87

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना (2)88

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र (2)94

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (2)99

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री कुलदीप शर्मा द्वारा (2)107

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण) (2)107

बैठक का समय बढ़ाना (2)114

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण) (2)114

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 10 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू के बारे में शिक्षा मंत्री द्वारा की गई कतिपय अप्रतिष्ठाजनक टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से प्रश्न पूछें, मैं आपके ध्यान में हमारी पार्टी द्वारा शिक्षा मंत्री के सम्बंध में लिया गया फैसला लाना चाहता हूं। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कि इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उनके द्वारा कुछ समय पहले रोहतक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक पण्डित जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि ये भूल रहे हैं कि ये आज के दिन जिन कुर्सियों पर बैठे हैं और जिन महलों में रहते हैं यह सब सौभाग्य इनको पण्डित जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं के बलिदान से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है जब तक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस बारे में इस सदन के सामने क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हम यहां पर उनका बॉयकाट जारी रखेंगे और हम इनको सदन में काम नहीं करने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, अभी क्योंकि प्रश्न काल चल रहा है इसलिए अब आप बैठ जाइये और जब प्रश्न काल के बाद ज़ीरो ऑवर शुरू होगा तब आप इस विषय को उठा लेना मैं आपको समय दूंगा। अब आप कृपा करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय शिक्षा मंत्री क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हम उनका इस सदन में बॉयकाट जारी रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि यह रोहतक विश्वविद्यालय की घटना है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हरियाणवी भाषा का अपना एक लहज़ा है उस समय मैंने हरियाणवी लहज़े में पण्डित लखमी चंद की लोकप्रियता के सम्बंध में वह बात कही थी। बाकायदा मैंने उसी समय पत्रकार मित्रों के सामने और

[श्री रामबिलास शर्मा]

छायाकार मित्रों के सामने भी यह बात स्पष्ट कर दी थी। इस विषय को यहां पर उठाया गया है इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि वे ही लोग इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं जिनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने उस समय भी पत्रकार और छायाकार मित्रों के सामने इस बात के लिए खेद प्रकट कर दिया था इसलिए मैं आज भी इस महान सदन के सामने खेद प्रकट करता हूं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके प्रति हमारे दिल में पूरी श्रद्धा है उनका हम दिल से बहुत मान-सम्मान करते हैं। मेरा जो आशय था वह पण्डित लखमी चंद जी की लोकप्रियता के बारे में था क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। मैंने उस समय पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी के देहांत के समय की एक घटना का जिक्र किया था। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी देश के लोकप्रिय नेता थे वे लोगों के दिलों में बसते थे जब पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी का देहांत हुआ था उस समय चार-पांच लोग रोहतक से दिल्ली जा रही बस में सफर कर रहे थे तभी उन्हें किसी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी का निधन हो गया है इस बात पर उनमें से एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि जब पण्डित लखमी चंद जी जैसे इस संसार को छोड़कर चले गये तो बेचारे पण्डित जवाहर नेहरू जी को कहां रहना था। फिर भी अगर मेरे ऐसा कहने से और पण्डित लखमी चंद जी की लोकप्रियता से श्री कुलदीप शर्मा जी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं श्री कुलदीप शर्मा जी से इस बारे में खेद प्रकट करता हूं। मैं एक बार फिर यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समय मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है और हम उनका पूरा मान-सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से पंडित लखमीचन्द जी की लोकप्रियता के बारे में भी पूरा हरियाणा जानता है। उसी सन्दर्भ में मैंने यह बात कही थी अगर फिर भी श्री कुलदीप शर्मा जी उससे आहत हुये हैं तो मुझे इनसे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारा बड़ा भाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी को मुझसे नहीं पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए। He should feel sorry to the House and not to me. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह रोहतक में पूरे विश्वविद्यालय के सामने की बात है। मैंने पंडित लखमीचन्द की लोकप्रियता के बारे में यह बात कही थी। अगर उससे इनको कोई तकलीफ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके बारे में इस तरह के शब्द ठीक नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप बैठिये, शून्यकाल में आप अपनी बात कह सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के प्रति मेरे मन में पूरा मान-सम्मान व पूरी श्रद्धा है । फिर भी अगर कुछ साथी इसको अन्यथा लेते हैं तो यह ठीक नहीं है। मैंने उस समय भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया था और श्री कुलदीप शर्मा जी से मैं आज भी क्षमा याचना करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मुझसे नहीं पूरे देश से क्षमा याचना करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, माननीय मंत्री जी ने उसी दिन इस बात पर खेद प्रकट कर दिया था। अब आप इस बात को उठा कर प्रश्नकाल का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इसको शून्यकाल में उठा लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को दोबारा क्यों उठायेंगे। जब हमने कह दिया है कि अगर मंत्री जी पूरे सदन के सामने क्षमा याचना नहीं करते हैं तो हम इनका बायकॉट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये शब्दों पर अड़े हुये हैं मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इस समय कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास मुद्दे भी बहुत हैं और हम उनको उठायेंगे भी लेकिन फिलहाल माननीय मंत्री जी सदन से माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप प्रश्नकाल का समय बर्बाद न करें। श्री कर्ण सिंह दलाल जी आप अपना प्रश्न पूछिये। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of YMCA University Building

***1. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Techinical Education Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the building of YMCA University is being constructed at Village Dhatir, Teh. Palwal ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed together with the cost thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

(क) नहीं, सर,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये तो ऐसे न थे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है तथा मैंने प्रश्न किया है कि गांव धतीर, तहसील पलवल में वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय बन रहा

[श्री करण सिंह दलाल]

है जिसका पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने शिलान्यास किया था। गांव के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ गांव की जमीन तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर करवा दी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि जब वहाँ पर शिलान्यास हो चुका है, जमीन भी विभाग को मिल चुकी है तो उस तमाम प्रक्रिया पर माननीय मंत्री जी क्या विचार रखते हैं ?

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री करण दलाल ने वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। वाई .एम.सी. ए. कॉलेज फरीदाबाद में वर्षों से चला आ रहा है। यह मैं मानता हूं कि धतीर पलवल विधान सभा का एक बहुत बड़ा गांव है। वर्ष 1996 में करण सिंह दलाल और मैं इक्ट्ठे सरकार में थे तब मैंने इनके आग्रह पर वहां जे.बी.टी. सैंटर खोला था। बाद में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अपने शासनकाल में फरीदाबाद सचिवालय में इसका उद्घाटन किया था। यह जो वाई.एम.सी.ए.विश्वविद्यालय है वहां से धतीर गांव की दूरी 45 किलोमीटर है और प्रशासन ने अच्छी तरह से इसका आकलन किया। वाई.एम.सी.ए. का जो प्रशासनिक ब्लॉक है वह फरीदाबाद में ऑलरेडी 20 एकड़ जमीन में चल रहा है। धतीर गांव में भी 33 एकड़ जमीन पंचायत ने मुहैया करवाई थी। हम करण सिंह दलाल को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का विस्तार करेंगे पर 45 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए हमने यही उचित समझा है कि यहां वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का जो 20 एकड़ का परिसर जो इस समय है उसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर उस वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का विस्तार करेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा और यह पूछना भी चाहूंगा कि उन्होंने यह स्वयं माना है कि फरीदाबाद में जो वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय चला हुआ है वह 20 एकड़ का एरिया है और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जर्मन सरकार ने ऐसे चार विश्वविद्यालय या इन्जीनियरिंग कॉलेज देश में मंजूर किए थे जिसमें एक हरियाणा में फरीदाबाद में बनाया गया था। उस समय इनके महकमें ने खुद ही ये इच्छा जाहिर की थी क्योंकि इसका जो कैम्पस है वह छोटा पड़ता है तो किसी गांव में जो फरीदाबाद से ज्यादा दूर न पड़ता हो, उसमें बना दिया जाए। जो धतीर गांव है वह सोहना पलवल रोड़ पर पड़ता है और फरीदाबाद से भी एक सीधा रास्ता धतीर गांव को जाता है तो जो महकमें की मांग थी उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। बाकायदा उसका शिलान्यास हुआ और डिपार्टमैंट ने इसको मंजूरी दी। महकमे ने इसके लिए पैसे का बन्दोबस्त भी किया। आज मंत्री जी कहीं राजनैतिक आधार पर तो धतीर जैसे इतने बड़े ऐतिहासिक गांव को इस सुविधा से वंचित करने नहीं जा रहे हैं ?

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से श्री करण दलाल विधायक हैं उससे हमारा भी उतना ही लगाव है। ये जो प्रशासनिक मंजूरी की बात कर रहे हैं, तो तत्कालीन सरकार के समय में तीन गांवों में जमीन उपलब्ध कराने की बात की थी। दुधोला गांव जो वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय से 20 किलोमीटर दूर है, बहरोला गांव वर्तमान में वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और फुलवाड़ी गांव है जिसमें जमीन उपलब्ध कराने की बात आई थी वह 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का जो ओरीजनल अमला

है उन सबकी भी यही इच्छा थी कि इस विश्वविद्यालय का विस्तार धतीर गांव में हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो शिलान्यास किया था वह धतीर गांव में नहीं किया था बल्कि जिला प्रशासनिक सचिवालय में एक बटन दबाकर एक रस्म अदा की गई थी। हमें इन योजनाओं पर काम करना है और हम वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का विस्तार करेंगे हम मानते हैं कि चुनाव को देखते हुए बहुत सी बातें होती हैं। करण सिंह दलाल जी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार इनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और वह खुद भी यह मानते हैं कि इसका विस्तार करना है और इतने बड़े गांव में जो पलवल जिले का तथा पूरे हरियाणा का माना हुआ गांव है। वहां के लोगों ने एक उम्मीद के साथ वह जमीन सरकार को मुहैया करवाई है जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं तो फिर धतीर में ही इस वाई.एम.सी.ए. विश्वविद्यालय का विस्तार करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोई आपत्ति नहीं है गांव धतीर में स्वयं मैंने अपने हाथों से श्री करण सिंह दलाल को साथ लेकर जे.बी.टी. ओ.टी. का सैंटर खोला था। सरकार के आग्रह के बाद भी यह जमीन 33 वर्ष से ज्यादा लीज पर देने के लिये धतीर गांव की पंचायत तैयार नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किसी भी यूनिवर्सिटी का विस्तार करने के लिए कम से कम 70-80 साल की लीज का प्रावधान होता है। माननीय करण सिंह दलाल आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता न करें वहां पर कोई और बड़ा काम कर दिया जायेगा।

Construction of PHC

***27. Sh. Jagbir Singh Malik :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct PHC or Sub Centre at village Moi (Majri) in Gohana Constituency; if so, the status thereof together with the time by which the work is likely to be started thereon ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं,श्रीमान जी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि गोहाना निर्वाचन क्षेत्र में गांव मोई (माजरी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले मंजूर हो चुका है, लेकिन राजनैतिक कारणों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी तक नहीं बनाया गया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह सरकार राजनैतिक कारणों से कोई भी काम नहीं करती है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि गोहाना निर्वाचन क्षेत्र में गांव मोई (माजरी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से चल रहा है। प्राईवेट बिल्डिंग में ओ.पी.डी. अच्छी तरह से चल रही है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगभग आठ हजार की ओ.पी.डी. है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जितने स्टॉफ की

[श्री अनिल विज]

जरुरत होती है, उसमें से एक सफाई कर्मचारी को छोड़कर बाकी सारा स्टॉफ वहाँ पर उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी अनुभवी हैं और मेरे साथ भी काम करने का अनुभव है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य अपना प्रश्न ठीक ढंग से नहीं पूछ पाये हैं। माननीय सदस्य के कहने की मंशा यह है कि इसे प्राईवेट बिल्डिंग से हटाकर क्या सरकारी बिल्डिंग बनाई जायेगी ? अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बाकायदा वहां की पंचायत के द्वारा रैजोल्यूशन पास करके जमीन देने की बात कही गई थी। अध्यक्ष महोदय, हमने पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से जांच करवाई लेकिन जमीन के बीचों बीच एक नाला गुजरने के कारण पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने इस जमीन को रिजैक्ट कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार पंचायत को कहा गया है कि आप कोई अल्टरनेट जमीन मुहैया करवायें, हम जरुर इस बात को कंसीडर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार राजनैतिक कारणों से किसी भी विकास कार्य को नहीं रोकेगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहता हूँ कि माजरी गांव व मोई गांव दोनों अलग-अलग है। मोई गांव के साथ दूसरे गांव भी साथ लगते हैं। मोई गांव में आबादी ज्यादा है, शायद माननीय मंत्री जी इस गांव का ज्ञान न होने के कारण, मेरे इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ नहीं सके हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत का रैजोल्यूशन आ जायेगा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने गोहाना निर्वाचन क्षेत्र के मोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का जो आश्वासन दिया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के साथ-साथ मेरा भी धन्यवाद करना चाहिए।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे गन्नौर निर्वाचन क्षेत्र के आहुलाना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई थी, लेकिन वह सब सैन्टर में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आहुलाना गाँव की पंचायत ने जमीन भी उपलब्ध करवा दी थी लेकिन अभी तक उसके भवन का निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहुलाना का क्या स्टेटस है ? (शोर एवं व्यवधान) Please do not interrupt let the minister reply. If he wants a separate question we will see to it. Please don't interrupt. Hon'ble Speaker Sir, I want to know from the Hon'ble Minister whether the Health Department is going to construct this PHC in village Ahulana or not ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजों को देखकर बहुत हैरानी होती है। माननीय सदस्य हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस गांव में भी 5 हजार की पोपूलेशन होती है वहां हम सब सैंटर खोलते हैं। जिस गांव में 30 हजार की पापुलेशन होती है और वहां की पंचायत 2 एकड़ जमीन देती है और बिल्डिंग बनाकर देती है वहां पर हम पी.एच.सी. खोलते हैं और जहां पर 80 हजार से लेकर 1 लाख 20 हजार तक की पापुलेशन होती है वहां पर हम सी.एच.सी. खोलते हैं। सर, ये हमारे नॉर्मस हैं। हमने यह तय किया है कि हम घोषणाओं पर

पी.एच.सीज. वगैरह नहीं खोलेंगे और राज्यपाल महोदय ने कल यहां जो अभिभाषण दिया उसमें भी उन्होंने सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया है कि हम 10 नये जी.एच., 12 सी.एच.सी. और 12 पी.एच.सी. खोलेंगे। हमें यह देखना है और हम ऐसी मैपिंग करवाएंगे कि जहां पर पी.एच.सी./ सी.एच.सी. नहीं हैं हम पहले वहां खोलेंगे और जिस गांव की जनसंख्या 30 हजार होगी, वहां पर हम पी.एच.सी. खोलना चाहते हैं। लेकिन हम मैपिंग करवाएंगे। अगर किसी ने अपने राजनैतिक प्रभाव से घोषणा करवा ली है उसके आधार पर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें 21 जिलों में काम करना है, 90 विधानसभाओं में काम करना है, 6500 गांवों में काम करना है। हम किसी जिले विशेष की, किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष की सरकार नहीं है। यह सारे प्रदेश की सरकार हैं। इसलिए सारे प्रदेश में जहां कहीं जरूरत होगी हम वहां पर खोलेंगे।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंटरी को माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाए। मैं यह कह रहा हूं कि पी.एच.सी.चल रही है। गांव ने जमीन दे दी है। कोई घोषणा वगैरह नहीं की जानी है। क्या उस पर कंस्ट्रक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ? यह मेरा प्रश्न था। घोषणा से संबंधित कुछ नहीं था। कोई बात नहीं थी। यह प्रश्न भाषण देने के लिए नहीं है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया है। मेरा जितना जवाब था वह मैंने दे दिया है। मेरा जवाब इन पर भी लाइक करता है।

To set up Industrial Area in Jind

***41. Shri Hari Chand Middha :** Will the Industries & Commerce Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Jind has lagged behind in Industry;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an Industrial area in Jind; and

(b) whether any new Industrial Policy has been framed by the Government?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, इस संबंध में सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

अध्यक्ष महोदय, हालांकि जींद-हांसी सड़क मार्ग पर लगभग 25 एकड़ भूमि पर जींद में एक लघु औद्योगिक सम्पदा तथा नरवाना में लगभग 108 एकड़ भूमि पर एक औद्योगिक सम्पदा पहले से विकसित है, सरकार की मंशा इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का और अधिक विस्तार करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पड़ने वाले क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक हब के अलावा सरकार का आगे प्रयास होगा कि जींद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, महेन्द्रगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र

[कैप्टन अभिमन्यु]

जैसे क्षेत्रों की तरफ भी उद्योग स्थापित हों। इसके अतिरिक्त सरकार नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के समाधान एवं अन्य कई मुद्दों पर विभिन्न स्टैकहोल्डर के साथ विचार विमर्श कर इसे पहले ही तैयार करने की प्रक्रिया में है।

श्री हरिचंद मित्ठा : अध्यक्ष जी, मेरे इलाके में आज तक विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ परेशानियां हो रही हैं। अब मैंने वहां पर फैक्ट्री के लिए लिखा है। यहां पर एक इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए कि जिससे इस इलाके के बेरोजगार भटक रहे नौजवानों को नौकरी मिल जाए इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बारे में कुछ न कुछ कदम अवश्य उठाए जाएं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की भावना से सरकार अवगत है और हमारी सरकार ने कल राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से स्पष्ट संकेत दिया है कि हरियाणा प्रदेश में जो असमान विकास हुआ है उन असमानताओं को दूर करते हुए जिन क्षेत्रों में असंतुलन है विशेष रूप से औद्योगिक विस्तार के कारण से उसको दूर करना हमारा संकल्प है और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस वक्त निर्माण की प्रक्रिया में है और इसमें इस प्रकार के पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन देकर उनको बढ़ाया जा सकता है। सरकार इसके लिए प्रयास करेगी।

श्री हरिचंद मित्ठा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितने समय के अंदर यह काम हो जाएगा?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, जो क्षेत्रीय असंतुलन लम्बे समय से चला आ रहा है उसको एक समय-सीमा के अन्दर हम दूर करके समान विकास करेंगे। यह चुनाव का मौसम और चुनाव के वायदों का वातावरण नहीं है। निश्चित तौर पर हमको इस बात की चिंता है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन विशेष रूप से जींद जो शैक्षणिक तौर पर भी पिछड़ा है, आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र में भी पिछड़ा है हालांकि आपकी जानकारी के लिए जींद क्षेत्र में जो पहले से ही इंडस्ट्रियल एस्टेट है चाहे वह नरवाना में है या जींद में है उसमें अभी भी लगभग आधे प्लॉट खाली हैं उन प्लॉट्स में भी औद्योगिक इकाई लगाने का प्रयास करेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी ने जीन्द और जुलाना इलाके के विकास के लिए एक इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 1991 में कांग्रेस की सरकार चुने जाने के बाद उस इलाके को लगातार यह आश्वासन दिया गया कि यह इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर बनाया जायेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर बनाया जायेगा जिसको बनाने का सपना चौधरी देवीलाल जी ने इस इलाके के विकास के लिए देखा था ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय सदस्यों को, दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार केवल सपने दिखाने का काम नहीं करेगी बल्कि सपनों के क्रियान्वयन का काम कर रही है। इण्डस्ट्रियल एस्टेट जीन्द में आज तक लगभग 78 के करीब प्लॉट ऐसे हैं जिनका आबंटन किया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं जितने भी औद्योगिक प्लॉट हैं तो उनको जल्द से जल्द चालू करवाया जायेगा और हमारी सरकार प्रगति के आधार पर काम करेगी।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर इस इलाके को दिया गया था क्या वह वाकई इस इलाके को दिया जायेगा या नहीं? यह इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर जो भारत सरकार द्वारा इस इलाके के लिए मन्जूर किया गया था क्या इस इलाके को यह सैंटर पुनः दिया जायेगा क्योंकि इस इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर को पहले बरवाला, (पंचकूला) में ले जाया गया और उसके बाद साहा के इलाके में ले जाया गया। उसके बाद इस इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर को बावल में लगाया गया जहां पर लाखों बच्चों को रोजगार मिला है और उस इलाके के लिए काफी पैसा आया। हमारे इलाके के साथ अन्याय किया गया। क्या यह इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर जीन्द के इलाके में पुनः बनाया जायेगा ताकि जननायक चौधरी देवीलाल जी का सपना पूरा हो सके ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर को खोलने के बारे में मुझे जानकारी दी है कि चौधरी देवीलाल जी ने जीन्द के इलाके के लिए इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर खोलने के लिए कभी सपना दिखाया था। उसके बारे में आज तक कहीं पर भी ऐसी बात रिकार्ड में नहीं आई है कि इस इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर को बनाने की प्रक्रिया कभी शुरू की गई थी। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति में इस बारे में जरूर प्रावधान करेंगे कि जो प्रदेश के पिछड़े इलाके हैं उनके लिए कोई योजना बनाकर उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके और हम निश्चित रूप से जीन्द जिले के पिछड़ेपन को दूर करेंगे। वर्तमान में नरवाना और जीन्द में जो इण्डस्ट्रियल एस्टेट हैं वहां पर हम उद्योग लगवाने के प्रयास तेजी से करने वाले हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वर्ष 1991 में चौधरी देवीलाल जी ने जो उस समय देश के उप प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक प्रोजैक्ट हरियाणा राज्य को दिया था। उसके बाद प्रदेश में दूसरी सरकार बन गई और उस प्रोजैक्ट को बनने से रोक दिया गया। मंत्री जी इसके बारे में अपने विभाग के अधिकारियों से पता करवायें कि उस प्रोजैक्ट की आज के दिन क्या स्थिति है ? उस प्रोजैक्ट को अधिकारियों ने कहीं डस्टबीन में तो नहीं डाल रखा है। इसके बारे में मंत्री जी केन्द्र की सरकार को भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखकर पता करवायें कि यह प्रोजैक्ट क्यों बन्द कर दिया गया था और ठण्डे बस्ते में क्यों डाल दिया गया था ? मंत्री जी उस प्रोजैक्ट को दोबारा से शुरू करवा सकते हैं इससे प्रदेश को बहुत फायदा हो सकता है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने चौधरी देवीलाल जी द्वारा वर्ष 1991 में जो घोषणा की थी उसके बारे में हमें स्मरण कराया है और इन्होंने स्वयं सदन में यह कहा है कि उस प्रोजैक्ट को कहीं न कहीं ठण्डे बस्ते में या कूड़ेदान में डाल दिया गया है। पिछले 23 वर्षों में इन्हीं की विचारधारा की सरकार रही हैं जो पांच वर्षों से ज्यादा चली हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रदेश के महान नेताओं ने जो सपना इस प्रदेश के लिए देखा था उसको हम निश्चित रूप से साकार करेंगे। उसे हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे तथा उसको साकार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जींद क्षेत्र के पिछड़ेपन को निश्चित तौर पर दूर करेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में उद्योग नीति की बात हो रही है तथा वर्तमान सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है कि पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास किया जायेगा। दिल्ली व गुड़गाँव के साथ सटा हुआ मेवात बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मेवात में इंडस्ट्रीज का इतना स्कोप है कि इसको एक तरफ से जयपुर हाईवे टच करता है, दूसरी तरफ से आगरा हाईवे टच करता है। उद्योगों का विकास करने का सरकार ने प्रावधान किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक मेवात जिले में आई.एम.टी. के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेवात जिले में आई.एम.टी. व इंडस्ट्रियल एरिया को कब तक विकसित किया जायेगा ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेवात जिले के पिछड़ेपन का हवाला देते हुए आई.एम.टी. की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार को बने अभी केवल 4 महीने का ही समय हुआ है फिर भी हमारी सरकार मेवात क्षेत्र में आई.एम.टी. को जीवंत करने के लिए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करने तथा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है तथा उद्योग नीति के अंतर्गत भी हम मानते हैं कि मेवात जिले को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए मेवात जिले के नौजवानों को रोजगार के साधन जुटाने के लिए, मेवात की आर्थिक उन्नति के लिए यह आई.एम.टी. जरूरी है, इसके लिए सरकार विशेष रूप से प्रयास करेगी।

Re-construction of the Roads

***56. Shri Lalit Nagar :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from village Karoli to Chandpur and Karoli to Faijpur in Tigaon Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be reconstructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी,

(ख) वर्तमान में समय सीमा नहीं दी जा सकती।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर यदि सड़क की स्थिति देखी जाये तो उस पर चलना भी मुश्किल है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कम से कम समय-सीमा तो तय कर दें कि इस सड़क की कब तक मरम्मत करवा देंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो सड़कों का जिक्र किया है। एक करोली से चांदपुर तथा दूसरी करोली से फेजपुर। इनके टैंडर हुए थे। करोली से चांदपुर सड़क 2001 में बनी थी जिसको 14 साल बने हुए हो गये हैं लेकिन उस सड़क की आज तक रिपेयर नहीं हुई। इस बीच 10 साल तक इनकी कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही। पूर्व में 6/2000 व 2/2014 में भी इन सड़कों की मरम्मत के लिए टैंडर कॉल किये गये थे जिसके लिए केवल एक टैंडर ही मिला, इसलिए उसको खोला नहीं गया। दोबारा फिर टैंडर कॉल किये गये जो 8.6.2014 को खोले गये तथा पाया गया कि वह टैंडर 35 प्रतिशत् से ऊपर का था जबकि टैंडर 21 प्रतिशत् से ऊपर ही दे सकते थे। इसलिए टैंडर नहीं दिया गया। इसके लिए दोबारा प्रक्रिया करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि इन सड़कों की हालत खराब है। मैं सदन को व माननीय साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले वित्त वर्ष में इन सड़कों की रिपेयर अवश्य करवा देंगे।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सड़कों की रिपेयर की कोई समय सीमा तय की जाये। इसके अलावा मैं एक और सप्लीमैंटरी पूछना चाहूंगा कि अलीपुर तिलोरी जसाना से तिगॉव रोड का भी बहुत बुरा हाल है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सड़क पर भी ध्यान दिया जाये।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन में सड़कों के रखरखाव की बात चल रही है लेकिन मैं मानता हूं कि सड़कों के रखरखाव में हरियाणा प्रदेश का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। मेरे हल्के रतिया में गाँवों से गाँवों को मिलाने वाली लगभग सारी सड़कों का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। मेरे हल्के में एक सड़क रतनगढ़ से पिलसियाँ 16 कि.मी. लम्बी व केवल 8-9 फुट चौड़ी है जो पंजाब राज्य में एक धार्मिक स्थल तलवंडी साबो से जाकर मिलती है। इस धार्मिक स्थल में हमारे क्षेत्र के लोगों की बड़ी आस्था है। जब वे वहां पर जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इस सड़क के आसपास घास उगा हुआ है, जिस पर बहुत एक्सीडैंट होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सड़कों को चौड़ा करने बारे विचार करेगी।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार को बने हुए 130 दिन हुए हैं। पिछली सरकारों के समय में जितनी सड़कें टूटी हैं और सड़कों पर जितने गड्ढे हुए हैं उनको भरने का हमारी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। हमारी सरकार 26 अक्टूबर को बनी थी इसलिए बताना चाहूंगा कि जब टैम्परेचर 15 डिग्री से कम हो उस समय रोड़ी और तारकोल के मिक्सचर से सड़कें नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ऐसी सड़कें चल नहीं पाती। जब टैम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर हो जाएगा उस समय हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कों को बनाने का काम किया जाएगा और पुरानी सरकारों के कार्यकाल में जो गड्ढे खोदे गए थे उनको भरने का हम प्रयत्न करेंगे।

श्री ओम प्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, जब बात टूटी फूटी सड़कों की चली है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लोहारू हल्के में मेरे विचार से कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर ठीक ढंग से चला जा सके। टूटी हुई सड़कों की वजह से किसानों को अपनी फसलों को ले जाने-लाने में और मरीजों को ले आने और ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माननीय भूपेन्द्र सिंह

[श्री ओम प्रकाश बरवा]

हुड्डा जी ने सिवानी से लेकर संधानी तक सड़क की आधारशिला आज से 7 साल पहले रखी थी परंतु वह सड़क आज भी कम्पलीट नहीं हुई है। उस सड़क का जो पत्थर रखा गया था वह केवल सिवानी की शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारे लोहारू में सिवानी से कलोत और बिगनाउ से बारावास तथा और भी बहुत सी सड़कें टूटी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सभी टूटी फूटी सड़कों की जल्दी से जल्दी मरम्मत करवाई जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को सहूलियत हो सके। इन समस्त टूटी हुई सड़कों की सूची संबंधित मंत्री को दे दी गई है।

Change of Land Use

***64. Shri Balwant Singh Sadhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state the districtwise details of the names of persons to whom the change of land use (CLU) has been given by the Government from the year 2000 to 2014 ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, वर्ष 2000 से 2014 तक दी गई भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति के जिलावार ब्यौरे *अनुबन्ध पर रखे गए हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि जानकारी सदन के पटल पर रखी है लेकिन यह जानकारी सदन के पटल पर नहीं रखी गई है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, इस प्रश्न का जवाब 164 पेज का है इसलिए इसके जवाब की सी.डी. दी गई है। कुछ सी.डीज. लाइब्रेरी में रखवा दी गई हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप सी.डी. दे रहे हैं तो कृपया लैपटॉप भी लगवाएं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रिटन जवाब दिया है और उन्होंने हां में जवाब दिया है और कहा है कि सदन के पटल पर जानकारी रख दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आप सदन के पटल को चैक करवाएं क्योंकि यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक सी.डी. का सवाल है तो ठीक है कि आपने सी.डी. दे दी लेकिन सी.डी. देखने के लिए या तो आप लैपटॉप लगवाएं या फिर इस प्रकार की सी.डी. हमारे पास पहले भिजवाएं ताकि हम घर पर इसको देख कर आएं वरना तो सप्लीमैंटरी का कोई फायदा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आपके लीडर के पास हमने इस प्रश्न के जवाब की हार्ड कापी भिजवा दी है और विपक्ष के नेता के पास भी हार्ड कापी भिजवा दी गई है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बलवंत सिंह साढौरा जी ने जो प्रश्न लगाया है यह बहुत अहम प्रश्न है। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2014 तक कितनी सी.एल.यू. दी गई और कितनी

---

*उपरोक्त प्रश्न का जवाब जो कि अनुबन्ध में है, लम्बा होने के कारण लाईब्रेरी में रखवाया गया।

जमीनें छोड़ी गई और कितनी एक्वायर की गई इसको लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी लिखकर दिया है और इस असैम्बली में भी पिछले 10 सालों से लगातार इन इशूज को हम उठाते आ रहे हैं लेकिन सत्ता में ऐसे लोग थे जो जवाब देने की बजाय विपक्ष के लोगों को नेम करके बाहर कर देने का काम कर देते थे। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते कि यह कह दिया जाए कि हमने इस प्रश्न के जवाब की सी.डी. रख दी है बल्कि इसका पूरा विवरण बाकायदा तौर पर आना चाहिए। मंत्री जी की तरफ से इस प्रश्न का पूर्ण जवाब आना चाहिए ताकि पूरे सदन को इस बात का पता चले कि कहां-कहां सी.एल.यू. देने में गड़बड़ियां हुई हैं और किस-किस को सी.एल.यू. दिए गये थे।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों को संबंधित प्रश्न के उत्तर की प्रति सी.डी. के माध्यम से दी गई है लेकिन लैपटॉप या कम्प्यूटर की सुविधा न होने के कारण जो असुविधा माननीय सदस्यों को हुई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह की असुविधा न हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जिन लोगों को यह सब कुछ पता था और जो ये सारे निर्णय कर रहे थे जिनको एक-एक इंच की जानकारी है आज वे लोग भी सदन के माध्यम से जानकारी लेने की रूचि रख रहे हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथी इसलिए अब इसमें रूचि ले रहे हैं कि कहीं इस लिस्ट में उनका नाम तो नहीं है ? (हंसी)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है माननीय सदस्यों का कुछ हिसाब-किताब रह गया हो जिसको ये अपना हक मानते हैं। प्रश्न काल की समय सीमा का सीमित समय है इसलिए प्रश्न काल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय में सदन के समक्ष इस प्रश्न से संबंधित जानकारी रखना चाहूंगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सदन के समक्ष इस सवाल की पूरी डिटेल अभी नहीं है इसलिए इस सवाल को आगे के लिए डैफर कर दिया जाये। एक-दो दिन बाद जब डिटेल्ड रिप्लाई लिखित में आ जाए तो इस पर डिस्कशन कर ली जाये।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य द्वारा यह सवाल पूछा गया है उनका अभी सप्लीमैंटरी आना बाकी है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ माननीय सदस्य इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं जो इसमें सहभागी थे। उस समय सी.एल.यू. को लेकर जो गड़बड़ी हुई हैं उनका हम एक-एक इंच और पाई-पाई का हिसाब देने के लिए तत्पर हैं। जो पिछली सरकार हिम्मत नहीं कर पाई हमारी सरकार आते ही हमने श्वेत पत्र जारी करके कुछ महत्वपूर्ण प्वायंट्स के बारे में प्रदेश की जनता को हकीकत से रूबरू करवाया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 से 31.12.2014 तक हरियाणा प्रदेश में टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 3192 सी.एल.यू. मंजूर किए गए जिसमें 11386.79 एकड़ जमीन का रकबा शामिल है। माननीय नेता प्रति पक्ष ने पिछले 10 वर्ष में कितनी जमीन छोड़ी गई उसका जिक्र किया है। हमने श्वेत पत्र जारी किया है। जिसमें हमने प्रदेश की जनता को जानकारी देने की कोशिश की है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के दौरान किस प्रकार से आर्थिक नीतियों का संचालन हुआ और प्रशासनिक मशीनरी ने किस प्रकार

[कैप्टन अभिमन्यु]
से काम किया। लोकतंत्र में और जनप्रतिनिधि के बीच गहरा संबंध होता है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम यहां उपस्थित हैं। हमने श्वेत पत्र जारी करके सारी जानकारी प्रदेश की जनता को देने का काम किया है ताकि आम जन की अभिरुचि बने कि पिछली सरकार किस प्रकार से आर्थिक नीतियों को प्रबन्धन करती आई है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने दस साल के दौरान 4500 एकड़ ऐसी भूमि रिलीज कर दी जिसको एक्वायर करके मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी गई थी। उससे पहले 500 एकड़ भूमि (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं बल्कि भाषण दे रहे हैं जैसे इनकी पानीपत की रैली चल रही हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, माननीय सदस्य का सवाल है उसी से संबंधित मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जवाब दे रहा हूं और विपक्ष के साथी इसको भाषण कह रहे हैं। इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगे तो समझ में आता है लेकिन दिन के उजाले से भी डर लगे तो जरूर दाल में कुछ काला है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, अभी एक माननीय सदस्य द्वारा किसी विषय में मेरा नाम लिया गया है मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि इस बार तो उन्होंने मेरा नाम लेकर जो कुछ भी कह दिया वह ठीक है लेकिन अगली बार ऐसा जरा सोच समझकर बोलें।

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, इन कुलदीप शर्मा जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन ये तो सिलैक्टिव मैमोरी लॉस का शिकार हो रहे हैं। इस सदन में जब उनकी मर्यादाओं का पालन करने की बारी आती है तो ये इसे भूल जाते हैं। वे इस सदन के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे हैं उस समय इनकी जिम्मेदारी सदन की मर्यादाओं के पालन करने की और दूसरों से करवाने की रही थी। इन्होंने उस समय सदन की मर्यादाओं का पालन करवाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि उस समय इनके इस सदन का अध्यक्ष होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये यहां इस सदन में किस प्रकार की मर्यादा सिखाई जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप कृपा करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यहां पर सदन में सभ्यता की बात की जा रही है लेकिन उसके साथ ही साथ इस सदन में एक सदस्य को एक पूर्व स्पीकर द्वारा धमकाया जा रहा है। यह गलत बात है कि अगर मेरा नाम लिया तो यह हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं माननीय पूर्व स्पीकर महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह Right to Freedom है। उन्होंने किस आधार पर इस सदन के एक सम्मानित सदस्य को धमकाया। कुलदीप शर्मा जी इस सदन के एक माननीय सदस्य

को धमका रहे हैं कि अगर दूसरी बार उनका नाम लिया तो देख लेंगे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि में क्या कर लेंगे ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे इस सदन में एक सदस्य को कैसे धमका सकते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : सर, मेरी जिस बात को माननीय मंत्री जी धमकी बता रहे हैं उसमें धमकी जैसा कुछ नहीं है और न ही मेरी ऐसी मंशा है। (शोर एवं व्यवधान) मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि वे मंत्री पद के नशे में न रहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप कृपा करके बैठ जाईये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं श्री कुलदीप शर्मा जी को कहना चाहता हूं कि वे भी अब बेहोश न रहें। वे एक नये मैम्बर को धमका रहे हैं कि मेरा नाम दूसरी बार ऐसे मत लेना। क्या ऐसा कहना धमकी नहीं है ? ऐसा कहकर माननीय सदस्य को धमकाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप कृपा करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) कृपा करके सभी माननीय सदस्य भी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री अनिल विज जी को यह कहना चाहूंगा कि वे मंत्री पद के नशे में न रहें। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : सर, ये "नशा" शब्द को सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैंने मंत्री पद के नशे की बात कही है और अगर इन्होंने किसी और नशे की बात सुनी है तो वह बात अलग है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब श्री कुलदीप शर्मा इस महान सदन के स्पीकर थे उस समय इन्होंने मुझे "थ्रैट" किया था। उस समय मैंने इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्खास्त दी थी जिस पर न तो विधान सभा स्पीकर द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और न ही पुलिस स्टेशन द्वारा ही कोई कार्रवाई की गई है। यह अभी तक पैंडिंग है। मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि आप इस बारे में आवश्यक इंक्वायरी करवाईये।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री पंवार जी ने जो इनको मेरे द्वारा थ्रैट करने के बारे में मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ करवाई है आप उसकी इंक्वायरी करवाईये। चण्डीगढ़ पुलिस को भी आप इस सदन की तरफ से कार्यवाही करने का निर्देश ज़रूर भिजवाईये ताकि उससे इनको शांति मिले।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, जब आपने इस सैशन से पहले हम सभी विधायकों के लिए हरियाणा निवास में एक दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन करवाया था तो हमने उस समय यह सोचा था कि इस बार सदन की कार्यवाही बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी और हम जैसे नये सदस्यों को बहुत-कुछ सीखने को मिलेगा। माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी और श्री करण सिंह दलाल जी के उद्बोधन उस सत्र में रखे गये थे लेकिन आज यहां पर जिस तरह का माहौल कांग्रेस

[डॉ. पवन सैनी]

पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा क्रियेट किया जा रहा है उसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ है हमें इनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। इनके व्यवहार को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके ऊपर आपके द्वारा करवाये गये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का कोई असर नहीं पड़ा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जब माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछा था कि वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक सरकार द्वारा कितनी जमीन रिलीज की गई है तो उन्होंने सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि लगभग 4646 एकड़ जमीन रिलीज की गई है लेकिन हमने बाकायदा सरकार से और विभाग से आर.टी.आई. के तहत यह जानकारी जुटाई है कि पिछली सरकार ने कितनी जमीन रिलीज की है ? हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक 16 हजार 4 एकड़ जमीन रिलीज की गई है। इस मामले में विभाग के अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है। इन सब बातों का जिक्र हमने जो चार्जशीट शुरू में सरकार को दी थी उसमें भी किया गया है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यह स्टेटमैंट दिलवाई गई है कि 4646 एकड़ जमीन रिलीज की गई है जबकि असलियत में 16 हजार 4 एकड़ जमीन रिलीज की गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन आंकड़ों की दोबारा से जांच कराई जाये तथा असली आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत किये जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के भाषण देकर अभय सिंह जी सदन का प्रश्नकाल का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले दिनों नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। उसमें विशेष तौर पर जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे यह कहा गया था कि आप नव-निर्वाचित सदस्यों को समझायें कि हाउस में आपका रवैया कैसा होना चाहिए, हाउस को किस तरह से चलाना है तथा हाउस की मर्यादा का ख्याल रखना है। परन्तु हमारे वरिष्ठ साथी श्री कुलदीप शर्मा जी स्वयं यह भूल गये कि वे इस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाते थे। उन्होंने आज फिर एक सम्मानित सदस्य को यह कह दिया कि आज तो मेरे बारे में यह बात कह दी लेकिन दोबारा से यह बात कही तो मैं देख लूंगा। वे किसी सदस्य को इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को इस तरह की बात कह देते हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं यह मैं आपकी कमजोरी मानता हूँ। यह बड़ी शर्म की बात है। इनको माननीय सदस्य से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने एक सदस्य का अपमान किया है और आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अभय चौटाला जी की बात को तो समझ सकता हूँ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को खुश रखना चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री कुलदीप शर्मा से निवेदन करूँगा कि वे पहले भी इस महान आसन पर आसीन रहे हैं। उस समय भी उनका आचरण

सभी ने देखा है लेकिन बार-बार ये प्रश्नकाल के भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, इस विषय के बारे में उन्होंने हमसे अपेक्षा की है। इस विषय की सत्यता सदन के समक्ष आनी चाहिए। हम निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हैं। अगर आंकड़ों में कोई अलग प्रकार के तथ्य आये हैं तो मैं पूरी जानकारी के साथ नये आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

Construction of Nullah for Pouring the Water in the Pond

***65. Smt. Santosh Yadav :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a nullah for pouring water in the pond of village Rambas from the canal in Ateli constituency; and

(b) if so, the time by which the above said work is likely to be completed ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) आगामी वित्त वर्ष में कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती संतोष यादव जी ने गांव रामबास के तालाब में नहरी पानी डालने के लिए एक नाले के निर्माण के लिए प्रश्न पूछा है। इस बारे में मेरा कहना है कि इस नाले का निर्माण मेरा विभाग करवा रहा है। इस कार्य के लिए 6 लाख रूपये की राशि दी जा चुकी है। कुछ और आंशिक राशि देकर अगले वित्त वर्ष में हम इस नाले का निर्माण कार्य पूरा करवा देंगे।

श्रीमती सन्तोष यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बात को माना लेकिन मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि इसकी वायबिलिटी कौन सी डिस्ट्रीब्यूट्री से की जाएगी ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, रशूलपुर नहर पुल से बस अड्डे के पास जो जोहड़ है उसकी दूरी 1700 मीटर है उसी की पाईप लाईन के लिए यह सारी योजना बनी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब तक इस पाईप लाईन का निर्माण नहीं होगा तब तक कच्चे नाले के माध्यम से इस जोहड़ को भरा जायेगा। हालांकि पाईप लाईन की योजना बन गई है और वह डलना शुरू हो गया है। बाकी कच्चे नाले के माध्यम से भी जोहड़ को भरा जा सकता है, जैसे पहले भी सिंचाई विभाग गर्मी के दिनों में कच्चे नाले के माध्यम से जोहड़ को भरता रहा है। आपने जो सवाल पूछा है मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल ही हमारे सिंचाई विभाग ने यह मंशा जाहिर की है कि इन दिनों में जहां बारिश होने के कारण यहां कुछ कठिनाईयां हुई हैं वहीं नहरों का पानी सरप्लस हो गया है। अभी कल ही मीटिंग में सिंचाई विभाग और पंचायती

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

राज विभाग की यह मंशा जाहिर हुई है कि हम इन दिनों में भी सारे जोहड़ों को भरने के लिए पानी दे सकते हैं।

श्रीमती सन्तोष यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने पूरी वायबिलिटी की बात बताई कि इस पाईप लाईन को कहां से कहां तक ले जाया जायेगा । लेकिन साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से हमारे जोहड़ नहीं भरे गये। जबकि हमारे जोहड़ सारे भरने चाहिएं। मेरे हल्के के गांव गोमला पड़तल, ढाणा, रामबास, कपूरी, मानपुरा, नांगल, करीरा, भड़क, उच्चक, कोका, कैमला, कांटी, नाथदी, रामपुरा, बिहाली, गुज्जरवास, खेड़ी, तोबड़ा, गनियार, चंदपुरा, सुज्जापुर, हसनपुर, सलीमपुर और बोधड़िया गांव में नहर से गांव तक या तो पाईप लाईन डाली नहीं गई है या फिर वह टूटी हुई है, इसलिए उक्त गांवों के जोहड़ों को भरने का भी उचित प्रबंध किया जाये।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो एक व्यापक सवाल पूछा है उसके लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, हमारे सिंचाई विभाग की मीटिंग हुई है उसमें हमने इस योजना पर विचार किया है। हरियाणा में काफी बड़ी संख्या में जोहड़ हैं। जिन दिनों में हमारे पास सरप्लस पानी होता है उसका उपयोग इन जोहड़ों को भरने के लिए किया जा सकता है। हमारी एक लाख एकड़ जमीन है और एक लाख एकड़ फुट हमारे पास नहरी पानी है। एक लाख एकड़ फुट हम जमीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल करते हैं। 60 लाख एकड़ फुट पानी रिचार्ज होता है और 40 लाख एकड़ फुट पानी का गैप रह जाता है और जिसके कारण हरियाणा का बहुत बड़ा इलाका डार्कजोन बनता जा रहा है। हम एक करोड़ एकड़ फुट जमीन के नीचे के पानी का यूज करते हैं और एक करोड़ एकड़ फुट नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वर्षा भी 36 सैंटी मीटर होती है तो एक करोड़ 20 लाख एकड़ फुट पानी हमारे पास वर्षा का आता है। उसमें से 60 लाख एकड़ फुट पानी ही रिचार्ज होता है और 40 लाख एकड़ फुट पानी का गैप होने की वजह से बहुत बड़ा इलाका डार्कजोन होता जा रहा है। हमारे जो गांव के जोहड़ हैं जो पहले पशुओं के पीने के पानी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते थे। जब से पानी घरों में सप्लाई होने लगा है तो जोहड़ उस प्रकार से जीवंत नहीं रहे हैं और जोहड़ और तालाब एक तरह से डैड होते जा रहे हैं। इन जोहड़ों को गहरे करके फिर से जीवंत करते हुए पानी रिचार्जिंग के लिए और उनके आस-पास के 100 एकड़ 200 एकड़ जैसी जितनी भी जिस जोहड़ की क्षमता होगी उसके हिसाब से कैसे हम इसको सिंचाई के लिए उपयोग कर सकें इस रास्ते पर सरकार की जाने की मंशा है। यह मैं सदन को बताना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि छायसा डिस्ट्रीब्यूट्री है जिससे फरीदाबाद - पलवल जिले को पानी जाता है। 15 वर्ष हो गये हैं पानी की एक बूंद भी टेल तक नहीं पहुंची। हमें जो यमुना के बंटवारे का मिला था वह तो मिला नहीं लेकिन दिल्ली के गटर का सारा पानी हमारे फरीदाबाद - गुड़गांव में बहता है। जहां यमुना के पानी की बात थी वह तो मिला नहीं लेकिन जो सीवरेज का पानी है 15 साल से किसान को वह भी नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या किसानों ने कोई गुनाह किया है जहां 15 वर्षों से एक बूंद पानी नहीं गया है। उसको सरकारी एम.आई.टी.सी. से पक्का करवाया गया है लेकिन टेल पर एक बूंद पानी नहीं पहुंचाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस नदी में पानी कब तक पहुंचाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Repair of Distributaries

***91. Sh. Kehar Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for repair and lining of all the distributaries of Agra Canal in Haryana State; if so, the time by which above said works are likely to be done?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

Outstanding Arrears of Sugarcane

***69. Smt. Kiran Choudhary :** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the amount of sugarcane of the farmers is outstanding against the Co-operative Sugar Mills and Private Mills of the State; if so, the mills wise details thereof togetherwith the time by which outstanding amount is likely to be paid ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) गन्ने की शेष बकाया राशि की चीनी मिल-वार सूचना निम्न प्रकार है :-

(28.02.2015 की स्थिति)

क्र0 सं0	चीनी मिल का नाम	अदा की गई गन्ने की राशि	गन्ने की शेष बकाया राशि
1	2	3	4
(क)	**सहकारी क्षेत्र**		
1.	पानीपत सहकारी चीनी मिल, पानीपत	1614.30	3640.73
2.	हरियाणा सहकारी चीनी मिल, रोहतक	2900.81	5873.73
3.	करनाल सहकारी चीनी मिल, करनाल	2200.53	3899.85
4.	सोनीपत सहकारी चीनी मिल, सोनीपत	1889.13	2733.68
5.	शाहाबाद सहकारी चीनी मिल, शाहाबाद	9294.33	3713.87
6.	जीन्द सहकारी चीनी मिल, जीन्द	1095.24	3170.94

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

1	2	3	4
7.	पलवल सहकारी चीनी मिल, पलवल	1371.59	2456.16
8.	महम सहकारी चीनी मिल, महम	1460.00	4548.70
9.	कैथल सहकारी चीनी मिल, कैथल	2192.40	3968.48
10.	गोहाना सहकारी चीनी मिल, गोहाना	1294.02	4903.58
11.	हैफेड चीनी मिल, असंध	6310.11	503.74
	कुल	**31622.46**	**39413.46**
(ख)	**प्राइवेट क्षेत्र**		
12.	सरस्वती चीनी मिल लि0, यमुनानगर	16579.73	6603.86
13.	नारायणगढ़ चीनी मिल लि0, नारायणगढ़	3520.92	3877.78
14.	पिकाडली एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0, भादसों	4303.87	1715.99
	कुल	**24404.52**	**12197.63**
	कुल जोड़ (क+ख)	**56026.98**	**51611.09**

(ख) सरकार द्वारा राज्य में चीनी मिलों को सप्लाई किए गए गन्ने के मूल्य की किसानों को समय पर अदायगी हेतू हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

Criteria to Upgrade the Schools

***93. Sh. Parminder Singh Dhull :** Will the Education Minister be pleased to state the latest criteria set by the State Government to upgrade a village school from Primary to Middle, Middle to High, and High to Senior Secondary ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान् जी,

इससे संबंधित सूचना की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

The matter regarding revision of norms for up gradation of schools has been engaging the attention of the Govt. from past some time. Now it has been decided to revise the earlier norms for up gradation of schools issued vide Memo No. 14/41-2005 S.E. (3) dated 30.01.2006. The revised norms for up gradation of schools henceforth will be as under :—

I. Student Strength

Sr. No.	Stage of the School	Norms
1.	Primary to Middle	150 and atleast 25 students studying in class 5th for the last two years.
2.	Middle to High	150 (6th to 8th) and atleast 50 students studying in 8th class for the last two years (Board of School Education data)
3.	High to Sr. Secondary	150 in 9th and 10th class as per record of the School Education Board.

II. Land Area

Sr. No.	Stage of the School	Norms
1.	Primary to Middle	1 Acre.
2.	Middle to High	2 Acre.
3.	High to Sr. Secondary	2 Acre.

III. Building Norms (Part A)

Sr. No.	Stage of the School	Proposed Norms
1.	Primary to Middle	8 Rooms (With the condition of one room per section) for education purposes.
2.	Middle to High	10 Rooms (With the condition of one room per section) for education purposes.
3.	High to Sr. Secondary	12 Rooms (With the condition of one room per section) for education purposes.

(Part B) Other Necessary Requirements

(I) Primary to Middle Schools :—

1.	Distance from nearest Middle School	2 K.M.
2.	Playground	
3.	Ramp at plinth level	
4.	Toilet Facility	3 (Separate for boys, girls & staff)
5.	Drinking Water	
6.	Electricity Facility with CFL and Fans	
7.	Mid-day-Meal Store	1
8.	Laboratory Room (30' x 20')	1

[श्री राम बिलास शर्मा]

9.	Library Room (24' x 18')	1
10.	Head Master Room	1
11.	Computer Room (30' x 20')	1
12.	Dual Desk	for every Class & for every student
13.	Fire Safety Equipments/Measures.	
14.	The class rooms should have two doors, ventilator, two windows.	
15.	Water harvesting should be done in newly made school building.	

(II) Middle to High Schools :—

1.	Minimum distance from nearest High School	3 K.M. Local Distance 2 Km.
2.	Playground	
3.	Ramp at plinth level	
4.	Toilet Facility	3 (Separate for boys, girls & staff) One toilet each for boys and girls added with every increase of above 150 students.
5.	Drinking Water	1
6.	Mid-day-Meal Store	1
7.	Head Master Room	1
8.	Dual Desk	for every Class & for every student
9.	Electricity Facility with CFL and Fans	
10.	Fire Safety Equipments/Measures	
11.	Laboratory Room (30' x 20')	3 (Physics, Chemistry, Maths)
12.	Office Room	1
13.	Computer Room (30' x 20')	1
14.	Library Room (30' x 20')	1
15.	The class rooms should have two doors, ventilator, two windows.	
16.	Water harvesting should be done in newly made school building.	

(III) High to Sr. Secondary Schools :—

1.	Minimum distance from nearest Sr. Sec. School	5 K.M.
2.	Playground	

3.	Ramp at plinth level	
4.	Toilet Facility	3 (Separate for boys, girls & staff) One toilet each for boys and girls added with every increase of above 150 students.
5.	Drinking Water	1
6.	Mid-day-Meal Store	1
7.	Principal Room	1
8.	Office Room	1
9.	Computer Room (30' x 20')	1
10.	Dual Desk	for every Class & for every student
11.	Electricity Facility with CFL and Fans	
12.	Fire Safety Equipments/Measures	
13.	Laboratory Room (30' x 20')	3 for Arts Stream Schools (Physics, Chemistry, Maths) 4 for Science Stream Schools (Physics, Chemistry, Maths, Biology)
14.	Library Room (30' x 20')	1
15.	Chokidar Shed	1
16.	Indoor Games Hall	1
17.	Medical Attendant Room	1
18.	Co-curricular Activity Room	1
19.	The class rooms should have two doors, ventilator, & two windows.	
20.	Water harvesting should be done in newly made school building.	

In addition to it, the newly upgraded schools should provide :—

1. The school building having more than one storey should provide one ramp and one staircase of at least 6' width.
2. Each section should not have more than 50 students.
3. The new school buildings should be Designed/Constructed keeping in view the safety measures of earth quake, fire and hygienic.
4. Before finally upgrading a school a letter of intent is to be issued to the Panchayat Municipal Committee/NAC where the school is located informing that the Government intends to upgrade the school. In case the school lacks certain norms these may be got completed after

[श्री शभ बिलास शर्मा]

which the deployment of teachers and admission of the students will take place.

The Problem of Water Logging

***104. Sh. Balwan Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the problem 'Sem' (water logging) in the areas of about 30 villages including Banamdori, Khabra Kalan and Khabra Khurd in tehsil Fatehabad; if so, the steps taken by the Government to slove the problem of water logging ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

तहसील फतेहाबाद में बनमंदोरी, खाबड़ा कलां तथा खाबड़ा खुर्द सहित लगभग 30 गांवों के क्षेत्रों में सेम की समस्या के बारे में सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं :-

1. सरकार फतेहाबाद तहसील के कुछ गांवों विशेषकर बनमंदोरी, खाबड़ा कलां और खाबड़ा खुर्द में जल भराव/जल संचय की समस्या के लिए जागरूक है।

2. विभाग द्वारा अगस्त 2013 के बाद पानी की निकासी के लिए 10.00 क्यूसिक डिस्चार्ज की नाली बनाने का निर्णय लिया गया तो दुर्भाग्यवश भूमालिकों के विरोध के कारण गांव खाबड़ा कलां और खाबड़ा खुर्द में जमा पानी नहीं निकाला जा सका। तत्पश्चात् 511.37 लाख रुपये की लागत की 10.00 क्यूसिक डिस्चार्ज की एक ड्रेन के प्रस्ताव को हरियाणा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग में 8.01.2014 को स्वीकृत किया गया जिसमें 437 लाख रुपये की 14.58 एकड़ भूमि अधिग्रहण भी शामिल है। संरेखण (Alignment) को सुनिश्चित करने के लिए सर्वे का कार्य अभी प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण इसके पूरा होने के समय के बारे में नहीं बताया जा सकता।

3. कृषि विभाग द्वारा 2012 में 1.85 करोड़ रुपये की लागत से बनमंदोरी गांव में 277 हैक्टेयर क्षेत्र में एक उप-स्तेही निकासी प्रणाली लगाई गई।

4. गांव बड़ोपल और इसके आसपास के क्षेत्र में सेम की समस्या के व्यावहारिक निवारण के लिए विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने की योजना है।

To connect Gurgaon to Faridabad with Metro

***109. Smt. Seema Trikha :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect Gurgaon to Faridabad with metro train; if so, the time by which these cities are likely to be connected ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां श्रीमान् जी। राज्य सरकार ने फरीदाबाद और गुड़गांव शहरों को मेट्रो से जोड़ने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामला उठाया है। कुतुब मीनार और बदरपुर स्टेशनों के बीच मेट्रो के लिए प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है जिसका दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में 2021 तक निर्माण होने की संभावना है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह अनुरोध किया है कि इस लिंक का निर्माण 2018 तक किया जाए और कुतुबमीनार और बदरपुर स्टेशनों के बीच एक लिंक प्रदान किया जाए जो कि सुरजकुंड से शुरू होकर उत्तरी फरीदाबाद के रिहायशी क्षेत्रों से गुजरता हुआ दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो मार्ग पर उपयुक्त मेट्रो स्टेशन से जुड़ जाए। इस लिंक की फिजीबिल्टी स्टडी करवानी पड़ेगी और एलाइनमैंट का अनुमोदन होने के बाद यह कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटिड द्वारा किया जाएगा। इसलिए इस स्तर पर निश्चित समय सीमा बताना मुश्किल है।

Rehabilitation of Slum Dwellers

***124. Sh. Gian Chand Gupta** : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether it is a fact that Haryana Urban Development Authority has collected the amount of Rs. 2500/- and Rs. 5800/- per person respectively for the rehabilitation of the residents of Rajiv Colony and Indira Colony, Sector 17, Panchkula during the year 1997 and 2008;

(b) if so, the reasons for not rehabilitating of any poor family so far of the aforesaid colonies so far; and

(c) whether there is any scheme of Haryana Urban Development Authority in regard to the rehabilitation of poor families residing in the slums i.e. Rajiv Colony and Indira Colony under the policy as referred to in part (a) above or under any other policy ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) व (ख)

हां, श्रीमान्। वर्ष 1995-1996 के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा राजीव बस्ती व इन्दिरा बस्ती के ऐसे 377 निवासियों जिन्होंने हुडा की भूमि पर अवैध कब्जे किए हुए थे, उनसे राशि रुपये 2500/- प्रति परिवार से, एक मरला के प्लाट के नियतन हेतु एकत्रित किए गए थे। इनमें से 306 परिवारों को लाटरी के माध्यम से नियतन पत्र जारी किए गए थे, परन्तु उन्होंने यह दबाव बनाते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि उन्हें 2 मरले के प्लाटों का नियतन किया जाए। वर्ष

[श्री मनोहर लाल]

1997 में यह निर्णय लिया गया कि अवैध तौर पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास किया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है तथा उनसे कब्जे छुड़वाए जाने आवश्यक हैं। अन्ततः वर्ष 2010 में यह योजना वापिस ले ली गई।

वर्ष 2010 में राजीव बस्ती व इन्दिरा बस्ती के 875 झुग्गी वासियों से रुपये 9600/- (प्रत्येक सामान्य श्रेणी के परिवारों से) रुपये 8000/- (प्रत्येक अनुसूचित/पिछड़ी श्रेणी के परिवारों से) पेशगी के तौर पर आशियाना योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के नियतन हेतु राशि एकत्रित की गई। अब तक जे.एन.एन.यू.आर.एम./आशियाना योजना के अन्तर्गत मातू राम बस्ती, रमेश बस्ती (झरगर के निकट), अम्बेडकर/मलखान बस्ती, सैक्टर 12-ए, पंचकूला, राम लखन बस्ती, औद्योगिक फेज-1, बाबू राम बस्ती, सैक्टर 20 व 21 व आजाद बस्ती, सैक्टर 3 व 21, पंचकूला के झुग्गी वासियों को 1952 फ्लैटों का नियतन वर्ष 2011-12 में किया जा चुका है। राजीव बस्ती व इन्दिरा बस्ती के चिन्हित परिवारों को आशियाना योजना फेज-II में पुनर्वासित करने के लिए हुडा द्वारा गांव बुढ़नपुर व सैक्टर 20 में जगह निर्धारित की गई है।

(ग) पंचकूला को मलिन बस्ती रहित करने के लिए हुडा भूमि पर काबिज चिन्हित मलिन परिवार को आशियाना योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में पुनर्वासित करने की योजना है।

Details of Crime Against Women

***112. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of crimes committed against women in the State during the period from 26.10.2014 to till date together with the action taken by the State Government against the accused in each case ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

श्रीमान् जी! वांछित सूचना पटल पर रखी जाती है।

सूचना

क्र0	अपराध की श्रेणी	हरियाणा में पंजीकृत हुए अभियोगों की संख्या 26.10.2014 से 28.02.2015 तक							
		पंजीकृत	निरस्त	अदम-पता	विवेचना-धीन	न्यायालय में दिए गए अभियोग	सजा	बरी	विचारा-धीन न्यायालय
1.	दहेज हत्या (304 बी भा.द.स.)	79	3	0	35	41	0	5	36
2.	बलात्कार (376 भा.द.स.)	330	32	2	140	156	5	17	134

3.	भगाना एवं भगाकर ले जाना (363/366/376 भा.द.स.)	54	2	0	20	32	0	1	31
4 क.	छेड़छाड़ (354 भा.द.स.)	271	37	1	95	138	1	9	128
ख.	यौन उत्पीड़न (354-ए भा.द.स.)	169	26	2	55	86	0	5	81
ग.	पोशाक उतारना (354-बी भा.द.स.)	66	10	0	20	36	0	2	34
घ.	छिपकर देखना (354-सी भा.द.स.)	7	0	0	4	3	0	0	3
ड.	पीछा करना (354-डी भा.द.स.)	93	10	0	38	45	0	1	44
5.	महिलाओं व लड़कियों का अपहरण (363/365/366 भा.द.स.)	621	198	14	332	77	0	2	75
6.	दहेज उत्पीड़न (498-ए भा.द.स.)	1024	180	21	666	157	0	3	154
7.	तेजाब द्वारा हमला (326-ए, 326-बी भा.द.स.)	1	0	0	0	1	0	0	1
	कुल योग	**2715**	**498**	**40**	**1405**	**772**	**6**	**45**	**721**

महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर्ज होने पर सभी मुकदमों की सही ढंग से सक्षम अधिकारियों द्वारा विवेचना की जाती है। उपरोक्त 2715 दर्ज मुकदमों में से 772 मामलों को न्यायालय में दिया गया है, 1405 मामले अनुसंधानाधीन हैं। 6 मामलों में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, 45 मामलों में अभियुक्त बरी हो चुके हैं, 721 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, 40 मामलों में अभियुक्तों का कोई सुराग नहीं चला तथा 498 अपराधिक मामले असत्य पाए जाने पर निरस्त किए गए।

Sand Mining in Manauli

***153. Shri Jai Tirath Dahiya :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that contract of sand mining has been given in village Manauli of Rai constituency; if so, whether it was ascertained as to how much land is fertile and how much land is barren before giving the mining contract ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

जी हां, श्रीमान्। सोनीपत इकाई-।।। के भाग के रूप में मनौली गांव में रेत खनन का ठेका दिनांक 26.12.2013 को हुई खुली नीलामी के द्वारा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप दिया गया है क्योंकि सभी खनिज पदार्थ राज्य सरकार में निहित हैं, अत: खनन के ठेके का दिया जाना भूमि की स्थिति पर आधारित नहीं है।

Budget for Firni of Village Diwana

***119. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allocate Budget/Funds for construction of firni of village Diwana in Panipat (Rural) constituency; if so, the time by which the work of aforesaid firni is likely to be executed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, फिरनी का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। कुछ जगह पर मरम्मत की आवश्यकता है जिसे अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा।

Sewerage System in Narwana

***151. Shri Pirthi Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay the Sewerage in ward No. 1 and 2, Gandhi Nagar, Chamela Colony, Hisar Road, Azad Nagar and New Basti across the railway line of Narwana City; and

(b) if so, the time by which the abovesaid work of sewerage is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) श्रीमान् जी, नरवाना शहर के वार्ड नं0 1 तथा 2, गांधी नगर, चमोल कालोनी, हिसार रोड, आजाद नगर तथा रेलवे लाईन के पार नई बस्ती में सीवर लाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) यह कार्य 30.06.2015 तक पूरा करने की संभावना है।

Strength of Official/Officers Working in Mewat Development Agency

***133. Shri Naseem Ahmed :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the details of the strength of officials/ officers working in the Mewat Development Agency ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

श्रीमान् जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैंट

मेवात विकास अभिकरण, नूंह में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) मेवात विकास अभिकरण, नूंह में कुल 31 पद स्वीकृत हैं, इन 31 पदों में से 18 पद भरे हुये हैं तथा 13 पद खाली हैं।

(ख) 03 अधिकारी अनुबंध आधार पर एम.डी.ए. सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत अभिकरण में लगाये गये हैं।

(ग) 04 कर्मचारी डी.सी. रेट पर आकस्मिक खर्चे के विरुद्ध अभिकरण में लगाये गये हैं।

परिचय

वर्ष 1980 में हरियाणा सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ मेवात क्षेत्र के विशेष पिछड़े वर्ग को सामाजिक आर्थिक न्याय देने के उद्देश्य से मेवात विकास बोर्ड का गठन किया। उसी के साथ-साथ वर्ष 1980 में ही मेवात विकास अभिकरण, नूंह का गठन मेवात विकास बोर्ड की गतिविधियों को मेवात क्षेत्र में क्रियान्वित करने हेतु किया गया था। अभिकरण के गठन से लेकर अब तक अभिकरण ने मेवात क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए बहुसंख्यीय लाभप्रद योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
1.	उपायुक्त, मेवात	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.डी.ए.	भा0प्र0से0
2.	श्री प्रवीन शर्मा	लेखाकार	नियमित
3.	श्री अजीत सिंह	उप अधीक्षक	अनुबंध
4.	श्री राजीव गुप्ता	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	तदर्थ
5.	श्री कुलभूषण	कनिष्ठ आशुलिपिक	नियमित
6.	श्री लाहौर हुसैन	सांख्यकीय सहायक	अनुबंध
7.	श्रीमती कृष्णा देवी	आशुलिपिक	नियमित

[कैप्टन अभिमन्यु]

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
8.	श्री निसार अहमद	आशुलिपिक	अनुबंध
9.	श्री एम.सी. सेठी	लिपिक	नियमित
10.	श्री राज सिहं	लिपिक	नियमित
11.	श्रीमती आशा रानी	लिपिक	नियमित
12.	श्री मो0 हारून	लिपिक	अनुबंध
13.	श्री प्रवीन कुमार	चालक	अनुबंध
14.	श्री मान बहादुर	सेवादार	नियमित
15.	श्री कुमार गौरव	सेवादार	अनुबंध
16.	श्री रविन्द्र बलवान	सेवादार	अनुबंध
17.	श्रीमती बेदी	सेवादार	नियमित
18.	श्री कयूम खान	चौकीदार	तदर्थ

03 अधिकारी एम.डी.ए. सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत आबंटन के विरूद्ध कार्यरत है।

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
1.	श्री आर.के. श्रीवास्तव	परियोजना प्रबन्धक	अनुबंध
2.	श्री अजीत सिंह रावत	क्षेत्राधिकारी	अनुबंध
3.	श्री रामपाल शर्मा	सुपरवाईजर (कृषि एवं बागवानी)	अनुबंध

04 कर्मचारी एम.डी.ए. आकस्मिक खर्चों के आबंटन के विरूद्ध कार्यरत है।

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
1.	श्री मोहन सिंह	सेवादार	अनुबंध
2.	श्रीमति विनोदी देवी	सफाई कर्मी	अनुबंध
3.	श्रीमति बिमला देवी	आधा समय सफाई कर्मी	अनुबंध
4.	श्री रहमान	चालक	आउटसोर्सड स्टाफ (बाहरी संस्था द्वारा नियुक्त)

Drinking Water Supply

***162. Shri Zakir Hussain :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is no drinking water supply in Nuh town, 200 villages of Distt. Mewat and SHK Government Medical College, Nalhar (Mewat); and

(b) if so, the steps being taken by the Government to provide drinking water to the above areas of Mewat District together with the time by which it is likely to be provided ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त जवाब के मध्यनजर लागू नहीं होता।

Tourist Place at Agroha

***166. Shri Anoop Dhanak :** Will the Tourism Minister be pleased to state whether it is a fact that there are many places of religious and historical importance in Agroha; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Agroha as tourist place; if so, the time by which it is likely to be developed ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम‌बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान् जी, यह तथ्य सही है कि अग्रोहा में कई महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। वर्तमान में, अग्रोहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Job to the Local Persons

***218. Shri Tek Chand Sharma :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any policy of the Government that the Jobs will be provided to the local persons where the industries will be set up; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, इस सम्बन्ध में सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम द्वारा राज्य में औद्योगिक प्लॉट आबंटन किए हैं उनमें सम्पदा प्रबन्धन प्रक्रिया के खंड 3.7 (जी) के अनुसार हरियाणा अधिवासियों के लिए रोजगार में वरीयता देने का प्रावधान है। जो भी औद्योगिक प्लाट/शैड के लिए आवेदन करता है उसे इस संदर्भ में शपथपत्र देना पड़ता है :-

[कैप्टन अभिमन्यु]

आवेदक अपनी प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में जहां तक सम्भव हो सके अकुशल कर्मियों को 75 प्रतिशत रोजगार और अन्य श्रेणियों के लिए हरियाणा के अधिवासियों को अपनी प्रस्तावित इकाई में वरीयता देगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

IAS Officer Gone Abroad

1. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the name of the IAS officers who have gone abroad for official purpose/training during the last five years till date together with the amount spent by the State on such visits; and

(b) the details of any report of such training submitted to the State together with the rules of Government with regard such training ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : इस सूचना को एकत्रित करने के लिए जो प्रयास अपेक्षित हैं, वे इससे मिलने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होंगे।

Milk Procurement Centres

26. Sh. Jagbir Singh Malik : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the total number of Milk procurement centres of Haryana Government under various Milk plants; togetherwith the monthly procurement of milk at each centre

(b) the number of private Milk plants in the State and their monthly procurements; and

(c) the rate of milk procurement in Government milk plants from January 2014 to 31st January, 2015 as per fat percentage togetherwith the Rate of private Milk plants ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी,

(क) एच.डी.डी.सी.एफ. के दुग्ध संकलन केन्द्रों की कुल संख्या 98 है। मासिक संकलन संलग्न है।

(ख) राज्य में 35 निजी दुग्ध संयंत्र हैं जिनकी प्रमाणित क्षमता 39.52 लाख लिटर प्रतिदिन है। इन दुग्ध संयंत्रों का मासिक दुग्ध संकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) एच.डी.डी.सी.एफ. के दुग्ध संयंत्रों की दुग्ध संकलन दरें संलग्न है। निजी दुग्ध संयंत्रों की दुग्ध संकलन दरें उपलब्ध नहीं हैं।

हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रसंघ (एच.डी.डी.सी.एफ.) एक शिखर संस्था है जिसके अधीन छः दुग्ध संघ आते हैं जोकि हरियाणा सहकारी समितियां एक्ट, 1984 के तहत स्वतन्त्र पंजीकृत इकाईयां हैं।

अतारांकित प्रश्न का बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार है :-

(क) **हरियाणा सरकार के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संयंत्रों के दुग्ध संकलन केन्द्रों की कुल संख्या, प्रत्येक केन्द्र पर मासिक दुग्ध संकलन के साथ ?**

दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्रवार दुग्ध संकलन केन्द्र निम्न प्रकार से है :-

1.	दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र अम्बाला	-	16 केन्द्र
2.	दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र रोहतक	-	5 केन्द्र
3.	दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र बल्लभगढ़	-	7 केन्द्र
4.	दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र जींद	-	14 केन्द्र
5.	दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र कुरुक्षेत्र	-	23 केन्द्र
6.	दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र सिरसा	-	33 केन्द्र
	कुल योग	-	**98 केन्द्र**

दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्रवार दुग्ध संकलन केन्द्र एवं उनका मासिक दुग्ध संकलन "क" "ख" "ग" "घ" "ङ," "च" पर क्रमशः दुग्ध संघ अम्बाला, रोहतक, बल्लभगढ़, जींद, कुरुक्षेत्र एवं सिरसा के लिये अनुसंलग्न है।

(ग) **जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक फैट प्रतिशत के अनुसार सरकारी दुग्ध संयंत्रों में दुग्ध खरीद की दरें, निजी दुग्ध संयंत्रों की दरों के साथ।**

जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक सभी छः दुग्ध/दुग्ध संयंत्रों की फैट प्रतिशत के अनुसार दूध खरीद की दरें "जी", "एच", "आई", "जे", "के", "एल" पर क्रमशः दुग्ध संघ अम्बाला, रोहतक, बल्लभगढ़, जींद, कुरुक्षेत्र एवं सिरसा के लिये अनुसंलग्न है।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

अनुलग्नक

हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रसंघ, पंचकूला

मासिक दूध संकलन (किलोग्राम)

क्र.	यूनिट का नाम	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014	मई, 2014	जून, 2014	जुलाई, 2014	अगस्त, 2014	सितम्बर, 2014	अक्तूबर, 2014	नवम्बर, 2014	दिसम्बर, 2014	जनवरी, 2015
क.	दुग्ध संघ, अम्बाला													
	दुग्ध शीतकरण केन्द्र													
1.	अम्बाला डॉक	369348	328980	426775	337390	349405	287601	248061	242648	273878	295716	353254	448947	499599
2.	नारायणगढ़	449670	406530	567450	471830	331470	256210	236300	231260	274650	292480	315770	344480	378928
3.	बिलासपुर	358611	300605	416101	350886	288757	246360	249204	260127	278538	242601	264442	342556	376811
	ब्लड मिल्क कूलर (बी एम सी)													
1.	बडौला	54765	55094	64109	52817	44379	35663	30253	33833	38083	41788	49148	57968	62863
2.	डुलिचन्द	74216	57687	79660	59915	42901	30275	29636	33287	38006	37487	43707	59704	70019
3.	जनसुई	158185	142518	160175	144768	107960	77407	68477	74370	92209	88883	110923	144794	145873
4.	घसियाला	134700	120430	146361	130101	101759	76934	70252	73921	88422	90671	110130	140187	153613
5.	प्रेमनगर	110390	88889	108353	94928	79213	63434	57190	60669	70259	75759	96151	118533	123206
6.	अधोया	108207	97535	114211	98901	77996	64036	60958	62517	64869	72072	78844	98357	109043
7.	गणेशपुर	74424	70755	84439	72374	58304	46949	44257	47255	52710	60548	61933	75114	86906
8.	नग्गल	109184	88037	105417	97214	86648	68900	57071	69039	82595	82486	85707	87752	90980
9.	बरवाला	0	0	0	0	0	0	0	52883	70505	88900	89599	102859	103607
10.	कीरतपुर	201930	193007	233806	209352	168821	135711	136011	157894	187729	226611	208850	212827	232956
11.	नग्गल राजपुताना	153320	133000	156120	141450	114410	86280	100780	103000	114920	104680	112440	125400	137440

12. निजामपुर	113785	100625	123440	103865	81562	70245	74235	76515	79920	77775	76890	94680	108406
13. अकालगढ़	69943	62638	89293	76186	53696	47941	44068	46465	49618	41725	52963	66262	74001
ख. दुग्ध संघ, रोहतक													
1. रोहतक डॉक दुग्ध शीतकरण केन्द्र	1288274	1200094	1132105	796858	511417	313893	280167	375872	570272	737760	887017	922597	980236
1. मातनहेल	613187	555813	588383	465362	330070	262901	257939	286974	347518	358746	429456	420942	451537
2. जाटूसाना	577581	467600	441805	353426	257910	245943	267116	276982	353115	325510	451813	520034	486260
3. नारनौल	854792	707076	777867	664699	53226	475393	533250	706763	866432	547090	641199	593810	595529
4. भिवानी	1763529	1636255	1528609	1354727	989495	926930	973211	1199851	1245383	904535	1097100	1121603	1355037
ग. दुग्ध संघ, बल्लबगढ़													
1. बल्लभगढ़ डॉक दुग्ध शीतकरण केन्द्र	334691	294633	317391	258440	213215	180495	173066	172831	212317	228944	254505	316582	369098
1. हसनपुर	145926	131255	124015	98544	76451	61152	58763	67419	96407	118563	130575	158381	160614
2. बिलासपुर	953027.	911735	1036725	831174	746302	676896	695802	831279	951250	965698	1078135	1117075	1131453
3. नूंह	201473	154334	163728	147029	116088	94051	81409	106637	114170	114803	151397	209989	258040
4. खानपुर घाटी	21640	17683	19871	18057	43572	38763	36018	45909	57374	47099	71586	83473	78691
ब्लड मिल्क कूलर (बी एम सी)													
1. बागपुर	113585	94015	98760	73118	52080	38445	27480	31010	46865	58685	75470	117830	135215
2. छांयसा	28660	27010	26380	17120	12615	10040	8185	8726	9500	11895	17850	24000	26645

क्र.	यूनिट का नाम	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014	मई, 2014	जून, 2014	जुलाई, 2014	अगस्त, 2014	सितम्बर, 2014	अक्तूबर, 2014	नवम्बर, 2014	दिसम्बर, 2014	जनवरी, 2015
घ.	दुग्ध संघ, हिसार - जींद													
	दुग्ध शीतकरण केन्द्र													
1.	जींद प्लांट डॉक	1492080	1203842	1034488	760556	424373	275721	322001	528657	841506	937715	1123069	1193275	1223428
2.	हिसार	1212503	1091637	1027738	798584	537175	352913	344157	492502	776008	953234	1100675	1200974	1246841
3.	भूना	555223	504896	529792	534584	333164	211316	203277	269072	492075	469962	520307	567792	586453
	ब्लड मिल्क कूलर (बी एम सी)													
1.	लुदाना	75388	67245	58333	47662	26724	16482	14242	22230	38890	49095	67451	75413	90016
2.	कालवा	94024	76764	66198	61262	28172	13269	17177	31970	54818	54757	67850	78199	92263
3.	पवाना	104987	88579	89630	82836	55976	39465	41912	60905	98109	118573	121456	118520	131044
4.	बीबीपुर	101522	65377	40725	27893	30886	15928	16491	19953	54722	62849	99953	108529	111080
5.	सिवानामाल	55710	47987	48049	42601	29496	18991	18332	23373	35672	41373	53436	50055	53172
6.	गतौली	95561	67686	60688	46317	28027	19408	25920	37507	54435	73648	83359	80232	84952
7.	घनीहारी	105903	91267	76017	58219	37208	28634	37840	55415	70132	80543	88710	87494	86935
8.	उगालन	17258	30790	33964	32362	21180	16460	14632	22122	38985	55236	60780	55730	52806
9.	असरफगढ़	10908	17516	11522	9936	6664	2721	3777	6145	10798	18695	30096	32078	47301
10.	गुरेडा	422883	382709	337730	256294	168092	113012	109867	151596	213015	247145	276942	308122	312904
11.	ढांड	342268	316298	302250	252573	192626	144459	133415	159026	228671	277260	317182	342586	358573
ड.	दुग्ध संघ, कुरुक्षेत्र-करनाल													
	दुग्ध शीतकरण केन्द्र													
1.	कैथल	181666	144288	168475	156554	126177	123926	104978	120138	191889	170011	210222	262923	210221
2.	कुरुक्षेत्र	176550	151136	184163	150065	110372	83856	84375	85423	97046	89242	96044	134847	109718

ब्लड मिल्क कूलर (बी एम सी)													
1. पनौरी	57393	33662	54072	42556	14932	33911	22074	25112	29260	36029	51315	61976	53546
2. मेहरा	92293	74572	126177	11631	71021	59810	53573	42920	61602	49249	58180	67020	73074
3. मरदानखेड़ा	61988	49714	76247	85564	64439	43099	36461	47653	82319	39928	66915	73938	61048
4. मस्तगढ़	119238	117131	144331	135293	124333	97249	90286	95769	104486	86927	108136	127396	127169
5. कैन्थला	94397	96702	111999	108763	96909	77021	62700	65319	62807	84060	78789	99724	102842
6. सारसा	133009	102778	127428	120428	91782	68846	66919	67330	85991	80906	87223	108960	128930
7. हल्देड़ी	51816	42659	55216	48920	39523	28534	21971	26484	34223	35972	50008	60728	62388
8. बदसुई	60813	50504	55880	49683	35785	23750	24095	34206	43119	45248	51395	64762	49481
9. बदरपुर	60570	42443	56814	64941	53071	35456	32441	36835	48583	28615	42307	47858	48250
10. गुमटी	45123	31734	31364	36564	38982	36981	15151	11765	13905	15202	23540	40798	43863
11. जोगी माजरा	56880	43319	72271	60563	43074	33203	33359	26475	18915	15502	16968	19896	20834
12. चीनारथल	21808	18244	21593	16972	13235	22562	11856	7127	10146	13467	16427	21287	19921
13. छीछड़ाना	60901	48206	52042	40740	35075	15243	0	16232	26258	20625	33032	45197	49850
14. चक्कू लदाना	36432	38079	43875	38391	33248	24537	24003	25104	26297	20886	17834	23614	26955
15. लिन्डर कीमा	30309	27887	30139	30878	31932	30096	34506	36587	31401	25888	22495	22026	25954
16. मोर माजरा	28298	27926	27599	26908	18805	18350	25882	12558	18012	27365	22437	29240	29985
17. खेड़ी	38596	35293	41330	36267	31214	24295	21281	20089	22562	21803	23854	28732	282575
18. बेरथली	76552	54018	77338	86259	60710	35000	40000	43800	48724	41600	65000	70800	67555
19. सेरदा	36153	30968	37957	46606	36633	31136	33483	54674	58554	43485	44092	51849	49868
20. खरोन्दी	13528	7790	10898	8290	0	0	0	0	0	0	0	4310	10851
21. सयोन्सर/ रामगढ़ रोड	61521	55028	64969	61504	50642	19606		रामगढ़ रोड में स्थानांतरित कर दिया है।					67540

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

क्र.	यूनिट का नाम	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014	मई, 2014	जून, 2014	जुलाई, 2014	अगस्त, 2014	सितम्बर, 2014	अक्तूबर, 2014	नवम्बर, 2014	दिसम्बर, 2014	जनवरी, 2015
च.	दुग्ध संघ, सिरसा													
	दुग्ध शीतकरण केन्द्र													
1.	प्लांट डॉक	367644	333271	303235	265978	2016865	154932	148883	207442	257624	246396	273960	247178	266971
2.	जीवन नगर	228160	225590	247305	237880	187335	145960	132440	125398	151240	147071	173395	172510	202775
3.	पतली डब्बर	196915	161315	161580	151260	125800	87225	72735	102130	159480	151785	211605	186630	192710
4.	गोरीवाला	453075	488910	609750	532710	406380	300020	296070	350085	444280	326930	387065	316855	240155
5.	गुसाईयानां	326055	301980	390585	385650	251690	113955	106540	172165	262085	260700	490445	506950	306950
	ब्लड मिल्क कूलर (बी एम सी)													
1.	जण्डवाला बिश्नोईयां	25402	28650	29182	30850	26846	23566	22872	21402	23313	20528	23406	24961	25065
2.	धुकांवाली	18463	18625	20114	19675	15629	185735	19618	234025	27934	20672	30438	27589	37329
3.	आ. रिसालिया खेड़ा	16499	19270	18371	18203	26731	16026	10798	15703	18396	19585	22072	22856	30735
4.	आ. बनवाला	35399	33051	32850	27186	20833	13509	15560	19557	21354	22600	25759	27127	27734
5.	म. नुहियांवाली	19265	21050	20810	20754	21147	18758	22294	27181	30378	19429	39332	40910	40524
6.	डुकड़ा	53124	43028	47647	37484	25740	19094	21929	297855	36643	32291	27144	28601	25320
7.	आ. कसुम्बी	21702	19231	20715	16031	12780	9993	9177	8566	12351	14720	17240	17919	17681
8.	आ. चाडीवाल	14957	13057	11513	11089	9081	6008	6866	8813	10768	12733	15470	15963	15803
9.	मसेरां कलां	8746	10109	11833	11476	92645	8726	9662	8550	7249	8592	8841	9437	9788
10.	डा. जण्डवाली बिश्नोईयां	78447	88864	106565	94877	79622	65727	57419	67101	81207	78396	100320	105893	121585

11.	बकरियांवाली	22108	19881	18915	15954	11895	10463	13271	13141	17963	22137	20754	20255	22064
12.	आ. बनी	27610	22500	25323	20353	16127	12902	13790	15232	17147	18433	18139	21956	25849
13.	करीवाला	30809	27127	30948	24513	20089	17345	13123	14037	17957	20764	24242	26909	26635
14.	जनता करीवाला	47784	51853	60016	49754	41304	31076	30286	29445	34598	36396	37429	43174	44561
15.	नकौड़ा	35557	36154	47801	45015	37350	28114	25787	251235	24347	24469	24434	30099	34627
16.	आ. गुसाईयांना	16295	16738	21962	35894	21532	18933	14221	34558	40076	21905	34932	42104	49699
17.	न्यू म. जोडावाली	36732	36595	38377	30783	26685	31265	39363	42565	34352	31077	32595	38801	44000
18.	न्यू गोदिकां	39415	34983	40114	35797	28710	257825	24851	26244	30023	31081	30751	32531	36954
19.	न्यू सुलतान-पुरिया	21655	15935	28918	28399	18488	13232	12796	14130	20017	24245	32229	29038	29369
20.	निर्वाण	79375	80729	89402	69769	61736	571135	75621	806675	61793	62379	64214	62216	68534
21.	म. तलवाड़ा	17784	8091	114468	16357	105425	8741	0	0	0	0	0	0	0
22.	म. रामपुरा ढिल्लों	8596	8197	7525	9335	90975	19887	8392	8045	6119	3755	3336	3321	3095
23.	आ. म. आनन्दगढ़	28155	24131	21530	26023	26669	11377	20656	24761	28776	17364	29131	29972	35156
24.	गो. शेरघुरा	31846	31647	26442	22974	14558	16239	11193	13678	20798	28727	32245	29652	31220
25.	करमाई	32771	35046	37966	36555	24417	25110	9800	15970	17125	23385	35594	36845	43278
26.	रूपावास	40325	39962	36712	33945	32707	27222	22364	22280	31242	26732	31767	36306	34942
27.	न्यू बेहरवाला खुर्द	0	0	14796	22177	20728	10236	29932	553395	89026	70721	44776	58975	34471
28.	आ. मसीता	0	0	0	0	0	0	16251	201325	22611	16750	20020	24957	37831

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

पंजीकृत दुग्ध संयंत्रों/शीतकरण केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	मिल्क प्लांटों का नाम व पता	निजी	लाईसैंसिंग क्षमता (लाख लिटर)
	जिला अम्बाला		
1.	मैसर्ज समृति प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटिड, 55वां माईल स्टोन, पंचकूला रोड, साहा।	निजी	0.75
	जिला फरीदाबाद		
1.	मैसर्ज क्वालिटी डेयरी (इण्डिया), तहसील पलवल, गांव सोफटा।	निजी	0.75
2.	मैसर्ज हरियाणा डेयरी फार्म, आगरा बाई पास रोड, पलवल।	निजी	0.70
3.	मैसर्ज इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेसिव (पी) लिमिटिड, गांव अगवानपुर।	निजी	1.00
4.	मैसर्ज जी.के. डेयरी एवं मिल्क प्रोडक्ट्स, गांव नागला जोगियां।	निजी	1.50
5.	मैसर्ज डी.एस.पी.आई. मिल्क फूड्स लिमिटिड, गांव सिनहोई, तहसील पलवल।	निजी	0.40
	जिला गुड़गांव		
1.	मैसर्ज कामधेनू फूड्ज लि., प्लाट नं0 33, हुड्डा, गुड़गांव।	निजी	0.75
2.	मैसर्ज चन्द्र मिल्क प्लांट, दिल्ली अलवर रोड, ढूंगी नं0 1, सोहना।	निजी	0.30
3.	मैसर्ज रतन मिल्क स्पैशिलिटिज, गांव गोढोला, तहसील पुन्हाना।	निजी	0.70
4.	मैसर्ज भारत डेयरी उद्योग, भरतपुर आगरा रोड, फिरोजपुर झिरका।	निजी	0.30
5.	मैसर्ज न्यूअनुरेना टिस्टार फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, आई.एम.टी. प्लाट नं0 292, सैक्टर-6, मानेसर।	निजी	0.30
6.	मैसर्ज महसाना डिस्ट्रिक्ट को0 मिल्क, प्रोड्यूसर यूनियन लि0, प्लाट नं0 26-डी, आई.एम.टी. मानेसर।	निजी	10.00
7.	मैसर्ज डी.एस.पी.आई. सिनहोल, पलवल।	निजी	0.25
8.	मैसर्ज क्वीलिटी डेयरी (इण्डिया) सोफटा, पलवल।	निजी	0.75
	जिला जींद		
1.	मैसर्ज लक्ष्य फूड (इण्डिया) लि0 आठ कि0मी0 माईल्ज स्टोन, कैथल चण्डीगढ़ हाईवे, वी.पी.ओ. कण्डेला, जिला जींद।	निजी	0.15
	जिला करनाल		
1.	मैसर्ज करनाल मिल्क फूड्ज, 134 कि0मी0 स्टोन, जी.टी. रोड, दादूपुर।	निजी	0.70
2.	मैसर्ज भाडर्न डेयरीज लि0, पी0बी0-3, 136 कि0मी0 स्टोन, जी.टी. रोड, श्यामगढ़।	निजी	2.50
3.	मैसर्ज गॉडल डेयरी प्लांट, एफ.डी.आर.आई., करनाल।	निजी	0.60
4.	मैसर्ज कुटेल, मधुबन, करनाल, हरियाणा।	निजी	0.40

	जिला कुरूक्षेत्र		
1.	मैसर्ज पारूल फूड स्पैशिलिटीज (पी) लि0, 166-167 कि0मी0 स्टोन, जी.टी. रोड, गांव खानपुर कोलियां।	निजी	0.75
2.	मैसर्ज भारकण्डेश्वर फूड्ज एंड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, 166-167 कि0मी0 स्टोन, जी.टी. रोड, गांव खानपुर कोलियां।	निजी	0.75
3.	मैसर्ज के.एम.जी. मिल्क प्रोडक्ट्स लि0, जी.टी. रोड, 9 कि0मी0 स्टोन, गांव मसाना।	निजी	0.75
4.	मैसर्ज हरियाणा मिल्क फूड्ज लि0, कैथल रोड, पिहोवा।	निजी	1.50
5.	मैसर्ज जय दुर्गा मिल्क प्रोडक्ट्स, लाडवा रोड, मथाना।	निजी	0.15
6.	मैसर्ज राज फूड्ज प्रोडक्ट्स, बबैन रोड, गांव खरिण्डवा, शाहबाद (मा0)।	निजी	0.15
	जिला पानीपत		
1.	मैसर्ज नैशनले इण्डिया लि0, पि0ओ0 बाक्स नं0-1, किवाना रोड, गांव पट्टी कलियाणा, समालखा।	निजी	2.50
2.	मैसर्ज गिरधर मिल्क फूड्ज, बापोली रोड, गांव जलपर, 5 कि0मी0 स्टोन, जलपर।	निजी	0.20
	जिला रेवाड़ी		
1.	मैसर्ज ओरियंट एग्रो प्रा0 लि0 5/34 एण्ड 5/35, धारूहेड़ा-122106	निजी	0.20
	जिला सोनीपत		
1.	मैसर्ज डेयरी फ्रैश, ए यूनिट ऑफ गोल्ड लाईन मिल्क फूड्ज पी लि0, खसरा नं0 11, 12/56, नीयर एच.एस.आई.डी.सी. ऑफिस, इण्डस्ट्रियल एरिया, कुण्डली।	निजी	0.22
2.	मैसर्ज स्टरलिंग ऐग्रो इण्डस्ट्रियल, 74, एच.एस.आई.डी.सी. इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, कुण्डली।	निजी	0.75
3.	मैसर्ज डेली फूड्ज (आई) लि0, एच.एस.आई.डी.सी. इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, कुण्डली।	निजी	1.00
4.	मैसर्ज एस.बी.पी. इण्डस्ट्री प्रा0 लि0, 497, फूड्ज पार्क, राथ इण्डस्ट्रीयल एरिया, राय।	निजी	0.20
5.	मैसर्ज बी.के. आनन्द फूड्ज प्रा0 लि0, प्लाट नं0 67, मुरथल इण्डस्ट्रीयल एरिया, मुरथल।	निजी	2.20
	जिला सिरसा		
1.	मैसर्ज रेनजर फूड्ज प्रा0 लि0, गांव सूचान, 14 कि0मी0 स्टोन, सिरसा-दिल्ली रोड, सिरसा।	निजी	0.40
	जिला रोहतक		
1.	साबर डेयरी, रोहतक।	निजी	5.00
			39.52

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटिड, पंचकूला

दुग्ध संकलन मासिक दरें

महीना	अवधि (जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2015)	मासिक दुग्ध संकलन दरें प्रति कि.ग्रा. फैट	मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना लाभ प्रति कि.ग्रा. दूध
जी	दुग्ध संघ, अम्बाला		
जनवरी, 14	01.01.2014 - 16.01.2014	510.00	0.00
	17.01.2014 - 31.01.2014	520.00	0.00
फरवरी, 14	01.02.2014 - 28.02.2014	520.00	0.00
मार्च, 14	01.03.2014 - 31.03.2014	520.00	0.00
अप्रैल, 14	01.04.2014 - 30.04.2014	520.00	4.00
मई, 14	01.05.2014 - 31.05.2014	520.00	4.00
जून, 14	01.06.2014 - 30.06.2014	530.00	4.00
जुलाई, 14	01.07.2014 - 31.07.2014	530.00	4.00
अगस्त, 14	01.08.2014 - 31.08.2014	530.00	4.00
सितम्बर, 14	01.09.2014 - 08.09.2014	530.00	4.00
	09.09.2014 - 30.09.2014	510.00	4.00
अक्तूबर, 14	01.10.2014 - 31.10.2014	510.00	0.00
नवम्बर, 14	01.11.2014 - 30.11.2014	510.00	0.00
दिसम्बर, 14	01.12.2014 - 10.12.2014	510.00	0.00
	11.12.2014 - 20.12.2014	490.00	0.00
	21.12.2014 - 31.12.2014	480.00	0.00
जनवरी, 15	01.01.2015 - 31.01.2015	480.00	0.00
एच	दुग्ध संघ, रोहतक		
जनवरी, 14	01.01.2014 - 31.01.2014	510.00	0.00
फरवरी, 14	01.02.2014 - 28.02.2014	520.00	0.00
मार्च, 14	01.03.2014 - 31.03.2014	520.00	0.00
अप्रैल, 14	01.04.2014 - 30.04.2014	520.00	4.00
मई, 14	01.05.2014 - 31.05.2014	520.00	4.00
जून, 14	01.06.2014 - 30.06.2014	530.00	4.00
जुलाई, 14	01.07.2014 - 31.07.2014	530.00	4.00
अगस्त, 14	01.08.2014 - 31.08.2014	530.00	4.00
सितम्बर, 14	01.09.2014 - 30.09.2014	515.33	4.00
अक्तूबर, 14	01.10.2014 - 31.10.2014	510.00	0.00
नवम्बर, 14	01.11.2014 - 30.11.2014	490.00	0.00
दिसम्बर, 14	01.12.2014 - 31.12.2014	486.45	0.00
जनवरी, 15	01.01.2015 - 31.01.2015	480.00	0.00

आई दुग्ध संघ, बल्लबगढ़

जनवरी, 14	01.01.2014 - 31.01.2014	520.00	0.00
फरवरी, 14	01.02.2014 - 28.02.2014	520.00	0.00
मार्च, 14	01.03.2014 - 31.03.2014	520.00	0.00
अप्रैल, 14	01.04.2014 - 30.04.2014	520.00	4.00
मई, 14	01.05.2014 - 31.05.2014	520.00	4.00
जून, 14	01.06.2014 - 30.06.2014	530.00	4.00
जुलाई, 14	01.07.2014 - 31.07.2014	530.00	4.00
अगस्त, 14	01.08.2014 - 31.08.2014	530.00	4.00
सितम्बर, 14	01.09.2014 - 30.09.2014	530.00	4.00
अक्तूबर, 14	01.10.2014 - 31.10.2014	530.00	0.00
नवम्बर, 14	01.11.2014 - 10.11.2014	530.00	0.00
	11.11.2014 - 30.11.2014	510.00	0.00
दिसम्बर, 14	01.12.2014 - 20.12.2014	510.00	0.00
	21.12.2014 - 31.12.2014	500.00	0.00
जनवरी, 15	01.01.2015 - 31.01.2015	500.00	0.00

जे दुग्ध संघ, हिसार-जींद

जनवरी, 14	01.01.2014 - 16.01.2014	510.00	0.00
	17.01.2014 - 31.01.2014	520.00	0.00
फरवरी, 14	01.02.2014 - 28.02.2014	520.00	0.00
मार्च, 14	01.03.2014 - 31.03.2014	520.00	0.00
अप्रैल, 14	01.04.2014 - 30.04.2014	520.00	4.00
मई, 14	01.05.2014 - 31.05.2014	520.00	4.00
जून, 14	01.06.2014 - 30.06.2014	530.00	4.00
जुलाई, 14	01.07.2014 - 31.07.2014	530.00	4.00
अगस्त, 14	01.08.2014 - 31.08.2014	530.00	4.00
सितम्बर, 14	01.09.2014 - 08.09.2014	530.00	4.00
	09.09.2014 - 30.09.2014	510.00	4.00
अक्तूबर, 14	01.10.2014 - 31.10.2014	510.00	0.00
नवम्बर, 14	01.11.2014 - 10.11.2014	510.00	0.00
	11.11.2014 - 30.11.2014	490.00	0.00
दिसम्बर, 14	01.12.2014 - 20.12.2014	490.00	0.00
	21.12.2014 - 31.12.2014	480.00	0.00
जनवरी, 15	01.01.2015 - 31.01.2015	480.00	0.00

[श्री ओम प्रकाश धनखड]

के	दुग्ध संघ, कुरुक्षेत्र-करनाल		
जनवरी, 14	01.01.2014 - 16.01.2014	510.00	0.00
	17.01.2014 - 31.01.2014	520.00	0.00
फरवरी, 14	01.02.2014 - 28.02.2014	520.00	0.00
मार्च, 14	01.03.2014 - 31.03.2014	520.00	0.00
अप्रैल, 14	01.04.2014 - 30.04.2014	520.00	4.00
मई, 14	01.05.2014 - 31.05.2014	520.00	4.00
जून, 14	01.06.2014 - 30.06.2014	530.00	4.00
जुलाई, 14	01.07.2014 - 31.07.2014	530.00	4.00
अगस्त, 14	01.08.2014 - 31.08.2014	530.00	4.00
सितम्बर, 14	01.09.2014 - 08.09.2014	530.00	4.00
	09.09.2014 - 30.09.2014	520.00	4.00
अक्तूबर, 14	01.10.2014 - 31.10.2014	510.00	0.00
नवम्बर, 14	01.11.2014 - 30.11.2014	510.00	0.00
दिसम्बर, 14	01.12.2014 - 10.12.2014	510.00	0.00
	11.12.2014 - 20.12.2014	490.00	0.00
	21.12.2014 - 31.12.2014	480.00	0.00
जनवरी, 15	01.01.2015 - 31.01.2015	480.00	0.00
एल	दुग्ध संघ, सिरसा		
जनवरी, 14	01.01.2014 - 16.01.2014	510.00	0.00
	17.01.2014 - 31.01.2014	520.00	0.00
फरवरी, 14	01.02.2014 - 28.02.2014	520.00	0.00
मार्च, 14	01.03.2014 - 31.03.2014	520.00	0.00
अप्रैल, 14	01.04.2014 - 30.04.2014	520.00	4.00
मई, 14	01.05.2014 - 31.05.2014	520.00	4.00
जून, 14	01.06.2014 - 30.06.2014	530.00	4.00
जुलाई, 14	01.07.2014 - 31.07.2014	530.00	4.00
अगस्त, 14	01.08.2014 - 31.08.2014	530.00	4.00
सितम्बर, 14	01.09.2014 - 08.09.2014	530.00	4.00
	09.09.2014 - 30.09.2014	520.00	4.00
अक्तूबर, 14	01.10.2014 - 31.10.2014	510.00	0.00
नवम्बर, 14	01.11.2014 - 30.11.2014	490.00	0.00
दिसम्बर, 14	01.12.2014 - 20.12.2014	490.00	0.00
	21.12.2014 - 31.12.2014	480.00	0.00
जनवरी, 15	01.01.2015 - 31.01.2015	480.00	0.00

Expenditure on Cavalcade

13. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be please to state the total expenditure incurred by the State Government in the previous two tenures i.e. 2005 to 2014 in running and maintenance of cavalcades of Chief Minister and other ministers together with details thereof ?

Chief Minister (Shri Manohar Lal) : Sir, based on the information collected the expenditure incurred by the State Government in previous two tenures i.e. 2005 to 2014 in running and maintenance of cavalcades of Chief Minister and other Ministers were about Rs. 35.10 cr. The details are at Annexure 'A'.

Annexure 'A'

Sr. No.	Departments	Period	Total Expenditure (in Rs.)
1.	Transport Department	2005 to 2014	14,43,53,000/-
2.	Urban Local Bodies Department	2005 to 2014	58,46,356/-
3.	Referral Transport (Health)	2011 to Oct., 2014	39,49,663/-
4.	DGP/Police Department	2005 to 2014	18,45,15,785/-
5.	S.P. Hisar	The record of 2005 to 2009 has been destroyed. 2010 to 2014	53,70,756/-
6.	S.P. Bhiwani	The record of year 2005 is not available, 2006 to 2015	70,02,482/-
		Total :	**35,10,38,042/-**

Note :— The above expenditure does not include incurred by the SP, due to non availability of data.

To Check Road Accidents

29. Shri Hari Chand Midha : Will the Chief Minister be pleased to state the districtwise details of the road accidents occurred on the National Highways and State Highways separately during the year 2014-15 in the State together with the steps taken by the Government to check the increasing road accidents ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

[श्री मनोहर लाल]

सूचना

(क) वर्ष 2014-15 में राज्य में जिला वार राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं	जिला	2014 दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014			2015 दिनांक 01.01.2015 से 28.02.2015			दिनांक 01.01.2014 से 28.02.2015		
		कुल दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाएं	गैर-घातक दुर्घटनाएं	कुल दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाएं	गैर-घातक दुर्घटनाएं	कुल दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाएं	गैर-घातक दुर्घटनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पंचकुला	141	73	68	18	8	10	159	81	78
2.	अम्बाला (शहरी)	199	70	129	37	14	23	236	84	152
3.	अम्बाला (ग्रामीण)	106	55	51	16	4	12	122	59	63
4.	करनाल	169	108	61	33	12	21	202	120	82
5.	कुरुक्षेत्र	160	81	79	24	10	14	184	91	93
6.	कैथल	44	17	27	7	3	4	51	20	31
7.	यमुनानगर	146	59	87	23	12	11	169	71	98
8.	हिसार	185	78	107	16	10	6	201	88	113
9.	भिवानी	5	3	2	1	0	1	6	3	3
10.	जींन्द	90	49	41	9	7	2	99	56	43
11.	फतेहाबाद	64	14	50	10	4	6	74	18	56
12.	सिरसा	73	40	33	12	9	3	85	49	36
13.	रोहतक	145	75	70	30	14	16	175	89	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	सोनीपत	284	132	152	54	28	26	338	160	178
15.	झज्जर	89	46	43	19	11	8	108	57	51
16.	पानीपत	238	139	99	26	12	14	264	151	113
17.	गुड़गांव	314	135	179	42	15	27	356	150	206
18.	फरीदाबाद	120	58	62	22	4	18	142	62	80
19.	रिवाड़ी	219	96	123	39	20	19	258	116	142
20.	नारनौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पलवल	302	92	210	28	15	13	330	107	223
22.	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**3093**	**1420**	**1673**	**466**	**212**	**254**	**3559**	**1632**	**1927**

[श्री मनोहर लाल]

(ख) वर्ष 2014-15 में राज्य में जिला वार राज्य राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं	जिला	2014 दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014			2015 दिनांक 01.01.2015 से 28.02.2015			दिनांक 01.01.2014 से 28.02.2015		
		कुल दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाएं	गैर-घातक दुर्घटनाएं	कुल दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाएं	गैर-घातक दुर्घटनाएं	कुल दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाएं	गैर-घातक दुर्घटनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पंचकुला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अम्बाला (शहरी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अम्बाला (ग्रामीण)	78	41	37	1	0	1	79	41	38
4.	करनाल	68	44	24	16	6	10	84	50	34
5.	कुरुक्षेत्र	159	52	107	22	14	8	181	66	115
6.	कैथल	54	22	32	6	3	3	60	25	35
7.	यमुनानगर	114	55	59	23	11	12	137	66	71
8.	हिसार	48	19	29	8	3	5	56	22	34
9.	भिवानी	520	218	302	71	21	50	591	239	352
10.	जीन्द	74	38	36	12	6	6	86	44	42
11.	फतेहाबाद	80	34	46	13	2	11	93	36	57
12.	सिरसा	41	20	21	9	6	3	50	26	24
13.	रोहतक	40	21	19	10	5	5	50	26	24
14.	सोनीपत	474	207	267	63	16	47	537	223	314

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. झज्जर	146	76	70	25	14	11	171	90	81
16. पानीपत	59	18	41	4	3	1	63	21	42
17. गुड़गांव	402	122	280	65	28	37	467	150	317
18. फरीदाबाद	39	12	27	15	7	8	54	19	35
19. रिवाड़ी	129	43	86	16	8	8	145	51	94
20. नारनौल	347	114	233	52	20	32	399	134	265
21. पलवल	48	23	25	12	5	7	60	28	32
22. मेवात	316	117	199	47	11	36	363	128	235
कुल	**3236**	**1296**	**1940**	**490**	**189**	**301**	**3726**	**1485**	**2241**

[श्री मनोहर लाल]

(ग) सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(i) राज्य में कुल 22 यातायात पुलिस थानों और 5 यातायात पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। मोटरवाहन अधिनियम 1988 और नियमों की पालना हेतु इनमें यथासम्भव पुलिस बल और वाहन उपलब्ध करवाए गये हैं।

(ii) निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों व अति तीव्र गति से चलने वाले वाहन चालकों पर नियंत्रण करने के लिए कुल 32 हाई स्पीड इन्टरसैप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनके प्रयोग से 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 42,541 उल्लंघन करने वालों को पकड़ा गया और चालान किये गए।

(iii) सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कुल 43 एम्बुलैंस उपलब्ध करवाई गई हैं।

(iv) पर्याप्त संख्या में सोब्राइटी चैक प्वाईंट्स स्थापित किए गए और 175 एल्कोसैंसर शराबी चालकों को चैक करने के लिए यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाए गये हैं। दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2104 तक 12,094 शराबी चालकों को पकड़ा गया और चालान किए गये।

(v) स्कूल में जाने वाले छात्रों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लागू करवाने के लिए यातायात पुलिस को ड्राइवरों व स्कूल प्रबन्धकों के साथ निरन्तर गोष्ठियां करने बारे निर्देश जारी किये गये हैं। स्कूल वाहन ड्राईवरों के गफलत व लापरवाही और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर निरन्तर चालान किये जा रहे हैं। वर्ष 2014 के दौरान कुल 1,165 त्रुटिकर्ताओं के चालान किये गये।

(vi) दिनांक 27.10.2009 को समाज के प्रतिष्ठित लोगों, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व कर्मधारी/अधिकारी, वरिष्ठ नागरिकों, रैजीडैंट वैलफेयर ऐसोसिएशन्स, गैर-सरकारी संस्थानों, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स, वाहन यूनियनों इत्यादि के सहयोग से सड़क सुरक्षा संगठन का गठन किया गया। हरियाणा में 3,460 सड़क सुरक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

(vii) हरियाणा में 1,170 दुर्घटना संभावित स्थान लोक निर्माण, वन, बिजली व परिवहन विभागों के सहयोग से चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 934 दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर आवश्यक कार्य पूर्ण किया जा चुका है व शेष स्थानों पर कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। 1,051 स्थानों का चयन स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए किया गया था जिनमें से 878 स्थानों पर स्पीड ब्रेकरों का निर्माण राज्य की विभिन्न सड़कों पर किया जा चुका है।

(viii) यातायात मुख्यालय करनाल में एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां पर जनता के लिए दुर्घटना हैल्पलाईन 24 घण्टे टोल फ्री नम्बर 1073 की सुविधा उपलब्ध है। जनसाधारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण सम्पर्क है।

(ix) उपरोक्त के अतिरिक्त तीव्र गति से चलने वाले वाहनों, शराबी चालकों, बिना हैल्मेट पाये जाने वाले चालकों और बिना सीट बैल्ट, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने वालों और ज्यादा सवारियां लाद कर चलने वाले वाहनों इत्यादि के चालान निरन्तर किये जा रहे हैं। इन अपराधों का उल्लंघन करने पर वर्ष 2014 में कुल 9,83,289 वाहनों के चालान किए गये हैं।

(x) यातायात प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिए, यातायात सुचारू रूप से चलाने और मोटर वाहन अधिनियम की पालना के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में यातायात विभाग को एक अलग इकाई के रूप में गठित किया गया है।

(xi) दुर्घटनाग्रस्त स्थानों/क्षेत्रों पर चमकने वाली लाईट/कैट आई लगाई जा रही है।

(xii) महत्वपूर्ण स्थानों पर दुर्घटना सहायता नम्बर 1073 के रिफलेक्टिव स्टीकर/बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

(xiii) प्रत्येक सड़क पर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

(xiv) सभी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य की गई हैं।

(xv) यातायात पुलिस द्वारा आम जनता को सड़क सुरक्षा व यातायात सम्बन्धी नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, सैमिनार, चित्रकला प्रतियोगिता,कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया गया है। प्रति वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है जिसमें नागरिकों को विस्तार से सड़क सुरक्षा के महत्व व नियमों बारे जागरूक करने के लिए निम्नलिखित प्रोग्राम चलाये जाते हैं :-

- राज्य में सड़क सम्बन्धी जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में कुल 3,290 सड़क सम्बन्धी जागरूकता अभियान, सैमिनार व चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं।

- सभी स्कूलों/कालेजों/शैक्षिणिक संस्थाओं/ट्रक/मैक्सी कैब/आटो यूनियनों/ राज्य परिवहन कार्यशालाओं, फैक्ट्रियों के कर्मचारी इत्यादि को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए लगभग 15 लाख पैम्फलेट, 12 लाख पोस्टर, 6,000 फलैक्स, 12,000 बैनर, 10,000 सी.डी. व 25,000 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी किताबें बांटी गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की दुर्घटना सम्भावित सड़कों पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी 700 होर्डिंग्स प्रति वर्ष लगाए जाते हैं।

- स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रश्नोतरी प्रतियोगिता करवाई गई। पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक प्रथम स्तर, छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक द्वितीय स्तर व नौंवी कक्षा से बाहरवीं कक्षा तक तृतीय स्तर की प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें वर्ष 2014-2015 में कुल

[श्री मनोहर लाल]

13,532 स्कूलों के 34,13,814 बच्चों ने भाग लिया। दिनांक 31.01.2015 को जिला फरीदाबाद में राज्य स्तरीय प्रश्नोतरी प्रतियोगिता करवाई गई जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा ईनाम देकर सम्मानित किया गया।

- प्रत्येक जिला में प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूलों/कालेजों में चित्रकला प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा स्लोगन और प्रश्नोतरी प्रतियोगिता करवाई जा रही है।
- सभी शहरों व कस्बों में अखबारों (अंग्रेजी व हिन्दी) में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी का प्रकाशन व टी.वी. चैनलों और एफ.एम./ऑल इण्डिया रेडियो पर (45 सैकिण्ड) का प्रसारण किया जा रहा है।
- सिनेमा घरों में सड़क सुरक्षा पर आधारित छोटी फिल्में एक, तीन और पांच मिनट अवधि की दिखाई जा रही हैं।
- सड़क सुरक्षा सम्बन्धी किताबें विभिन्न सड़क प्रयोग करने वालों को नियमित रूप से वितरित की जा रही हैं।

(xvi) यातायात शिक्षा एवं यातायात सम्बन्धी आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु एक रोड सेफ्टी फंड/सड़क सुरक्षा कोष बनाना प्रस्तावित किया गया है। इस कोष का उपयोग एल्कोमीटर, रडार गन, इंटरसैप्टर वाहन इत्यादि उपकरणों की खरीद एवं यातायात शिक्षा सम्बन्धी सामग्री को तैयार करने एवं वितरण के लिए किया जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद होगी।

(xvii) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 215(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल/राज्य सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 215(3) के अंतर्गत उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों का गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सभी सरकारी कालेजों में सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन किया गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित स्कूल वाहन नीति बनायी गई है।

Treatment Plants Installed in Haryana

50. Shri Prithi Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether both the treatment plants installed in Narwana city are functional; if not, the time by which these are likely to be made functional ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान् जी। नरवाना शहर में 3.50 एम.एल.डी. तथा 3.75 एम.एल.डी. के दोनों मल शोधन संयंत्र सही कार्य कर रहे हैं।

Recruitment in Mewat Development Board

57. Shri Zakir Hussain : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the total number of employees of all categories recruited during period from 2005 to 2015 in Mewat Development Board alongwith their present and permanent addresses ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैंट

मेवात विकास बोर्ड में, वर्ष 2005 से 2015 के बीच की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गे हैं उनका वर्तमान/पता इस प्रकार से है :-

मेवात विकास अभिकरण में वर्ष 2005 से 2015 के बीच की अवधि के दौरान कुल 19 कर्मचारी/अधिकारी भर्ती किये गये थे जिनमें से 9 अधिकारी/कर्मचारी एम.डी.ए. छोड़ चुके हैं व 10 अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं (ब्यौरा संलग्न है।)

ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	स्थिति	वर्तमान स्थिति	वर्तमान/स्थाई पता
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री वाजिद अली	सांख्यकीय सहायक	01.04.2005	अनुबंध	त्याग पत्र 23.08.2009	गांव सुरजन का नंगला, जिला फरीदाबाद।
2.	श्री ताहिर हुसैन	उक्त	01.05.2005	उक्त	वर्तमान में कार्यरत	गांव गोलपुरी, जिला मेवात।
3.	श्री निसार अहमद	स्टैनो-टाईपिस्ट	01.10.2005	उक्त	वर्तमान में कार्यरत	गांव रूपाहेड़ी, जिला मेवात।
4.	श्री मो0 हारून	लिपिक	01.10.2005	उक्त	वर्तमान कार्यरत	गांव रायपुर तह0 पुन्हाना जिला मेवात।
5.	श्री अहमद अली	परियोजना अधिकारी	06.09.2007	उक्त	त्याग पत्र 31.03.2010	म0नं0 77/4 , सामने राजकीय कालेज, महरौली रोड, गुड़गांव
6.	श्री जे0एस0 डागर	प्रशासनिक अधिकारी	29.09.2008	उक्त	त्याग पत्र 22.07.2013	गांव व डा0 मंडकोला जिला पलवल।
7.	श्री कुमार गौरव	सेवादार	20.11.2008	उक्त	वर्तमान में कार्यरत	म.नं0 210/481, लक्ष्मण विहार, फेज-, गुड़गांव

[कैप्टन अभिमन्यु]

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री सपात खां	चालक	09.01.2006	उक्त	निरस्त 03.12.2013	गांव उटका, तह0 नूंह जिला मेवात।
9.	श्री राजीव गुप्ता	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	16.07.2009	तदर्थ	वर्तमान में कार्यरत	म0न0 1311, दयानंद कालोनी, गुड़गांव।
10.	श्री चेतराम शर्मा	लेखाकार टाईपिस्ट	01.10.2010	अनुबंध	त्याग पत्र 27.08.2014	म0नं0 407-बी, श्याम नगर, पलवल।
11.	श्री खालिद हुसैन	क्षेत्रीय समन्वयक	29.10.2010	उक्त	त्याग पत्र 20.12.2013	गांव मेवली, डा0 आकेड़ा, तह0 नूंह, जिला मेवात।
12.	श्री शमीम अहमद	परियोजना अधिकारी	15.11.2010	उक्त	निरस्त 31.03.2012	गांव बाई, डा0 व तह0 नूंह, जिला मेवात।
13.	श्री प्रवीन कुमार	चालक	16.09.2011	उक्त	अभी कार्यरत	गांव आलदूका, डा0 कुर्थला, जिला मेवात।
14.	श्री रामेश्वर बिरधल	परियोजना अधिकारी	21.05.2013	प्रति-नियुक्ति पर अक्षय उर्जा विभाग, हरियाणा से	विदाई पैतृक विभाग 06.02.2014	म0नं0 10/11-सी, अपना इंकलेव, रेलवे रोड, गुड़गांव।

अवधि (वर्ष 2005 से 2015) के दौरान एमडीए सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत अनुबंध आधार पर व्यवस्थित किये गये स्टाफ का विवरण।

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	स्थिति	वर्तमान स्थिति	वर्तमान/स्थाई पता
1.	श्री आर.के. श्रीवास्तव	परियोजना प्रबन्धक	25.08.2010	अनुबंध	वर्तमान में कार्यरत	म.नं0 471, सैक्टर 9 गुड़गांव।
2.	श्री अजीत सिंह रावत	क्षेत्राधिकारी	01.05.2012	उक्त	वर्तमान में कार्यरत	म.नं0 205/17, नाहर सिंह नगर, पलवल।
3.	श्री रामपाल शर्मा	सुपर-वाईजर	01.09.2010	उक्त	वर्तमान में कार्यरत	म.नं0 ए-337, भगवत सिंह कालोनी, बल्लबगढ़।

अवधि (वर्ष 2005 से 2015) के दौरान आकस्मिक खर्चे के अन्तर्गत अनुबंध आधार पर व्यवस्थित किये गये स्टाफ का विवरण।

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	स्थिति	वर्तमान स्थिति	वर्तमान/स्थाई पता
1.	श्री शमशेर खान	चालक	03.06.2009	अनुबंध	त्याग पत्र 24.11.2014	गांव व डा0 नगीना, जिला मेवात।
2.	श्रीमति बिमला	आधा समय सफाई कर्मी	14.06.2010	उक्त	वर्तमान में कार्यरत	गांव व डा0 नूंह, जिला मेवात।

Recruitment of Guest Teachers

2. Shri Karan Singh Dalal : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) whether any complaint has been received by the Department against the recruitment of Guest Teachers in the state; and

(b) if so, number and details of such complaints togetherwith the action taken by the Department ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) जी हां, श्रीमान् जी।

(ख) गैस्ट टीचरों की नियुक्ति के समय हुई अनियमितताओं के बारे में विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 10 शिकायतों में मुख्यत: निम्नलिखित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे :-

(1) सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जैसे - संस्था के मुख्यद्वार पर रिक्तियों को दर्शाना/स्थानीय विज्ञापन प्रकाशित करना;

(2) मैरिट सूची नहीं बनाई गई और नियुक्तियों का रिकार्ड सही तरीके से नहीं रखा गया;

(3) मैरिट जांचने के लिए उचित मापदण्ड की पालना नहीं की गई;

(4) गैस्ट टीचरों के रूप में नियुक्त अभ्यार्थियों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और विषय संयोजन नहीं है;

(5) विद्यालयों में कार्यभार का ध्यान रखे बिना ही अतिथि अध्यापकों को नियुक्त किया गया;

(6) गैस्ट टीचरों की नियुक्ति दिनांक 17.11.2007 को लगाई गई रोक की अवहेलना करते हुए की गई, जबकि 101 विज्ञान संकाय विद्यालयों तथा 213 मॉडल विद्यालयों के लिए उक्त तिथि को 11.04.2008 और 21.07.2008 माना गया।

[श्री राम बिलास शर्मा]

विभिन्न शिकायतों के प्राप्त होने पर सभी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इन सभी मामलों (केसों) का गहनता से अध्ययन करें, पता करें कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन कहां हुआ है और सभी उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यालय के अधिकारियों की टीम भी गठित की गई थी तथा उन्हें आबंटित जिलों में सूचना एकत्रित करने हेतु भेजा गया था कि जो गैस्ट टीचर नियमानुसार लगाए गए थे, क्या उसमें विभाग द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन किया गया था।

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुल 719 अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति में विभागीय नीति के उल्लंघन का आरोप पाया गया। इसके पश्चात् मुख्यालय के संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में 3 तथा वर्ष 2014 में 4 कमेटियों का गैस्ट टीचरों को निजि सुनवाई का मौका देने तथा उनके रिकार्ड की गहन जांच हेतु गठन किया गया।

कमेटियों की रिपोर्टों अनुसार कुल 518 गैस्ट टीचर विभाग द्वारा जारी नीति-निर्देशों के उल्लंघन में नियुक्त पाए गए तथा इन गैस्ट टीचरों की सेवाएं यादी क्रमांक 4/4-2012 तम (4), दिनांक 07.01.2015 और 09.02.2015 अनुसार समाप्त कर दी गई। इस प्रकार विभाग द्वारा सभी 518 गैस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई जो विभागीय नियमों/नीति की अवहेलना में नियुक्त किए गए थे।

Number of Pesticide Shops

27. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) the number of pesticide shops in the State having licence from the Government of Haryana in each district in the year 2014;

(b) whether samples from all the shops are being taken regularly to check the quality of pesticides; if so, the details thereof; and

(c) the number of samples failed together with the cases filed against such shop keepers alongwith status thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी इसकी एक सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(क) श्रीमान् जी राज्य में जिलावार कीटनाशकों की दुकानों की संख्या जिन्होंने हरियाणा सरकार से वर्ष 2014 में 31.12.2014 तक लाईसैंस प्राप्त किये निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	जिला	कीटनाशक दुकानें (नम्बर में)
1.	अम्बाला	279
2.	भिवानी	895

3.	फरीदाबाद	125
4.	फतेहाबाद	816
5.	गुड़गांव	58
6.	हिसार	594
7.	झज्जर	186
8.	जीन्द	745
9.	कैथल	1299
10.	करनाल	882
11.	कुरुक्षेत्र	701
12.	मेवात	68
13.	महेन्द्रगढ़	144
14.	पलवल	210
15.	पंचकूला	62
16.	पानीपत	470
17.	रेवाड़ी	209
18.	रोहतक	418
19.	सिरसा	1057
20.	सोनीपत	520
21.	यमुनानगर	430
	कुल	10168

(ख) नहीं, श्रीमान् जी। कृषि विभाग के प्रवर्तन मशीनरी द्वारा नियमित रूप से नमूने लिये जाते है लेकिन कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं की सीमित विश्लेषण क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी डीलरों से नमूने नहीं लिये जा सकते।

(ग) श्रीमान् जी। वर्ष 2014-15 में फरवरी 2015 तक 43 नमूने निम्न स्तर के पाये गये हैं। छः मामलों में अदालत में अभियोजन शुरू करने के लिए सहमति जारी की जा चुकी है। शेष मामले उपयुक्त चरण जैसे पुनः परीक्षण, अपील इत्यादि में विचाराधीन है। आवश्यकता अनुसार अदालत में अभियोजन शुरू किया जाएगा।

Black-listed Universities/Institutes

14. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Education Minister be pleased to state whether the State Government has black-listed or downgraded

[Shri Parminder Singh Dhull]
any univversity or institute; if so, name of the universities or institutions declared black-listed by the State Government prohibiting the pass-outs of such institutions from getting job in the Government departments ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Construction of Cow Sheds

30. Shri Hari Chand Middha : Will the Animal Husbandry Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct cow sheds (Gaushalas) for the stray cows in the State; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान् जी। राज्य में गोशालाऐं निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। फिर भी राज्य में उपयुक्त स्थानों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) प्रणाली में गौअभ्यारण्य स्थापित किए जाने की सम्भावनाओं को तलाशा जा रहा है।

Recruitment of Comuter Operators

51. Shri Prithi Singh : Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the computer operators were recruited through companies on DC rate by the previous Government during the last 10 years; and

(b) if so, whether the reservation was given to the eligible candidates of SC and ST categories in the recruitment of abovesaid computer operators togetherwith the percentage of candidate of SC/ST categories recruited ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

To Abolish the Post of Numbardar

3. Shri Karan Singh Dalal : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal

under the consideration of Government to abolish the post of Nambardar in the State; if so, the reason thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी नहीं।

Connecting the Public Health Tubewells with Domestic Electricity Supply

28. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any policy of Haryana Government to connect the Public Health Tubewells of villages with domestic electricity supply; if so, the number of department tubewells which has not been connected with domestic electricity supply togetherwith the time by which all Tubewells are likely to be connected ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : जी हां, श्रीमान्। अभी तक 951 नलकूपों को घरेलू बिजली आपूर्ति से नहीं जोड़ा गया है तथा इनको 31 मार्च, 2016 तक जोड़े जाने की संभावना है।

Revenue Generated by Tourism

15. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Tourism Minister be pleased to state the total revenue generated by the State Government from tourism and related activities including fairs and festivals in financial year 2013-14. ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : पर्यटन विभाग सीधे तौर पर कोई पर्यटन कारोबार नहीं करता तथा राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और इससे जुड़ी गतिविधियों से कोई राजस्व नहीं जुटाया गया है। जबकि, हरियाणा पर्यटन निगम, जो राज्य का स्वयं का उपक्रम है, 42 होटल और 14 पैट्रोल पम्प संचालित कर रहा है। हरियाणा पर्यटन निगम ने वित्तीं वर्ष 2013-14 के दौरान 330.35 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया था और पर्यटन निगम द्वारा 1.58 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया।

Benefit to BPL Card Holders

31. Shri Hari Chand Middha : Will the Food and Supplies Minister be pleased to state—

(a) the district-wise number of BPL card holders in the State at present together with the criterion adopted by the Government to register the name in the BPL list; and

[Shri Hari Chand Midha]

(b) the benefits being provided or to be provided to the BPL card holders by the Government ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) वर्तमान में राज्य में प्रचलित बी0पी0एल0 कार्डों की संख्या जिलावार निम्न प्रकार से है :-

जिलावार बी0पी0एल0 परिवारों/राशन कार्डों की सूचि दिनांक 28.02.2015 की स्थिति अनुसार

जिला	*एस0बी0पी0एल	**सी0बी0पी0एल	***ए0ए0वाई0	कुल
अम्बाला	32853	24100	14186	71139
भिवानी	30627	36635	17303	84565
फरीदाबाद	42516	15443	6829	64788
फतेहाबाद	24075	14548	11067	49690
गुड़गांवा	13483	12516	9165	35164
हिसार	17554	46618	18359	82531
जीन्द	35009	15058	18121	68188
झज्जर	5180	15932	8776	29888
करनाल	24091	31008	13021	68120
कैथल	21611	19321	17145	58077
कुरुक्षेत्र	9607	26774	12403	48784
मेवात	14380	13970	10820	39170
नारनौल	12326	19989	16064	48379
पानीपत	7724	28035	9194	44953
पंचकूला	4427	4500	2388	11315
पलवल	7481	19216	10492	37191
रोहतक	16368	21654	5770	43792
रेवाड़ी	19455	14247	13592	47294
सिरसा	20129	23913	22317	66359
सोनीपत	11874	33505	10572	55951
यमुनानगर	20792	33428	9381	63601
कुल	**391562**	**470412**	**256965**	**1118939**

*राज्य बी0पी0एल **केन्द्रीय बी0पी0एल ***अन्तोदया अन्न योजना

नोट : ए0ए0वाई0 राशन कार्ड धारक बी0पी0एल0 का गरीब में अति गरीब कार्ड धारक है और बी0पी0एल0 परिवारों का हिस्सा है।

बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र में शहरी विकास विभाग, हरियाणा द्वारा किया जाता है। बी0पी0एल0 श्रेणी में नाम दर्ज करने हेतू सरकार द्वारा अपनाए गए मापदण्ड निम्न प्रकार से है :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों का मापदण्ड

वर्ष 2007 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया गा था। परिवारों की पहचान निम्नलिखित मदों पर की गई थी :-

(क) भूमि

(ख) मकान

(ग) घरेलू उपकरणों की स्थिति

(घ) शिक्षा स्तर; तथा

(ङ) आजिविका का साधन एवं रहन-सहन का स्तर

प्रत्येक मद को 0 से 10 अंक दिए गए हैं एवं शिक्षा को 0 से 5 अंक दिए गए। प्रत्येक जिले में जनसंख्या के आधार पर बी0पी0एल0 परिवारों हेतू निर्दिष्ट प्राप्तांक रखा गया। परिवारों को इन मदों पर मापदंड के अनुसार अंक दिए गए। अंकों का मापदंड विवरण संलग्न किया गया है। इस मापदंड के आधार पर बी0पी0एल0 परिवारों की अन्तिम सूची जारी की गई थी। बी0पी0एल0 सूचि में परिवारों को सम्मिलित करने अथवा काटने के लिए उपरोक्त वर्णित मदों पर परिवार की स्थिति की पुष्टि करने एवं उसे सुनवाई का अवसर देने उपरान्त निर्णय करने हेतू उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर अधिकारियों की कमेटी बनाई गई।

2. शहरी क्षेत्रों का मापदण्ड

वर्ष 2007 में शहरी क्षेत्रों में बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान का कार्य योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई राज्य अपेक्षिक गरीबी रेखा 443.21 रुपये प्रति सदस्य प्रति माह के आधार पर की गई थी। इसके पश्चात् राज्य सरकार के निर्णयानुसार वर्ष 2009 में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित कर बी0पी0एल0 परिवारों की सूचियों को पुन: अपडेट किया गया।

फिर भी जनता की शिकायतों के निवारण हेतू अक्तूबर, 2010 में जिला स्तर पर सम्बंधित एस0डी0एम0, संयुक्त आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर निगम/परिषद्/पालिका, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की कमेटी गठित की गई। इस कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/पुष्टि करने के उपरान्त की गई सिफारिश के आधार पर सम्बन्धित जिले का उपायुक्त पात्र परिवारों का नाम शहरी बी0पी0एल0 सूचि में जोड़ने के लिए अधिकृत है।

[श्री राम बिलास शर्मा]

(ख) : खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा पात्र बी0पी0एल0 परिवारों को दिए जा रहे तथा दिए जाने वाले लाभों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

अन्त्योदया अन्न योजना परिवारों को (ए0ए0वाई0) 35 किलोग्राम तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को (बी0पी0एल0) 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति/ईकाई 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ए0ए0वाई0 तथा बी0पी0एल0 परिवारों को 2 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम दाल 20.00 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 6 से 7 लीटर मिट्टी का तेल प्रति राशन कार्ड 13.82 से 14.61 रुपये प्रति लीटर की दर से वितरित किया जा रहा है।

Reservation for the Persons of SC Commercial Sites

52. Shri Pirthi Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state there is any provision of reservation for the scheduled castes in the auction of commercial sites, booths, shops in Grain markets ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं, श्रीमान्!

Per Capita Income of the State

4. Shri Karan Singh Dalal : Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) the per capita income of the State during the last 15 years; and

(b) the measures to be taken to increase the per capita income in the State ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) पिछले 15 वर्षों के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय निम्न प्रकार से है :-

(रुपये)

क्र.सं.	आधार वर्ष/वर्ष	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1999-00 की कीमतों पर			
1.	2000-01	25583	24423
2.	2001-02	28022	25638
3.	2002-03	30433	26748
4.	2003-04	34085	28805

क्र.सं.	आधार वर्ष/वर्ष	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
2004-05 की कीमतों पर			
5.	2004-05	37972	37972
6.	2005-06	42309	40627
7.	2006-07	49261	44423
8.	2007-08	56917	47046
9.	2008-09	67405	49780
10.	2009-10	82037	55044
11.	2010-11	93852	57797
12.	2011-12	106320	61716
13.	2012-13	119833	64052
14.	2013-14 (त्वरित अनुमान)	133427	67260
15.	2014-15 (अग्रिम अनुमान)	147076	71493

(ख) राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिए बजट में सैक्टर के लिहाज से पर्याप्त आबंटन किया गया है जो कि अंतत: राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेगा।

Expenditure on Promoting of Tourism

16. Shri Parminder Singh Dhuil : Will the Tourism Minister be pleased to state the total expenditure incurred by the State Government in promoting Tourism and related activities including organizing fairs and festivals in financial year 2013-14 ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों जैसे कि परिसरों के निर्माण/अपग्रेडेशन और पुर्नउद्धार इत्यादि के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 2028.82 लाख रुपए का अनुदान मुहैया करवाया था।

Cases of Women Harrasment

32. Shri Hari Chand Midha : Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases of women harassment registered in the State during the year 2013-14 and 2014-15 separately together with the steps taken by the government to prevent the harassment of women ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना निम्न प्रकार से है :-

सूचना

(i) पंजीकृत मामलों की संख्या

क्रम संख्या	अपराध की श्रेणी	2013-14 (01.04.2013 से 31.03.2013)	2014-15 (28.02.15 तक)
1.	दहेज हत्या (304 बी भा.द.स.)	267	245
2.	बलात्कार (376 बी भा.द.स.)	950	967
3.	भागना/भगा ले जाना (363/366/376 बी भा.द.स.)	274	209
4 क.	छेड़छाड़ (354 बी भा.द.स.)	821	728
ख.	यौन उत्पीड़न (354-ए भा.द.स.)	400	372
ग.	पोशाक उतारना (354-बी भा.द.स.)	218	201
घ.	छिपकर देखना (354-सी भा.द.स.)	10	20
ड.	पीछा करना (354-डी भा.द.स.)	234	197
5.	महिलाओं व लड़कियों का अपहरण (363/365/366 भा.द.स.)	1833	2023
6.	दहेज उत्पीड़न (498-ए भा.द.स.)	3507	2999
7.	तेजाब फेंकना (326-ए, 326-बी भा.द.स.)	6	4
	कुल	**8430**	**7965**

(ii) महिला विरूद्ध अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

हरियाणा सरकार महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रति अति संवेदनशील है। सुरक्षा जांच, अभियोजन और ऐसे केसों की सुनवाई के लिए व्यापक व विस्तृत दिशा निर्देश हाल ही में बेलार संदेश नं0 2255-228/सी.ए.डब्ल्यू-1 दिनांक 07.03.2015 (पताका 'I') के अनुसार जारी किए गए हैं।

महिलाओं के विरूद्ध जघन्य अपराध से सम्बन्धित मामलों में तुरन्त सुनवाई के लिए 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं ताकि पीड़ितों को तुरन्त न्याय मिल सके।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए संकट के समय अधिकारियों द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों में विशेष रूप से महिला कर्मचारी तुरन्त कार्यवाही के लिए तैनात की गई है। राज्य में (31) महिला पी.सी.आर. कर्मचारी कार्यरत हैं, वे अपराध से सम्बन्धित महिलाओं/लड़कियों से मिली शिकायतों के बारे में तुरन्त कार्यवाही और सुरक्षा देने और यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करवाती है। यह महिला विरूद्ध अपराध सम्भावित क्षेत्र में गश्त भी करती हैं।

दो महिला पुलिस थाने सोनीपत व खानपुर कलां जिला सोनीपत में स्थापित किए गए हैं।

चार अंकीय निःशुल्क महिला हैल्प लाईन नं0 1091 हरियाणा के प्रत्येक जिले में सक्रिय है। जिस पर विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मचारी तैनात है। महिला हैल्प लाईन की जानकारी के बारे में व्यापक प्रचार किया गया है। मध्य व वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों को हैल्प लाईन के कामकाज पर नजर रखने व प्रत्येक प्राप्त शिकायत पर शीघ्र व उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतू तैनात किया गया है।

महिला विरूद्ध अपराधों के निपटान हेतू सभी जांच अधिकारियों, डी.एस.पी., निरीक्षक, उपनिरीक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

महिला विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस दल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, शापिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गश्त के लिए तैनात किए जाते हैं।

एक महिला पुलिस महानिरीक्षक (महिला विरूद्ध अपराध) विशेष रूप से हर गम्भीर यौन अपराध के मामले में कार्यवाही की निगरानी व शीघ्र कार्यवाही के लिए राज्यय स्तर पर तैनात किया गया है।

महिला विरूद्ध अपराधों में कार्यवाही व निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में एक महिला डी.एस.पी./इन्सपैक्टर प्रत्येक जिला में तैनात हैं। महिला विरूद्ध अपराधों में शीघ्र कार्यवाही के लिए उच्च स्तर के वकीलों में से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय समिति में जिला न्यायधीश, पुलिस अधीक्षक व जिला न्यायवादी नियमित रूप से महिला विरूद्ध अपराधों के मामलों की समीक्षा करते हैं।

To Metal the Platform of Grain Market

53. Shri Pirthi Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the platform of New Grain Market of Narwana; and

(b) if so, the time by which the abovesaid work is likely to be completed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी हां, श्रीमान्।

(क) नई अनाज मण्डी, नरवाना के द्वितीय चरण में पक्का प्लेटफार्म बनाने का प्रस्ताव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विचाराधीन है।

(ख) पक्का प्लेटफार्म वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बनाया जाना संभावित है।

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, बेमौसमी बरसात के कारण हरियाणा प्रदेश में जो तबाही हुई है, उसकी तरफ न जाते हुए यह सरकार आँख व कान बंद करके झूठा श्वेत पत्र पेश करके जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। सरकार के पास किसानों की दिक्कतों को समझने व देखने का कोई समय नहीं है, इसलिए हमारा जो स्थगनादेश प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

11.00 बजे

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि श्वेत पत्र को जो झूठा पत्र कहा गया है, उस शब्द को वे वापिस लें। श्वेत पत्र सरकारी दस्तावेज होता है। सरकारी दस्तावेज आंकड़ों व तथ्यों पर आधारित होता है। माननीय सदस्य को अधिकार है कि यदि कोई आंकड़ा गलत है तो उस आंकड़े को चुनौती दे। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जिम्मेदारी है कि उस आंकड़े को प्रमाणित करें, इस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्वेत पत्र को कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने काला पत्र जरुर कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह श्वेत पत्र पिछले 10 साल के काल खण्ड के काले कारनामों के कार्यों के ऊपर आधारित पत्र है। यह पत्र अपने आप में श्वेत पत्र है। श्वेत पत्र के आंकड़ों को जिस माननीय सदस्य ने चुनौती देनी है, वह दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इन आंकड़ों को प्रमाणित कर देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हमने बेमौसमी बरसात के ऊपर स्थगनादेश प्रस्ताव दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, आज बैठ जाइये। आप स्वाईन फ्लू के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, नियम 66 व 67 के तहत स्थगनादेश प्रस्ताव दिया हुआ है उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपने स्थगनादेश प्रस्ताव आज (मंगलवार) 9.02 बजे दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एक तो ओलावृष्टि और दूसरा स्वाईन फ्लू। यदि इस सदन में इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो किसी के ऊपर भी चर्चा नहीं की जा सकेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगनादेश प्रस्ताव के बारे में बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे लगता है कि आप लोग सुनने के लिये तैयार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगनादेश प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थगनादेश प्रस्ताव 9.02 बजे आया है और यह विचाराधीन है। कल स्थगनादेश के बारे में फैसला करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 9 तारीख को दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपका स्थगनादेश प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी।

श्रीमती किरण चौधरी : नियम के मुताबिक स्थगनादेश प्रस्ताव 1 घण्टे पहले दिया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपका जो रबाइन फलू का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है हमने इसको स्वीकार कर लिया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, हमने एडजर्नमैंट मोशन दिया है। इसे आप रूल में लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस पर 2 लोगों के साईन हैं जबकि 11 लोगों के साईन जरूरी हैं। आपने इसे विधानसभा सैक्रेटेरियट को 9 बजकर 2 मिनट पर दिया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, अगर आप चाहें तो इसे रूल में देख सकते हैं। Speaker Sir, you may ask for the leave of the House. We are ready. सर, आप रूल्स पढ़ लीजिए। यह रूल में लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी आप रूल्ज के अंदर देखिये। We are all in the House. This is a matter of grave public importance.

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विपक्षी सदस्य किसानों की चिंता न करें। हमारी सरकार उनसे ज्यादा संवेदनशील है। मैं खुद खेतों में गया हूं और हमने गिरदावरी के आदेश कर दिये हैं। ये नकली आंसू न बहाएं। सरकार ने गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, सरकार कह रही है कि हम जवाब देना चाहत हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप एक मिनट बैठिए।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष जी, इन्होंने पिछले दस साल किसी को बोलने नहीं दिया। पहले किसी को बोलने नहीं दिया है और अब ये सुन भी नहीं सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, हम सुनने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्ताव 9:02 मिनट पर दिया है। आपको इसे एक घंटा पहले देना चाहिए था।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, अगर सरकार संवेदनशील है तो जवाब दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हम इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल हम स्वाइन फ्लू से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर लेते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, रूल में यह प्रावधान है कि जब हाऊस में एडजर्नमैंट मोशन आ जाता है तो rest of the business gets suspended. जब एडजर्नमैंट मोशन आता है तो सारा काम छोड़कर उस पर चर्चा की जाती है।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह हो ही नहीं सकता है। जो कायदे-कानून हैं उनका पालन तो करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सरकर किसान विरोधी सरकार है।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह किसान विरोधी सरकार है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, सरकार को जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें आखिर आपको आपत्ति क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज जो स्वाइन फ्लू के बारे में ध्यानकर्षण सूचना 12 है उसको जो ध्यानकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ ब्रेकटिड कर दिया गया है, पहले उस पर चर्चा कर ली जाए। उसके बाद जो दूसरे ध्यानकर्षण प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा कल कर ली जायेगी। अब आप सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं इस सदन में दी हैं और मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उनके बारे में सरकार का क्या रोड मैप है और उनका फेट क्या है ? जैसा कि आपने कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तीन जिलों को छोड़कर पूरे हरियाणा प्रदेश को तबाह किया है। हमारा जीन्द जिला पिछड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना विचाराधीन है।

डा0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, प्रदेश में किसानों को कितना नुक्सान हुआ है इसके बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन लाया गया है और आपने यह कहा है कि उस पर 11 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि It is wrong to suggest according to the Rules. According to Rules 69 (2) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly:-

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than eleven members rise according. The Speaker shall intimate that leave is granted.******** ".

इस विषय पर एक घण्टे की चर्चा होनी चाहिए। किसानों को इतना बड़ा नुक्सान हुआ है इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अलाऊ किया है। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Speaker has allowed me to speak. I have to speak. (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य विधान सभा के कायदे-कानून नहीं जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) You should learn to honour the Chair.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमने आपकी बात को मान लिया है जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे साथी सदस्यगण सदन की मान्यताओं को मानना ही नहीं चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, you are kind enough. आपने इनकी Adjournment Motion को गंभीरता से लेते हुए अपनी रूलिंग दे दी है तथा कल इस पर चर्चा के लिए अनुमति भी दे दी है। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker sir, it is not a ruling. (interruption). We want your ruling.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये साथी इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) They only want to spoil the time of the House. अध्यक्ष महोदय, जब आपने अपनी रूलिंग दे दी है तो उसके बाद इनको किताबें दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) You have given your ruling. They should honour your ruling.

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप किसानों की बदहाली नहीं देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने इनकी Adjournment Motion को Calling Attention Motion में कन्वर्ट कर दिया है और स्वीकार कर लिया है । They should honour your ruling and should also respect the Chair. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 3 माननीय सदस्यगण श्री रणबीर गंगवा, श्री नगेन्द्र भढाना तथा श्री हरिचंद मिढा जी ने जो स्वाइन फलू पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 12 दिया है। (शोर एवं व्यवधान) समान विषय होने के कारण इस प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 4 के साथ जोड़ दिया गया है। इस पर चर्चा के दौरान इनको भी सप्लीमैंटरी पूछने की अनुमति दी जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

वाक ऑउट

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तथा हमारा Adjournment Motion स्वीकार नहीं करते हैं तो हम as a protest सदन से वॉक-आउट करते हैं ।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कॉंग्रेस पार्टी के श्री करण सिंह दलाल तथा अन्य माननीय सदस्यगण भारी वर्षा व ओलावृष्टि तथा किसानों की फसलों को हुई क्षति के कारण किसानों में भारी रोष तथा निराशा सम्बंधी उनके द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किये जाने के विरोधस्वरूप सदन से बॉक-आउट कर गये)

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भण)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन के मान सम्मान का सवाल है। कुलदीप शर्मा जी ने स्वाइन फ्लू के ऊपर अपना कालिंग अटैंशन मोशन दिया और आपने उसको स्वीकार भी कर लिया। आपने उनको बोलने की इजाजत भी दे दी और आज ये वाक आउट करके जा रहे हैं इससे पता चलता है कि ये सदन के प्रति कितने गम्भीर हैं, It is an insult to this august House. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी रणबीर गंगवा के कालिंग अटैंशन मोशन के साथ आपने कुलदीप शर्मा जी का स्वाइन फ्लू के ऊपर दिया गया कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार करके क्लब कर लिया है और उनको बोलने के लिए सम्बोधित किया है तथा सभी माननीय सदस्यों को उसकी प्रति भेजी हुई है फिर भी ये वाक आउट करके जा रहे हैं, it is an insult to this august House. अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप उनको बोलने के लिए बुला रहे हैं और दूसरी तरफ ये राजनैतिक एजेंडा पेश कर रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातों का दुख है। आज सदन में मुझे दो बार ऐसा लगा कि सदन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कोई व्यक्ति या ग्रुप महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण लाल पंवार ने उनके साथ हुई दिक्कत का मुद्दा उठाया तो सदन में उनको चैलेंज किया गया और पूरे गर्व के साथ सदन को चुनौती दी गई। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार किसानों के मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है। जब पहली बारिश हुई तो पहले ही दिन मैं खेतों में गया और सभी समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। यह समाचार भी सभी समाचार पत्रों में आया है कि हमने सभी बैंकों को पत्र लिखा है कि जिन किसानों ने फसली ऋण लिया हुआ है और अगर बीमे की राशि काटी गई है तो उन बीमा कम्पनियों से भरपाई करवाने के लिए बैंक सक्रिय हों क्योंकि सरकार इस बारे में पूरी तरह से सचेत और संवेदनशील है। इसके लिए हम किसी भी बहस के लिए तैयार हैं और हर कंसर्नड को हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ये व्यक्ति सदन के प्रति अपने अभिमान को दिखा रहे हैं जिसके बारे में हमें जरूर चिंता करनी चाहिए।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं क्योंकि गिरदावरी तो हर साल होती है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जो दो बार वर्षा हुई है उसके बाद हमने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं और ओला वृष्टि के बाद भी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। (विघ्न)

विभिन्न मामले उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे सदन का समय बर्बाद हो। अध्यक्ष महोदय, आपने कांग्रेस का एडजर्नमैंट मोशन तो इस बात पर रिजैक्ट कर दिया कि वह 9 बजकर दो मिन्ट पर आया और हमने ओला वृष्टि और बारिश पर परसों प्रस्ताव दिया था जिसको आपने कल के लिए रखा है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मामला है। अध्यक्ष महोदय, मोशन पढ़ना था और इस पर मंत्री जी जवाब दे देते तो दो मिन्ट लगने थे और इतना बड़ा हंगामा नहीं होना था। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्र सरकार बिल लेकर आ रही है और आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि केंद्र सरकार उसमें कुछ संसोधन करने के लिए तैयार है। यह अच्छी बात है कि भूमि अधिग्रहण बिल में संसोधन हो जाए और किसानों को कोई नुक्सान न हो। अध्यक्ष महोदय, जो भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार लेकर आ रही है उससे सबसे ज्यादा अफैक्टिड हरियाणा प्रदेश है क्योंकि हमारा प्रदेश दिल्ली के चारों तरफ है और बहुत सा एरिया एन.सी.आर. में आता है। मेरा सुझाव है कि हमारी असैम्बली में भी इस पर चर्चा कराई जाए और सर्वसम्मति से 1-2 लाईन का प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय, आज एन.सी.आर. के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के 60 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टेयर से भी कम भूमि बची है अगर वह जमीन भी उनसे ले ली जाएगी और वह जमीन बचाने के लिए किसान कहीं अपील नहीं कर पायेगा तो वह बर्बाद हो जाएगा। आज एन.सी.आर. के एरिया में किसानों के पास जमीन बहुत कम है और जो बची भी है यदि उसको भी एक्वायर कर लिया जाऐगा तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस समय सदन के नेता उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि भूमि अधिग्रहण बिल पर हमारे यहां भी चर्चा करवाकर सर्वसम्मति से 1-2 लाईन का प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए तो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी बात होगी।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी ने भूमि अधिग्रहण बिल के संबंध में प्रस्ताव पास करने की बात कही है। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि पार्लियामैंट का अधिवेशन चल रहा है और यह बिल भारत की पार्लियामैंट का बिल है। माननीय साथी की राय सही हो सकती है लेकिन when the Parliament is in Session, no Assembly can amend it because it is totally the prerogative of the Parliament. यह पार्लियामैंट का विशेषाधिकार है। उसके ऊपर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सदन की कार्यवाही वहां पर चल रही है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने को लेकर आज प्रदेश का किसान जेलों में है। मेरा अनुरोध है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे बात-चीत का रास्ता निकालकर इस

[श्री जय प्रकाश]

मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि बहुत से किसान जो जेलों में बंद हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है और सुनने में आ रहा है कि किसान जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के किसान बहुत दुखी हैं। मेरा सुझाव है कि जेल की बजाय किसानों से बात-चीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान भी निकालना चाहिए। ऐसा करना किसानों और सरकार दोनों के हित में होगा।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री कृष्ण लाल पंवार द्वारा

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष ने इसी विधान सभा में मेरे खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। मैंने इस बारे में चण्डीगढ़ पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई थी जो कि आज भी दर्ज है। उन्होंने आज आपको भी चैलेंज किया और सदन को भी चैलेंज किया कि इस पर कार्रवाई करवा ली जाए। मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्री कुलदीप शर्मा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए या वे सदन से माफी मांगे।

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भण)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की बात सही है कि जिस तरह का व्यवहार श्री कुलदीप शर्मा जी ने किया है उसके लिए वे सदन से माफी मांगे या उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए।

डॉ0 पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपने सदन की अवधि लम्बी रखी ताकि सभी नये सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके इसे सभी सदस्यों के साथ-साथ हरियाणा की जनता ने भी सराहनीय कदम बताया लेकिन माननीय करण सिंह दलाल और माननीय कुलदीप शर्मा जी का जिस तरह आज व्यवहार रहा है इस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय करण सिंह दलाल जी 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं और माननीय कुलदीप शर्मा जी इसी सदन में अध्यक्ष रहे हैं। उनका इस तरह का व्यवहार आचरणीय नहीं है। सभी नये सदस्य खुश थे कि सदन में अच्छी चर्चा होगी जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और वे अपने हल्के की बातें भी कह सकेंगे। सदन में आज इस तरह का माहौल देखकर नये सदस्यों को तो हैरानी हुई ही है बल्कि प्रदेश की जनता इस पर क्या सोचेगी ? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री जसविन्द्र संधू : स्पीकर सर, जैसा कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर शर्मा जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल को देश की पार्लियामैंट में भी चर्चा के लिए रखा हुआ है। इसी प्रकार से

मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. के निर्माण का मुद्दा हरियाणा और पंजाब दोनों के स्टेट के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बारे में कई बार ऐसे मौके आये हैं जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस समय भी पंजाब विधान सभा द्वारा यूनानीमसली पंजाब प्रदेश के हित में हमारे खिलाफ यह रेजोल्यूशन पास किया गया है। हमें भी अपने हरियाणा के लोगों की भावना ही व्यक्त करनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हमें भी हरियाणा प्रदेश के हितों को देखते हुए इस बारे में यूनानीमसली रेजोल्यूशन पास करके केन्द्र सरकार को हरियाणा के किसानों की भावनाओं से अवगत नहीं करवाना चाहिए ? अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई किसी प्रकार का हर्ज़ नहीं है। यह एक बड़ा अहम मुद्दा है। किसानों की भूमि को रिलीज़ करवाने के लिए अगर हम कोर्ट में नहीं जा सकते तो इससे बढ़कर किसानों के साथ क्या ज्यादती हो सकती है? इसलिए मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन के नेता भी यहां पर बैठे हैं तो क्यों न हमें इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर यूनानीमसली रेजोल्यूशन पास करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करके देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंचानी चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर सर, यहां पर एक मुद्दा माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी के द्वारा उठाया गया है। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे कल वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास आये थे उस समय मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और किसानों के बीच में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और उन्होंने जो-जो मुद्दे उठाये उनके बारे में हरियाणा सरकार से सम्बंधित जो भी पक्ष थे हमने उनको बहुत ही स्पष्टता के साथ उनके सामने रखे। उनके कुछ विषय केन्द्र से सम्बंधित थे उनके बारे में हमने उनसे कहा कि अगर वे इस बारे में केन्द्रीय नेताओं या केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से मिलना चाहते हैं और लैंड एक्वीजिशन बिल पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से मिलना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपका समय तय करवा देते हैं और आप उनसे मिलकर अपनी बात उनके सामने रखें। इस बारे में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार का रवैया बातचीत के माध्यम से कारगर हल निकालने का है और किसी भी किसान को जेल में रखने का नहीं है। जो जेल भरो आंदोलन चल रहा है वह स्वयं किसानों की तरफ से ही चल रहा है। अगर कोई किसान जेल से बाहर जाना चाहेगा तो सरकार उसको रोकेगी नहीं सरकार जेल में बंद सभी किसानों को रिहा करना चाहती है और किसी को भी अंदर नहीं रखना चाहती। दूसरी बात मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग के विषय में हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर एक बहुत अच्छी पहल की है। जब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की तरफ से हमारे पास यह पत्र आया कि आगामी खरीफ की फसल के लिए एम.एस.पी. कितना हो इसकी रिकमैंडेशन दीजिए। इस पर हमने अपनी रिकमैंडेशन पुराने प्रारूप पर देने के बजाये नये रूप में अपनी रिकमण्डेशन भेजी हैं। हमने कहा है कि यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कांसैप्ट है यह 1964-65 में शुरू हुआ था और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य बन गया है। उस समय तो यह सोचा गया था कि बाज़ार में किसानों की फसल के इस मूल्य से ऊंचे दाम मिलेंगे और अगर उससे ऊँचा मूल्य बाज़ार में नहीं मिलता है तो उस मूल्य पर सरकार को किसान की फसल को खरीदना होगा लेकिन समय के साथ-साथ यह मूल्य ही अधिकतम मूल्य बन गया। समय के साथ-साथ किसानों की लागत भी बढ़ती चली गई और इसके कारण से आमद भी घटती चली गई। इसलिए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लागत और मूल्य कमीशन बनाया गया। बाद में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने चेयरपर्सन और सदस्यों को बदल

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

दिया गया और स्वामीनाथन जी उस आयोग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके चार वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट वर्ष 2006 में दे दी लेकिन वह पैंडिंग पड़ी रही और उसको एग्जामिन करने के लिए बाद में चार मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने बड़ा परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और इस प्रकार से दिसम्बर, 2010 में वह रिपोर्ट सबमिट हो गई लेकिन उसके बाद भी वह रिपोर्ट इम्पलीमैंट नहीं हुई और किसानों की तरफ से इस रिपोर्ट को इम्पलीमैंट करने की मांग चलती रही। जब यह विषय हमारे पास सिफारिश के लिए आया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह की और सलाह करके हमने उसमें निवेदन किया कि एम.एस.पी. के कांसैप्ट को आप बदलिये और इसको प्रॉफिटेबल प्राईस पर लेकर आईये जैसा कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है। स्वामीनाथन कमीशन ने एक मानक दिया गया है कि आप 50 प्रतिशत मुनाफा दीजिए लेकिन सरकारों के जितने रिसोर्सिज़ हैं और जिस तरह से उन्हें उस पर आगे बढ़ना है उसका आकलन हमने भी किया है हमने भी यह पाया है कि एक साथ हम 50 प्रतिशत के प्रॉफिट पर नहीं जा सकते। हमने जो अभी हिसाब-किताब लगाया कि जिस प्रकार का भी समर्थन मूल्य पूरे देश में है उसमें अगर हम पूरे देश का औसत देखते हैं तो पूरे देश के औसत के हिसाब से 20 प्रतिशत मुनाफा है। हमने कहा है कि आप स्टैप-बाई-स्टैप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना शुरू करें। आप अभी 20 प्रतिशत मुनाफा दे रहे हैं इसमें अभी आप 10 प्रतिशत की और बढ़ौतरी कीजिए। हम इसको 30 प्रतिशत करने का आपको निवेदन करते हैं। इस प्रकार से आप आने वाले वर्षों में स्टेप-बाई-स्टैप 50 प्रतिशत तक लेकर जाईये। यह निवेदन हमने इस बारे में किया है मुझे इस बात की खुशी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि पूरे देश में सभी 29 राज्यों में हरियाणा सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने इस पैटर्न पर किसानों को उनकी फसलों के दाम देने की सिफारिश की है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में अपना वक्तव्य दिया है। इसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने भूमि अधिग्रहण के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये थे कि इस बारे में भी एक प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा की तरफ से पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य छपा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना केन्द्र सरकार के अधीन आता है न कि हरियाणा सरकार के अधीन। यहाँ पर सदन के नेता भी मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं, मेरी यह मांग है कि हरियाणा विधान सभा की तरफ से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये जिसमें सिफारिश की जाये कि हरियाणा के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये हरियाणा विधान सभा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करती है। इस मुद्दे पर सभी सदस्यों की एकजुटता दिखाई देनी चाहिए। इस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के लिए बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगी थी तथा यह किसानों के हित में है। इससे पहले भी इस तरह के प्रस्ताव एस.वाई.एल. और बी.एम.एल. हांसी-बुटाना नहर के बारे में पास करके केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। आज हरियाणा के किसानों के चेहरे पर चिन्ता की लकीर है तथा उनकी चिन्ता दूर करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजा जाना चाहिए ताकि हमारी बात वहाँ पर पहुंच सके।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी कही गई है। इसलिए इसको लागू किया जाये।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तो 20 परसैंट की बात की है।

श्री अध्यक्ष : उसको धीरे-धीरे बढ़ाते हुये ऊपर तक लेकर जायेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, जो 50 परसैंट तक लेकर जाने की बात कही है। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी पहल पर इस सिफारिश को भेजा है। जहाँ तक हमारे घोषणा पत्र की बात है तो शनैः-शनैः इस काम को किया जा सकता है। कोई भी सरकार अपने रिशोर्सिज के हिसाब से तथा अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चीजों को इम्पलीमैंट करती है। लगभग इसी तरह की इकॉनोमी हमारी सरकार को केन्द्र में भी मिली है। वहाँ पर भी इस बजट में केवल इतनी सी बात की गई है कि किस प्रकार से हम पिछली सरकार के गड्ढों को भरते हुये आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि ज्यों-ज्यों सरकार के पास रिसोर्सिज उपलब्ध होंगे सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। सभी सदस्यों की मंशा को समझते हुये हमने अपनी भावना के साथ केन्द्र सरकार के पास अपनी सिफारिश भेजी है। इवन व्यक्तिगत बातचीत में भी जब भारत के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन जी यहाँ चंडीगढ़ में हमारे विभाग के साथ बात करने आये थे तो उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी और हमने अपनी बातचीत में उनसे इस निवेदन को आगे बढ़ाया कि कैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में फैल रही स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलने के कारण लोगों में भारी रोष तथा दहशत से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रणबीर गंगवा, श्री नगेन्द्र भढाणा तथा श्री हरिचन्द मिढ्ढा एम.एल.एज. की तरफ से हरियाणा में फैल रही स्वाइन फ्लू की बीमारी के कारण लोगों में भारी रोष तथा दहशत से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिला है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। श्री फुलदीप शर्मा, विधायक की तरफ से भी समान विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 12 दिया है। मैंने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 4 के साथ जोड़ दिया है, इस पर चर्चा के समय उनको भी सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाएगी। अब श्री रणबीर गंगवा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलने के कारण, हरियाणा राज्य के लोगों में भारी रोष तथा दहशत है। राज्य के ज्यादातर भाग इस बीमारी की चपेट में हैं तथा इस बीमारी के कारण हरियाणा के निवासियों में भय है। विभिन्न जिलों जैसे कि यमुनानगर, सोनीपत,

[श्री रणबीर गंगवा]

रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा भिवानी के बहुत से व्यक्तियों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है। विभिन्न दैनिक समाचार पत्र गत् तीन महीने से राज्य में स्वाइन फ्लू की गम्भीरता के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं । राज्य सरकार इस बीमारी को रोकने में गम्भीर नहीं दिखती है। गम्भीरता के दृष्टिगत, सरकार को यदि जरूरत है, तो राज्य में स्थित निजी अस्पतालों से सहायता मांगे। इस प्रकार, दिन प्रतिदिन स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ रही संख्या तथा गम्भीरता के दृष्टिगत, राज्य सरकार इसे रोकने के लिए तुरन्त आवश्यक पग उठाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है तथा हमारा हरियाणा प्रदेश भी इसकी चपेट में आ चुका है। स्वाइन फ्लू के अनेक मामले हरियाणा प्रदेश में पकड़ मे आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मौसमी फ्लू की अनदेखी के कारण जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार इस मामले में विफल रही थी, मैं यह मान कर चलता हूँ कि उसी प्रकार हरियाणा की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसकी रोकथाम में विफल रही है। समाचार पत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 25 से ज्यादा मौतें स्वाइन फ्लू के कारण हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों को सावधान करने में नाकाम रही है। स्वाइन फ्लू के संदीग्ध मरीजों के खून के नमूने लेकर तत्काल बीमारी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने में सरकार ने कोताही बरती है। ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं जहाँ नजदीकी अस्पताल के डॉक्टर स्वाइन फ्लू के पीड़ित की हालत बिगड़ते देख कर उसको बड़े अस्पतालों में भेज देते हैं ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से बच सके। आज अगर किसी व्यक्ति को जुखाम या बुखार हो जाता है तो उसको बहुत डर सताता है कि कहीं उसको स्वाइन फ्लू न हो गया हो। आज प्रदेश में कोई भी इस तरह की प्रयोगशाला नहीं है जिसमें यह पता लगाया जा सके कि स्वाइन फ्लू है या नहीं है।

इस गम्भीर समस्या के दृष्टिगत, सरकार को सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 साथ ब्रेकटिड की गई

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान् सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलावा चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू की घटना एक गम्भीर चिंता का विषय है तथा राज्य सरकार निष्क्रिय रूप में कार्य कर रही प्रतीत होती है। बहुत से लोग स्वाइन फ्लू की पकड़ में आए हैं तथा इसकी बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण बहुत सी मौतें हुई। इसे नियंत्रित करने के लिये अस्पताल में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये हैं। आम आदमी के उचित इलाज का प्रबंध करने के लिये सरकार द्वारा लापरवाही दिखाई जा रही है। उक्त बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य के स्वाइन फ्लू से पीड़ित निवासियों की ओर सरकार के ऐसे उदासीन रवैये के कारण मरीज तथा उनके परिवार व्यथित हैं। सरकार के इस सुस्त रवैये के कारण प्रतिदिन स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में न तो स्वाइन फ्लू से प्रभावित मरीजों के लिए कोई विशेष प्रबंध हैं और न हीं स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त दवाईयां हैं। राज्य के अस्पताल में संक्रमण का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाएं पूरी तरह से सज्जित नहीं हैं क्योंकि राज्य में एच 1 एन 1 का संक्रमण का पता लगाने की सुविधा नहीं है तथा इनकी जांच करने के लिए सैम्पल

पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में भेजे जा रहे हैं जो वहां भारी भीड़ होने के कारण बहुत समय लेते हैं। स्वाइन फ्लू के कारण जनता में भारी दहशत है। फिर भी स्वाइन फ्लू मरीजों का उपचार करने तथा उन्हें अन्य मरीजों से अलग पृथक वार्ड में रखने के लिए अस्पतालों द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। उक्त बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं? यह सबके लिए चिंता का विषय है।

इस गम्भीर समस्या के दृष्टिगत, सरकार को सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

वक्तव्य-

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा स्वाईन फ्लू के विषय में व्यक्त की गई चिन्ता की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार भी राज्य में हो रहे स्वाईन फ्लू के बढ़ते मामलों के प्रति उतनी ही संवेदनशील है। यद्यपि ये मामले हरियाणा तक ही सीमित नहीं हैं। वर्ष 2015 में पूरे भारत में स्वाईन फ्लू के 24 हजार 670 मामले आए हैं जिनमें 1319 की मौत हो गई है। जिनमें से अधिकतर सकारात्मक मामले राजस्थान राज्य से आए हैं जहां 5898 मामले मिले जिसमें से 305 की मौत हो गई है। गुजरात में 5411 मामले आए हैं जिनमें 324 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 201 की मृत्यु हुई है, मध्यप्रदेश में 186 की मृत्यु हुई है, पंजाब में 47 की मृत्यु हुई है और हरियाणा प्रदेश में 252 मामले अभी तक पोजीटिव पाए गये हैं। जिनमें से 27 की मृत्यु हुई है। अध्यक्ष महोदय, स्वाईन फ्लू वर्ष 1918 में एनिमल से यानि कि पिग से इन्सान में आया था तब से लेकर अब तक यह समय-समय पर अपना प्रकोप दिखाता आ रहा है। पिछले समय में भी स्वाईन फ्लू ने हमारे देश में काफी प्रकोप दिखाया है। वर्ष 2009 में 1968 मामले आए थे जिनमें से 38 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2010 में 136 मामले आए थे जिनमें से 12 की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2011 में 6 मामले आए थे जिनमें से 4 की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2012 में 18 मामले आए थे जिनमें से 6 की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2013 में 450 मामले आए थे जिनमें से 41 की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2014 में 5 मामले पोजीटिव आए हैं जिनमें से 1 की मृत्यु हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इसका जिला वार ब्योरा भी सदन के पटल पर रखा गया है। 15 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अपने पत्र के माध्यम से स्वाईन फ्लू को मौसमी इन्फ्लूअंजा घोषित किया गया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसी जुकाम तथा नजदीकी सम्पर्क से होता है। चूंकि सर्दी के मौसम में प्रतिरक्षण शक्ति कम होने तथा वायरस के इस मौसम में अधिक संचरण होने के कारण स्वाईन फ्लू फैलने के लिए अनुकूल वातावरण होता है, इसका प्रमाण यह है कि पूरा उत्तर भारत स्वाईन फ्लू के चपेट में है। यह उल्लेख किया जाता है कि मेवात और नारनौल को छोड़कर हरियाणा के बाकी सभी जिलों से 252 मामले सकरात्मक आए हैं। इस वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष ज्यादातर सकारात्मक मामले एन.सी.आर. जिलों से ही आए थे। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि स्वाईन फ्लू से होने वाली मौतें गम्भीर निमोनिया तथा श्वास सम्बन्धी जटिलताओं के कारण होती है। अधिकतर मौतें साथ में पाये जाने वाले अन्य गम्भीर रोगों से सम्बन्धित रोगियों की हुई हैं।

[श्री अनिल विज]

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस मामले में उच्च सतर्कता दर्शाई गई है तथा तत्काल कार्रवाई की गई है।

- स्वाईन फ्लू मामलों के प्रबन्धन, दवाएं, आई0ई0सी0 गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश (सर्दी के बढ़ते ही) 29.12.2014 को पुन: निर्देशित कर दिये गये थे।
- उपचार पूर्णतया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है तथा स्वाईन फ्लू के मामलों को लक्षणों तथा रोगी के स्वास्थ्य के आधार पर ए0, बी0 तथा सी0 वर्गों में बांटा गया है।

  वर्ग 'ए' :- जिन रोगियों को मामूली बुखार, खांसी और गले में खराश, बदन दर्द अथवा बदन दर्द के बिना, सिर दर्द तथा उल्टियां लगी हों, उन्हें टैमीफ्लू दवा की जरूरत नहीं है तथा एच01 एन01 परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती।

  वर्ग 'बी' :- ए0 वर्ग के चिन्हों एवं लक्षणों के अतिरिक्त उच्च जोखिम समूह के रोगियों जैसे गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष और इस से अधिक आयु के रोगी, फेफड़ों के रोग से पीड़ित रोगी, हृदय रोग, जिगर रोग, गुर्दे के रोग, रक्त डिसार्डर, मधुमेह, स्नायु रोग, कैंसर, एच0आई0वी0/एड्स तथा दीर्घकालिक कॉरटीसोन की थैरेपी पर निर्भर रोगी बी-वर्ग में सम्मिलित हैं। इन रोगियों को घर में अलग रखने तथा ओसेल्टेमीवीर द्वारा उपचार करने की आवश्यकता होती है। इन रोगियों का एच01 एन01 परीक्षण आवश्यक नहीं है।

  वर्ग 'सी' :- वर्ग 'सी' में वे रोगी आते हैं जिन्हें सांस फूलने, सीने में दर्द, उनींदापन, थूक में खून आना, नाखूनों का रंग नीला होना तथा पुरानी बीमारी के और बिगड़ने की समस्या हो। वर्ग-सी के सभी रोगियों को एच01 एन01 परीक्षण और तत्काल अस्पताल में भर्ती करके उपचार की आवश्यकता है।
- हरियाणा राज्य में एच01 एन01 जांच के लिए दो अधिकृत प्रयोगशालाएं जोकि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली, स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा एवं अन्वेषण संस्थान (PGIMER) चंडीगढ़ हैं।
- स्वाईन फ्लू पर नियंत्रण पाने हेतु क्या करना चाहिए व क्या न करना चाहिए सहित आवश्यक सावधानियों के बारे में लोगों का मार्ग दर्शन करने बारे समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनके प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर दिये गये।
- सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी, स्कूलों के प्रधानाचार्य, पंचायत के सदस्यों, भारतीय चिकित्सा संगठन के सदस्यों तथा निजी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठकों, प्रिन्ट मीडिया तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना तथा प्रसारण गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- पी.जी.आई.एम.ई.आर. चण्डीगढ़, पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक के उच्च अधिकारियों तथा क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार के साथ स्वाईन फ्लू के रोगियों के प्रबंधन की स्थिति और स्तर की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा बैठक करवाई गई।
- सभी 21 जिलों की सर्वेक्षण यूनिटों से दैनिक रिपोर्ट प्राप्त हो रही है तथा इसका मूल्यांकन एवं निगरानी राज्य सर्वेक्षण यूनिट द्वारा किया जा रहा है।

- सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं तथा साथ ही किसी भी तत्काल आवश्यकता में सिविल सर्जन को अपने पास उपलब्ध बजट में से खर्च करने के लिए पूरी तरह से सशक्त (empowered) किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में Tamilflu व पी0पी0ई0 किट प्राप्त की हैं।
- जरूरत पड़ने पर सभी जिलों के निजी अस्पताल वेंटीलेटर सुविधा देने के लिए तैयार हैं। सरकारी मैडीकल कॉलेज व अस्पताल में कुल 70 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं तथा 254 वैंटीलेटर निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं।
- सरकारी संस्था में भर्ती रोगियों के लिए यदि आवश्यक हो तो सिविल सर्जन निजी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटीलेटर प्रयोग में ला सकते हैं। इस खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

जिलावार दवाइयों तथा अन्य उपकरणों का विवरण निम्न अनुसार है :-

जिले का नाम	पी0पी0ई0 किट्स	टैमिफ्लू			आईसोलेशन वार्ड बैड	वैंटिलेटर	
		30 एम0जी0	45 एम0जी0	75 एम0जी0		सरकारी	प्राईवेट
1	2	3	4	5	6	7	8
अम्बाला	4	0	130	120	2	0	11
भिवानी	60	1720	0	1280	12	0	2
फरीदाबाद	15	0	0	400	10	7 डी.एच.	100
फतेहाबाद	25	0	0	339	10	0	5
गुड़गांव	90	500	0	4500	3	6 डी.एच.	20
हिसार	148	0	0	500	4	0	29
झज्जर	410	130	5	55	12	0	4
जीन्द	105	490	0	1210	6	0	6
करनाल	85	280	0	150	8	0	7
कैथल	35	0	0	450	4	0	4
कुरुक्षेत्र	11	70	0	90	4	0	6
मेवात	50	100	0	360	6	5 एम.सी.	0
नारनौल	80	0	0	500	8	0	5
पंचकुला	185	210	0	605	2	2 जी.एच.	17
पानीपत	116	115	0	320	2	0	7
पलवल	70	0	0	40	2	0	5
रिवाड़ी	5	0	0	220	4	0	3

[श्री अनिल विज]

1	2	3	4	5	6	7	8
रोहतक	96	0	0	120	30	42 एम.सी.4 + 4 डी.एच.	4
सिरसा	15	0	0	340	7	4 डी.एच.	8
सोनीपत	79	0	0	420	4	0	8
यमुनानगर	35	0	0	1310	2	0	3
कुल	**1719**	**3615**	**135**	**13329**	**142**	**70**	**254**

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने अपनी कॉलिंग अटेंशन नोटिस में विशेष रूप से कहा है कि अगर सरकार से इसका उपचार न हो पा रहा हो तो प्राइवेट अस्पतालों से मदद ले ली जाए। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जो अभी तक 27 मौतें हुई हैं, एक भी मौत हो तो गलत है लेकिन जो 27 मौतें हुई हैं, अगर इनका सारे प्रदेशों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि कितने लोग अफैक्ट हुए हैं और कितनी मौतें हुई हैं जैसे पंजाब में 218 केसिज हुए और 47 मृत्यु हुई, मध्यप्रदेश में 1389 केस हुए और 186 मृत्यु हुई, महाराष्ट्र में 2386 केसिज डिटेक्ट हुए और 201 मृत्यु हुई, राजस्थान में 5898 केसिज डिटेक्ट हुए और 305 और गुजरात में 324 मृत्यु हुई। यह आंकड़ा सबसे कम है क्योंकि हमने प्रयास किया है, हमने पूरी कोशिश की है, हमने पहले दिन से ही जो भी डब्ल्यूएचओ की गाईडलाइन्स हैं और भारत सरकार के जो दिशा-निर्देश हैं हम उनका बाकायदा पूरी सख्ती से पालन कर रहे हैं। इसी कारण से हम मृत्यु की संख्या कम रख पाए हैं। हरियाणा में पूरे भारत की तुलना में सबसे कम मृत्यु हुई हैं। विधायक महोदय ने यह कहा है कि अगर हमसे नियंत्रण नहीं हो रहा है तो प्राइवेट अस्पतालों से मदद ले लेनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो अभी तक 27 मृत्यु हुई हैं उनमें से बीस मृत्यु प्राइवेट अस्पतालों के पेशेंट्स की हुई हैं। जो प्राइवेट अस्पतालों से रेफर किये गए, हमारे प्राइवेट अस्पतालों में ट्रीट किये गए हैं उनकी मृत्यु हुई हैं। हमारे सिविल अस्पतालों में जो ट्रीट किये गए हैं उनमें से केवल 7 की मृत्यु हुई हैं। हमारे सिविल अस्पतालों में ज्यादा टाईट अरेंजमेंट्स हैं, हमारे यहां ज्यादा बेहतर अरेंजमेंट्स हैं। हमारे यहां पर अच्छा इंतजाम किया जाता है और प्राइवेट अस्पतालों में लम्बे समय तक जब तक कि पेशेन्ट की तबियत खराब नहीं हो जाती है वे तब तक उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको किसी न किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता है। हमारे अस्पताल इस दिशा में पूर्ण काम कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज हालात ऐसे हैं कि अगर किसी को जुकाम भी हो जाए या बुखार हो जाए तो उसे लगता है कि कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया है और वह प्रयोगशाला के अंदर जाकर अपनी जांच करवाना चाहता है। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि दो प्रयोगशालाएं एच1एन1 की जांच करने के लिए एनसीडीसी दिल्ली में और पीजीआई चण्डीगढ़ के अन्दर हैं। लेकिन वहां हर आदमी नहीं जा पाता और अगर चला भी जाता है तो उन सब की जांच नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर बड़ी भीड़-भाड़ होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गम्भीर बीमारी को देखते हुए क्या और अधिक प्रयोगशाला आप

हरियाणा प्रदेश में बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हरियाणा प्रदेश के अंदर ही मिल जाए। उनको राजधानी चण्डीगढ़ में आना पड़ता है या फिर दिल्ली में जाना पड़ता है। वे अगर दिल्ली में जाते हैं तो उनका काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है और यहां चण्डीगढ़ में भीड़-भाड़ ज्यादा होती है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं परंतु दुर्भाग्य यह है कि हरियाणा प्रदेश को बने हुए 48 साल हो गए हैं और यह बीमारी 1918 से बार-बार आ रही है लेकिन पिछली सरकारों ने प्रदेश में ऐसी लैबोरेटरी स्थापित करने की कभी चिंता नहीं की। प्रदेश में भिन्न-भिन्न सरकारें रही हैं। मैं किसी एक सरकार पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। हम खानपुर पीजीआई में एग्जामिन करवा रहे हैं। अगर संभव हो सका तो हम वहां पर ऐसी लैबोरेटरी स्थापित करने के लिए विचार करेंगे।

श्री नगेन्द्र भडाना : अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सप्लीमैंट्री पूछने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए पगों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि स्वाईन फ्लू के टैस्ट बहुत महंगे टैस्ट हैं जिनको करवाने के लिए चार हजार रूपये या पांच हजार रूपये लगते हैं जिनको एक आम आदमी और गरीब आदमी देने में असमर्थ हैं। इसलिए इन टैस्ट की जो राशि है उसको कम कराया जाए। हमारे अपने प्रदेश में किसी भी लैबोरेटरी की व्यवस्था की जाए ताकि आम लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने प्राईवेट लैब टैस्ट की राशि को 4500 रूपये प्रति टैस्ट तय किया हुआ है लेकिन हरियाणा प्रदेश में इस बीमारी के लिए सारे टैस्ट मुफ्त किये जाते हैं। किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसको किसी प्राईवेट अस्पताल में या पी.जी.आई. में या दिल्ली के अस्पताल में किसी वेन्टीलेटर की जरूरत पड़ती है तो उस मरीज का खर्च 8000 रूपये प्रति दिन के हिसाब से सरकार वहन करती है। सरकार पूरी तरह से इस प्रकार के केसिज में हर प्रकार की मदद देना चाहती है। स्वाईन फ्लू का पूरे ईलाज का खर्चा सरकार वहन करती है और मरीज का एक नया पैसा खर्च नहीं होता। सारा ईलाज सरकार मुफ्त करती है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सप्लीमैंटरी पूछने के लिए मौका दिया है और माननीय मंत्री जी ने पूरे विस्तार के साथ इसके बारे में सदन में बताया है। स्वाईन फ्लू के बारे में हरियाणा में जहां भी जाते हैं जनता में त्राही-त्राही मची हुई है। सरकारी अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं तो पर्ची काटने वाला नहीं मिलता, कहीं पर डाक्टर नहीं मिलता और डॉक्टर मिल जाता है तो वहां पर दवाई नहीं मिलती। हमारे रतिया में हैपिटाईटिस-सी की गम्भीर स्थिति बनी हुई है सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिएं ताकि इन बीमारियों से जनता को निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री हरिचन्द मिढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह विनती करना चाहूंगा कि स्वाईन फ्लू की बीमारी का शुरू से ही कोई ईलाज नहीं बन पा रहा है और लोगों

[श्री हरिचन्द मिढ़ा]

को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसका कोई न कोई समाधान किया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मिड्ढा साहब खुद एक डॉक्टर हैं और इनको पता है कि इस रोग की रोकथाम के लिए क्या किया जाए। इस बीमारी के ईलाज के लिए सैल्फ डिसीप्लीन ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी वैक्सिन बनी है लेकिन वह पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रही है। हाई रिस्क केसिज के लिए ही यह वैक्सिन रिकमैंड की जा रही है। जब स्वाईन फ्लू हो जाता है तो यह वैक्सिन लगने के 14 दिन के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू करती है। इसके लिए राज्य सरकार समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से और होर्डिंग्ज के माध्यम से इसके बारे में लगातार प्रचार कर रही है। जिस प्रकार मलेरिया एक दूसरे आदमी के सम्पर्क में आने से फैलता है उसी प्रकार यह बीमारी भी एक आदमी से दूसरे आदमी के सम्पर्क में आने के बाद फैलती है। इस बीमारी का वायरस 30 डिग्री के टेम्प्रेचर तक जीवित रहता है और जैसे जैसे टेम्प्रेचर बढ़ता जाता है तो यह वायरस मरना शुरू हो जाता है। अब की बार सर्दी ज्यादा खिंचने के कारण यह बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए सैल्फ डिसीप्लीन की ज्यादा जरूरत है। हमें अंग्रेजों की परम्परा को छोड़कर भारतीयता को अपनाना होगा। भारतीय परम्परा के अनुसार हम हाथ जोड़कर अभिनन्दन करते थे लेकिन अंग्रेजों की परम्परा में शेकहैंड करते हैं। स्वाईन फ्लू भी ऐसी ही बीमारी है अगर आप नहा कर आये हैं और जैसे ही आप किसी से हाथ मिलाते हैं और वह आदमी गन्दा है तो आपका हाथ भी गन्दा हो जाता है और अगर आप 100 आदमियों से हाथ मिलाते हैं तो उन सभी के हाथ भी गन्दे हो जाते हैं। इसलिए हमें भारतीयता को अपनाना चाहिए। मैं सदन में कहना चाहूंगा कि इस सदन में हम 90 सदस्य बैठे हुए हैं, अगर सदन में उपस्थित सभी 90 माननीय सदस्यगण 12.00 बजे संकल्प कर लें कि किसी से भी हैंडशेक नहीं करेंगे, अपितु हाथ जोड़कर अभिवादन करेंगे तो हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। (थर्पिंग) आज हम सभी माननीय सदस्यों को इस बारे में अवश्य संकल्प लेना चाहिए। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सदस्य संकल्प लेना चाहते हैं वे कृपया हाथ खड़ा करें। (इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने हाथ खड़े किये) (हंसी) इनेलो वाले भी संकल्प ले सकते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि केवल नमस्ते बोलने की जरूरत नहीं है अर्थात् शब्दों का महत्व नहीं है। शब्दों से धार्मिकता पर आँच आती है। वाहेगुरू कह दो, अल्लाहू-अकबर कह दो जो मर्जी कहो लेकिन हाथ जोड़कर अभिवादन करें, इससे बहुत ज्यादा बीमारियों पर रोक लगाई जा सकती है। इसलिए आज सभी माननीय सदस्यों को संकल्प लेना चाहिए। Jai Parkash Ji has agreed. Hooda Sahib has agreed कि वे हाथ नहीं मिलाएंगे। (विघ्न) आप तो अंग्रेजियत लाना चाहते हैं। (विघ्न) आप तो हिन्दुस्तानी नहीं बनना चाहते हैं। आप तो अंग्रेज ही रहना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : विज साहब, जो श्री कुलदीप शर्मा जी कह रहे थे कि आप नहाते नहीं हैं, मैं उनकी बात नहीं मानता। मैं मानता हूं कि आप साफ हाथ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जरूर मिलाऊँगा।

श्री अनिल विज : यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा ठीक रहे तो आप सबसे हाथ जोड़कर अभिवादन करें। ऐसा करने से बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। Human is the biggest carrier for spreading the diseases. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय

सदस्यगण न केवल हैंडशेक बंद करेंगे, अपितु नमस्कार करेंगे तथा हाथ जोड़कर अभिवादन करेंगे। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : विज साहब, आप बार-बार श्री रामबिलास शर्मा जी की तरफ हाथ क्यों कर रहे हैं ? (विघ्न)

श्री अनिल विज : मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी सदस्यगण इस बात को अवश्य मानेंगे। मैं किसी को कम्पैल नहीं करना चाहता हूं ।(हंसी) मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को दोहराने के लिए एक बार फिर अपने हाथ खड़े कीजिए। (इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने हाथ खड़े किये) आप सबका धन्यवाद। यह हुआ हाऊस का रैजोल्यूशन, इसको कहते हैं रैजोल्यूशन। इस हाऊस ने आज प्रस्ताव पारित किया कि हम भारतीयता को अपनायेंगे, अंग्रेजियत को छोड़ेंगे और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। (थंपिंग)

डॉ.रघुवीर सिंह कादियान : विज साहब, आप उनके ऊपर हाथ क्यों रख रहे हैं ? कल भी आपने मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाया था। (हंसी)

श्री अनिल विज : मैं तो आप लोगों से हाथ मिलाऊंगा नहीं चाहे आप कुछ भी कर लो। (हंसी)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक गंभीर विषय स्वाईन फ्लू पर जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूँगी कि अम्बाला में स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, क्योंकि अम्बाला के विधायक की माता जी स्वयं स्वाईन फलू की बीमारी से पीड़ित हैं और वे अस्पताल में दाखिल हैं तथा सारे परिवार को दवाई दी जा रही है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं, टैमी फ्लू वर्ल्डवाईड दवाई रखी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास पूरा क्थोरेटिव अरेंजमैंट है। अगर किसी को स्वाईन फ्लू हो जाये तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे सारे अस्पताल सक्षम हैं, काबिल डॉक्टर्ज हैं, equipment हैं व दवाइयों का arrangements है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि prevention के लिए अभी तक कोई चीज नहीं बनी है। Prevention के लिए फिर नमस्ते। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, स्वाईन फलू की बीमारी से मेरे हल्के का भी एक केस जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि स्वाईन फलू की बीमारी पर सारा खर्च सरकार की तरफ से हो रहा है। मेरे हल्के के गांव खानपुर के हरिजन रामदासिया परिवार का एक अबोध अढाई-तीन साल का बच्चा बीमार हो गया। उसको पहले सिविल होस्पीटल, कुरूक्षेत्र में रखा गया। वहां दो दिन तक तो बच्चे की बीमारी का पता ही नहीं चला। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह बीमारी 1918 से चली आ रही है। हम सभी जानते हैं कि 4-5 साल पहले तक तो हमने इस बीमारी के बारे में सुना नहीं था। जब बच्चा सीरियस हो गया तो उसको पी.जी.आई. रैफर कर दिया गया। वहां बहुत दिनों तक उसका इलाज चला लेकिन वह बच नहीं सका। अध्यक्ष महोदय, ऐसे गरीब परिवारों के जो बच्चे और लोग हैं जिनको इस बीमारी के इलाज के लिए भारी खर्चा करना पड़ा, मेरा अनुरोध है कि क्या ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद करने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि पी.जी.आई. में इस बीमारी की दवाइयां फ्री दी जाती हैं और वैनटीलेटर का खर्चा 8 हजार रूपये पर डे के हिसाब से भी डिपार्टमैंट की तरफ से दिया जाता है। हम सी.एम.ओज. को कहेंगें कि इस खर्चे को लेने के लिए बच्चों को आने की जरूरत नहीं है, सी.एम.ओ. जाकर पता करेगा कि कितना खर्चा हुआ है और जो खर्चा देय है वह हम जरूर देंगें।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्रीमती गीता भुक्कल जी ने मेरी माता जी की चिंता जाहिर की है तो मैं यहां सदन में बताना चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरी माता जी अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज उनकी पी.जी.आई. से छुट्टी हो जाएगी। स्वाईन फ्लू के बारे में मेरी मंत्री महोदय से बातचीत हुई थी। स्वाईन फ्लू का वायरस आम आदमी में भी होता है परंतु यह ज्यादा फैल जाए तो चिंतनीय स्थिति हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अम्बाला में इस बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां वगैरह का पूरा प्रबंध है। मैंने सिविल होस्पिटल में जाकर देखा है कि वहां दवाइयां पूरी तरह उपलब्ध हैं इसलिए हम सब को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, some deaths have occurred due to Swine Flu even before people could reach the hospitals. This has happened because some people have been taking treatment from village doctors. Has the Government any plan to look into this particular matter. My second point is that - will the Hon'ble Minister state that those who have lost their lives because of Swine Flu, will they be given some kind of compensation. Will their families be given some compensation?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने एक बार नहीं कई बार सभी प्राइवेट डॉक्टर्ज को कहा है कि जब भी उनके पास कोई स्वाइन फ्लू का मरीज रिपोर्ट करे तो वे इमीजिएट हमारे सी.एम.ओ. को बताएं कि हमारे होस्पिटल में स्वाईन फ्लू का मरीज आया है लेकिन वे हमें ट्रीटमैंट के बारे में नहीं बताते जिस कारण ये कठिनाइयां आ रही हैं। कुलदीप शर्मा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जहां तक किसी मरीज की मृत्यु हो जाए तो उसको कम्पनसेशन की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि यह बीमारी सारे इंडिया में फैल रही है और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री रैगुलर मोनीटरिंग कर रहे हैं। अगर वे कोई निर्णय करेंगें तो हम भी उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होंगें।

घोषणाएं-

(क) अध्यक्ष द्वारा-

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं :-

1. श्री कृष्ण लाल पंवार, विधायक
2. श्रीमती संतोष यादव, विधायक
3. श्री आनंद सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ii) अनुपस्थिति के सम्बंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक से सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 9 मार्च, 2015 और 10 मार्च, 2015 को सदन की बैठकों में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है।

(ख) सचिव द्वारा-

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बंधी

श्री अध्यक्ष : अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे।

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2013, जुलाई 2014 और नवम्बर, 2014 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं :-

सितम्बर सत्र, 2013

हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक,2013

जुलाई सत्र, 2014

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014

नवम्बर सत्र, 2014

1. हरियाणा विनियोग(संख्या 3) विधेयक, 2014
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था जो कि आज की कार्यवाही से ओमिट कर दिया गया है। उसके क्या कारण हैं? Before putting up the report of the Business Advisory Committee मेरे पास जो एजैंडा है उसके मुताबिक उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना था। Due to obituary reference of Ex-Chief Minister, Master Hukam Singh the business was postponed for today (10th March, 2015). यह प्रोग्राम में था इसको किस आधार पर चेंज कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : उस समय यह मैटर टैनटेटिव एजैंडे में रखा गया था।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का संविधान और हमारे रूल्ज यह कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। एक सैशन पहले ही निकल चुका है और आज भी प्रोग्राम चेंज कर दिया गया जबकि पहले एजैंडे में ईशू हो चुका था कि आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। हम जानना चाहते हैं कि सरकार को डिप्टी स्पीकर के चुनाव में क्या दिक्कत है ? क्या इसके लिए सरकार को कोई योग्य उम्मीद्वार नहीं मिल रहा है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह पहले टैनटेटिव प्रोग्राम रखा गया था जो कि बाद में चेंज कर दिया गया।

श्री करण सिंह दलाल : सर, हमें बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर भी एतराज है कि इसकी कॉपी अभी तक सदन में सदस्यों को नहीं दी गई है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं मूव करूंगा उसके बाद ही बी.ए.सी. की रिपोर्ट की कापी सदन में रखी जाएगी। अभी मैं आपसे बी.ए.सी. की रिपोर्ट मूव करने के लिए परमिशन ले रहा हूं उसके बाद ही सदन में यह रिपोर्ट रखी जाएगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की रिपोर्ट आने से पहले ही सभी मैंबर्ज के घर में यह जानकारी भेज दी गई कि यह सत्र किस प्रकार से होगा। यह पहली बार हुआ है। उसमें पूरी जानकारी है कि सैशन के लिए कितने दिन निश्चित किए गए हैं और नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल किया गया है वह सारी जानकारी मैंबर्ज के घरों पर कल भेज दी गई थी। जब सारी जानकारी घरों में भेज दी गई तो यहां सदन में पहले देने पर क्या एतराज है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भाई करण सिंह दलाल आजकल सत्संग दूसरी जगह करने लग गये हैं। उनको रिपोर्ट की कॉपी तो घर पर ही मिल चुकी है लेकिन कुलदीप शर्मा जी उनके साथ बैठे कोहनी मार रहे हैं कि ऐसा करो-वैसा करो। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए।

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन के वर्तमान सत्र के दौरान किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई समय सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

"समिति की बैठक सोमवार, 09 मार्च, 2015 को दोपहर 12.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार तथा शुक्रवार को 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 9 मार्च, 2015 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 16 मार्च, 2015 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि मंगलवार, 24 मार्च, 2015 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 9 से 13, 16 से 20 तथा 24 मार्च, 2015 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा :-

9 मार्च, 2015 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	1. सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. शोक प्रस्ताव। 3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज़-पत्र।
मंगलवार, 10 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 11 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
वीरवार, 12 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।
शुक्रवार, 13 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. गैर-सरकारी कार्य।
शनिवार, 14 मार्च, 2015	छुट्टी।
रविवार, 15 मार्च, 2015	छुट्टी।
सोमवार, 16 मार्च, 2015 (2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. रखे जाने वाले कागज़-पत्र, यदि कोई हो।

[श्री अध्यक्ष]

	3. वर्ष 2014-2015 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 17 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
बुधवार, 18 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. नियम 30 तथा 121 के अधीन प्रस्ताव। 3. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।
वीरवार, 19 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 3. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
शुक्रवार, 20 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर तथा वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान।
शनिवार, 21 मार्च, 2015	छुट्टी।
रविवार, 22 मार्च, 2015	छुट्टी।
रविवार, 23 मार्च, 2015	छुट्टी।
मंगलवार, 24 मार्च, 2015 (2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 1 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों। 5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 6. वर्ष 2014-2015 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 7. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 8. विधान कार्य। 9. कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्ष : अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

Parliamentary Affairs Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर सर, यह पहली बार हुआ है कि जब इस वर्तमान विधान सभा का प्रथम सत्र बुलाया गया जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकारों को उलाहना दिया और हैरानी व्यक्त की थी कि बजट और सामान्य सत्रों की अवधि बहुत छोटी होने के साथ-साथ उनकी संख्या भी कम रही है। उस समय हम सभी को यह उम्मीद जगी थी कि माननीय मुख्यमंत्री अब विधान सभा के सत्र को लम्बा चलायेंगे लेकिन जब आज हमने बी.ए.सी. की रिपोर्ट को देखा तो हमें पता चला कि यह वर्तमान सत्र जो बजट सत्र है इसका समय तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था लेकिन इस सत्र का समय भी ज्यादा नहीं है। दूसरा हमारा ऐतराज यह है कि रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दा हरियाणा लेजिसलेटिव असैम्बली के रूल 30 में यह प्रावधान है कि जो नॉन ऑफिशियल डे होता है वह वीरवार को होना होता है लेकिन आपने उसको बदलकर वीरवार से शुक्रवार कर दिया और वह भी बिना कोई कारण बताये, बिना कोई नोटिस दिये। रूल में लिखा है कि Hon'ble Parliament Minister shall give a notice कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ दूसरी ज्यादती यह की जा रही है कि अगले सप्ताह का जो शुक्रवार है उसको भी नॉन ऑफिशियल डे से समाप्त कर दिया है । इस सप्ताह के नॉन ऑफिशियल डे को तो शुक्रवार को कर दिया था अगले सप्ताह में उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। यह ऐसा क्यों किया जा रहा है क्या सरकार को अपनी क्षमता पर शक है? क्या सरकार को शक है कि सदस्य नॉन ऑफिशियल डे पर जो जनहित के मुद्दे उठायेंगे सरकार उनका जवाब देने में सक्षम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की ज्यादती सदस्यों के अधिकारों का हनन है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए तथा इनको बताना चाहिए कि नॉन ऑफिशियल डे को ये बिना नोटिस दिए क्यों बदल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्यों से विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या नेता रूल्ज से बड़े हैं ? आप रूल 30 पढ़िये जिसमें लिखा हुआ है कि वीरवार का दिन नॉन ऑफिशियल डे होगा। अगर रूल्ज में बदलने के लिए लिखा हुआ है तो आप बेशक बदल दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हाउस की सहमति से रूल को बदला भी जा सकता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि आपने नॉन ऑफिशियल डे रखा है लेकिन कई बार उसको बाद में ऑफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस बारे में मेरी सबमिशन यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो नॉन ऑफिशियल डे को शुक्रवार में तबदील किया है वह अगले सप्ताह बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है जो कि ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि अगले सप्ताह भी जो शुक्रवार आयेगा उसको भी नॉन ऑफिशियल डे रख लिया जाता तो नव-निर्वाचित सदस्यों को अपनी बात कहने का अच्छा मौका मिल जाता क्योंकि रैजोल्यूशन बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, जनहित के मुद्दे बहुत हैं। सदस्यों को अपनी बात उठाने का जो हक है उसका भी ध्यान रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने 3 दिन का डिस्कशन रखा है जो कि कम है क्योंकि हाउस के 57 सदस्य पहली बार चुन कर हाउस में आये हैं, उनको अपनी बात उठाने तथा जनहित के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आपने बजट पर डिस्कशन के लिए भी 3 दिन का ही समय रखा है जो कि कम है इसलिए इसको 4 दिन कर दिया जाये। हालांकि किसी सरकार के काम-काज का आंकलन करने के लिए 4 महीने का समय कोई पैमाना नहीं होता लेकिन सभी को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया जाना चाहिए क्योंकि सदस्यों के पास जनहित के मुद्दे बहुत हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता अपने प्रतिनिधियों की तरफ देख रही है कि वे हमारी बात हाउस में उठायेंगे। इसलिए उनको बजट पर भी 4 दिन का समय डिस्कशन के लिए दिया जाना चाहिए। 4 दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तथा 4 दिन बजट पर डिस्कशन के लिए समय दिया जाए तथा बजट सत्र को 2 दिन बढ़ा दिया जाये। आप हाउस के कस्टोडियन हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर जरूरी होगा तो हम उस टाईम को बढ़ा देंगे। मैंने बी.ए.सी. की मीटिंग में विचार-विमर्श के बाद ही यह निर्णय लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप फिराखदिल इंसान हैं, आप उसको बी.ए.सी. की रिपोर्ट में ही एड कर लें। हर सदस्य का बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अगर जरूरत महसूस हुई तो उस पर बाद में भी विचार किया जा सकता है। श्रीमती किरण चौधरी जी बैठक में तो उपस्थित नहीं थी लेकिन ये पहले आई थी तो मैंने इनसे विचार-विमर्श कर लिया था कि हम बजट सत्र को 24 मार्च तक चलाना चाहते हैं तो उन्होंने कह दिया था कि ठीक है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, 4 महीने में ही समस्याओं का अम्बार लग गया है तथा हर सदस्य अपनी बात यहाँ हाउस में उठाना चाहता है। इसलिए आप सरकार से विचार-विमर्श करके इसको बी.ए.सी. की रिपोर्ट में एड कर दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अगर बिजनेस समाप्त नहीं होगा तो इसको बढ़ा दिया जायेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की मीटिंग में मैं क्यों नहीं आ पाई यह आपको मालूम ही है क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि किन्हीं कारणों से मैं बी.ए.सी. की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी लेकिन आपने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तथा

बजट पर डिस्कशन के लिए जो 3-3 दिन का समय दिया है उसको 4-4 दिन कर दिया जाये तो उसमें मेरी सहमति है ताकि जो 57 नये विधायक चुन कर आये हैं उनको बोलने का मौका मिल सके और इनके साथ-साथ हमें भी बोलने का मौका मिल जाएगा। पिछले सदन में यह बात कही गई थी कि हम नॉन ऑफिशियल-डे को ऑफिशियल बिजनेस में कनवर्ट नहीं करेंगे और इस बात पर हमने खूब मेजें थपथपाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात सदन के सामने रखी थी। इसलिए हम कहते हैं कि आप नॉन ऑफिशियल-डे को ऑफिशियल-डे में न बदलें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अब की बार भी आप सभी बैठकर चर्चा करें अबकी बार भी जाते समय आप मेजें थपथपाकर जाएंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार सदन को यह भी बताए कि जो नियम बदला है नॉन आफिशियल-डे जो वीरवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया है क्या यह हमेशा के लिए रूल में ही चेंज कर दिया है या केवल इसी सत्र के लिए किया है।

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन किरण चौधरी जी कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं, बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की सदस्या हैं और यह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट है। अभी कुलदीप शर्मा जी का कालिंग एटेंशन मोशन था तथा आपने इस महान् सदन की कार्यवाही में उनका मोशन मूव किया और एक तरफ उनकी होड़ लगी हुई है कि मुद्दा हो या न हो लेकिन बोलना जरूरी है। जिस माननीय सदस्य का कालिंग एटेंशन मोशन कल से स्वीकृत है और कल ही सबके पास जा चुका है और वह वाक आऊट की रस्म अदा कर रहे हैं। मैं इस महान् सदन के सभी माननीय भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पहले दिन एक बात कही थी कि जो ये छोटे अधिवेशन होते हैं हम ये परम्परा बदलेंगे तथा सत्र को लम्बे समय तक चलायेंगे। स्पीकर सर, आप बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की बैठक कभी भी बुला सकते हैं। क्योंकि यह हाऊस अपने आप में सदन का मालिक है। एक-एक सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा चाहे यह सदन एक महीना भी चलाना पड़े। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही सदन में एक बात कही थी कि हम सत्र लम्बा चलायेंगे। मेरी सभी लोगों से एक गुजारिश है, यहां वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं नये विधायक बेचारे कुछ नहीं करते ये सब तो कायदा कानून व आपकी चेयर का व सबका सम्मान करते हैं। यहां इस चेयर पर जो पहले माननीय सदस्य रहे और जो दूसरे लोग रहे, वे तो किसी की बात सुनते ही नहीं थे, हालांकि हुड्डा साहब बड़ी शालिनता से सारी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में एक मुसीबत आ रही है कि ये दो कांग्रेस बन गई हैं। एक अशोक तंवर जी की और मैडम किरण चौधरी की कांग्रेस है और एक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर ऐसी बात कही है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी उसका जवाब दूं। मैं किसी की कोई निन्दा नहीं करूंगा। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी चिन्ता करें, आप हमारी चिन्ता करना छोड़ दें। किसी सरदार को किसी ने कहा कि सरदार जी कढ़ा प्रसाद बनाया गया है तो सरदार ने कहा कि सानू की, तो सरदार जी को बताया गया कि आपके लिए बनाया गया है, तो सरदार जी ने कहा कि तुहानू की। इसलिए मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि तुहानू की। आप हमारी चिन्ता करनी छोड़ दो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज़-पत्र

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री सदन की मेज पर कागज-पत्र रखेंगे/पुन: रखेंगे।

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to lay on the table of the House :—

The Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 8 of 2014).

Sir, I beg to re-lay on the Table of the House.

The Haryana School Teachers Selection Board (Repealing) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 9 of 2014).

The School Education Department Notification No. 8/43-2012 P.S.(2), dated the 19th June, 2013 regarding amendment in Haryana School Education Rules, 2013, as required under Section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The School Education Department Notification No. 8/27-2013 P.S.(2), dated the 28th January, 2014 regarding amendment in Haryana School Education Rules, 2013, as required under Section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 38/Const./ Art. 320/2014, dated the 9th September, 2014 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Administrative Reformts Department Notification No. 7/11/ 2014-3AR, dated the 1st July, 2014 regarding Haryana Right to Service Rules, 2014, as required under section 21(3) of the Haryana Right to Service Act, 2014.

Sir, I beg to lay on the Table of the House.

The Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2011-2012, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited

for the year 2012-2013, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 16th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2012-2013, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2007-08, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2008-09, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2009-10, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2010-11, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2011-12, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2010-11, as required under section 39 (3) (b) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2011-12, as required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The 45th Annual Report & Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited Panchkula for the year 2011-12, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 46th Annual Report & Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited Panchkula for the year 2012-13, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

[Shri Ram Bilas Sharma]

The 38th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Linited Panchkula for the year 2011-12, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 39th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Linited Panchkula for the year 2012-13, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Second Report of State Information Commission, Haryana on implementation of the RTI Act, 2005 (1.11.2006 to 31.10.2007), as required under section 25 (4) of the RTI Act, 2005.

The Annual Technical Inspection Report on Panchayati Raj Institutions & Urban Local Bodies for the year 2011-12 & 2012-13, of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of Comptroller and Auditor General of India on Revenue Sector for the year ended 31st March, 2014 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of Comptroller and Auditor General of India on State Finances for the year ended 31st March, 2014 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Finance Accounts (Volume-1 & 2) for the year 2013-2014 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts for the year 2013-2014 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, एम.एल.ए. अपना प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता (पंचकुला) : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री गण तथा सभी विधायक गण मैं इस सम्मानित सदन में नव वर्ष के प्रथम सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनन्दन करता हूँ। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य**

श्री कृष्ण लाल पंवार पदासीन हुए) सभापति महोदय, मैं आशा करता हूँ कि आपके विचार-विमर्श रचनात्मक और सकारात्मक होगा और हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। सर्व प्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बजट सत्र को लम्बा चलाने की व्यवस्था की है, क्योंकि अधिकतर सदस्य नये चुनकर आये हैं, इससे उन्हें भी अपने हल्के की समस्याओं को सदन में रखने का अवसर मिलेगा। सभापति महोदय, पहले कई बार यह देखा गया है कि रस्म अदायगी के लिए ही चार-पांच दिन के लिए सदन चलाया जाता था और उसके पश्चात सदन को स्थगित कर दिया जाता था। सभापति महोदय, मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव रखता हूँ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :-

> "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 9 मार्च, 2015 को 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।"

सभापति महोदय, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय असंतुलन, विकास में भेदभाव तथा भाई भतीजावाद के खिलाफ निर्णायक जनादेश दिया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से समाज के सभी वर्गों का विशेष कर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। विधान सभा लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र को मजबूत करना हम सबका कर्त्तव्य है। सभापति महोदय, हमारी सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है 'सबका साथ, सबका विकास' तथा 'सरकार कम से कम-सुशासन अधिकतम' के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रही है। हमारी महान सभ्यता के 'एकात्म मानव दर्शन' का मूल सिद्धान्त हमारी सरकार के सभी कार्यों को दिशा दिखाता है। हमारी सरकार का उद्देश्य जो सबसे गरीब व्यक्ति है जो अंतिम छोर पर खड़ा है, उस व्यक्ति को सुख और सुविधा प्रदान करना है। हमारी सरकार उसको लेकर कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने पिछले चार महीने में इस दिशा में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिये हैं। गरीब आदमी के सुधार के लिये, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये और गरीब आदमी को रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो इस प्रकार के प्रयास हमारी सरकार कर रही है। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 'सी.एम. विण्डो' वैब-पोर्टल की स्थापना की है। सभापति महोदय, यह 'सी.एम. विण्डो' लोगों को किसी भी शिकायत के निवारण हेतु सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करने में सक्षम बनाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई तकलीफ होती है तो वह खुले मन से 'सी.एम. विण्डो' वैब-पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्त्ता की शिकायत पर उचित कार्रवाई करते हुए उसका जवाब दिया जाता है, इस प्रकार से दुख और तकलीफ का निराकरण किया जाता है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपनाई है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार ने काम शुरू किया हुआ है। सभापति महोदय, इसी कड़ी से जुड़ते हुए सरकार ने कुछ निर्णय किये हैं इनमें रजिस्ट्री ऑनलाइन एक है। आज गरीब व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलों में या हैड क्वार्टर पर जाते हैं तो उसके मन में एक खुशी होती है कि उसकी रजिस्ट्री पर एक रुपया भी नाजायज खर्च नहीं होगा। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने रजिस्ट्री लोगों के घरों में पहुँचे, इस प्रकार की ई-रजिस्ट्री प्रणाली की व्यवस्था की है। **(इस समय मेजें थपथपाई गई।)** भ्रष्टाचार रोकने के प्रति हमारी सरकार

[श्री ज्ञानचन्द गुप्ता]

का शुरू से ही प्रयास रहा है। इन्फर्मेशन टैक्नॉलाजी के माध्यम से स्थान स्थान पर ई-टैंडरिंग और बहुत सारी सुविधाएं शुरू की हैं जो इस नई टैक्नॉलाजी के माध्यम से हमारी सरकार देने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार गौ धन की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह बात हमने अपने मैनीफेस्टो में भी कही थी कि हम गौ वंश की रक्षा के लिए कानून लेकर आयेंगे। गौ संरक्षण तथा गौ संवर्धन विधेयक, 2015 इसी सत्र में आने वाला है। मैं समझता हूं कि गौवंश की रक्षा इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। गाय को माता के रूप में बहुत सारे लोग मानते हैं। यहां तक मान्यता है कि गौ माता के अन्दर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसलिए हमारी सरकार गौवंश की रक्षा के लिए इसी सत्र में विधेयक लेकर आ रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' मंत्र का उजागर किया जिसकी हरियाणा प्रदेश में बहुत आवश्यकता है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में मैं समझता हूं कि सबसे कम लिंग अनुपात होता जा रहा है जो 839 से लेकर 920 तक का लिंग अनुपात रह गया है। इसलिए हम सब का फर्ज है कि बेटियों की रक्षा के लिए हम सब आगे आयें। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के लिए हमारी सरकार आगे आई है। इन्फोर्मेशन टैक्नालॉजी को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। गरीब आदमी के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भी हमारी सरकार कटिबद्ध है। सभापति महोदय, भूख की कोई जाति नहीं होती। इसलिए गरीब के विकास के लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। हमारी सरकार पुरानी खेती के साथ बागवानी, फूलों की खेती, जड़ी बूटियों की काश्त को बढ़ावा देने का काम कर रही है और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केन्द्र की सरकार ने अपने बजट में हरियाणा प्रदेश में होर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव रखा है। हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटी आने के बाद कहीं पर फूल की खेती, कहीं पर औषधीय पौधों की खेती करने में किसानों को सहायता मिलेगी और इससे किसान और ज्यादा समृद्ध होगा और इससे किसानों के घरों में पैसा आयेगा। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार बना रही है। हर हाथ को काम मिलेगा और हर खेत को पानी मिलेगा। प्रधान मंत्री कृषि एवं सिंचाई योजना के तहत हमारे मंत्री जी ने एक योजना इसी सत्र में लाने का प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार से पशुपालन के तहत पांच गायों को मिलाकर एक छोटी सी डेयरी बनाई जायेगी, जिससे छोटे छोटे गांवों में डेयरी बनाकर लोगों को दूध सप्लाई करके किसान अपने बच्चों का पालन कर सकें इसके लिए पचास प्रतिशत की सब्सिडी भी हमारी सरकार किसानों को देने जा रही है ताकि गॉवों में ज्यादा से ज्यादा डेयरी डिवल्प हो सकें। इसके लिए स्वचालित पशु अस्पताल जो गांवों में किसानों के घरों में जाकर उनके पशुओं की देख भाल कर सके और पशुओं को दवाई दे सके का भी प्रोविजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। पिछड़े गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार शिवालिक विकास बोर्ड का गठन करने की योजना बना रही है। हमारी सरकार शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड व मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड को पूरा पैसा देकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने Public Distribution System के माध्यम से गरीब लोगों को 2/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूँ तथा 1/-रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बाजरा देने का निर्णय लिया है तथा गरीब लोगों को राशन का सामान भी पूरी मात्रा में मिले, इसके लिए हमने कम्प्यूट्राईजेशन का सहारा लिया है। राशन डिपोज़ के पास कितने बी.पी.एल. के व कितने ए.पी.एल. के राशन कार्डज़ हैं इन सब की कम्प्यूट्राईजेशन करके हमारी सरकार गरीबों की सेवा

करने के संकल्प को पूरा करने जा रही है। हमारी सरकार एस.वाई.एल. नहर के निर्माण तथा बी.एम.एल. हांसी बुटाना ब्रॉंच को शीघ्र जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। सिंचाई हेतु पानी की कमी को पूरा करने के लिए कोटला झील परियोजना के प्रथम चरण का कार्य 17 करोड़ रूपये की लागत से जून 2015 तक पूरा किया जाएगा तथा दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है जिसके लिए सरकार ने भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में 51 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। हमारी सरकार बिजली की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। पिछली सरकार 10 वर्षों में किसानों को 24 घण्टे बिजली देने के लिए बार बार आश्वासन ही देती रही लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली और बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। बिजली की इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। केवल 3 महीने नवंबर, दिसंबर, 2014 व जनवरी, 2015 में हमारी सरकार द्वारा सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को 991 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई तथा पिछली सरकार के शासनकाल में पिछले वित्त वर्ष में इन्हीं महीनों में बिजली की आपूर्ति केवल 886 करोड़ यूनिट थी अर्थात् हमारी सरकार ने लगभग 100 करोड़ यूनिट बिजली इस बार ज्यादा दी है। इसके लिए हमारी सरकार ने 4000 करोड़ रूपये की लागत से 800 मैगावाट का एक सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी व्यक्तियों को शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस मिशन के तहत इस वर्ष लगभग 83,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाए गये हैं। इसके अतिरिक्त, विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हर विधायक अपने क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए एक ग्राम एडोप्ट करेंगे जिसके लिए सरकार विधायकों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी आने के पश्चात् हर गाँव में एक ग्राम सचिवालय स्थापित करना अत्यावश्यक हो गया है ताकि इस सचिवालय में निचले स्तर के अधिकारी बैठकर कार्य कर सकें। साथ ही साथ गांव के बाहर ग्राम गौरव पटल भी लगाये जाने प्रस्तावित हैं जिनके माध्यम से पता चलेगा कि गाँव का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है। शहीदों और प्रख्यात व्यक्तियों के नाम इस बोर्ड पर लिखे जायेंगे। गाँव में कितने बी.पी.एल. तथा कितने ए.पी.एल. परिवार हैं, उनकी जानकारी भी इस पटल पर दर्शाई जायेगी। कुल मिलाकर जैसे ही कोई व्यक्ति गाँव में प्रवेश करेगा उसको इस पटल को पढ़ने से गाँव की पूरी हिस्ट्री ज्ञात हो जायेगी। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक उच्चतर शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पिछली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना लेकर आई थी उस योजना के तहत पहली क्लास से 8वीं क्लास तक परीक्षा लेना ही बंद कर दिया गया था। जिस कारण जिन बच्चों ने स्कूल में जाकर भी नहीं देखा था वे 8वीं का सर्टिफिकेट लेकर घूमने लगे और उनमें कोई कम्पीटिशन नहीं रहा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चों के पेपर्स होंगें और जो मार्क्स आएंगें उनके आधार पर उनको आगे शिक्षा की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है तो उनकी सहायता हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ठीक करने के लिए साहसिक कदम उठाएगी। स्कूलों में बच्चों के बारे में डायरी में टीचर्स लिखते हैं। कई गांवों के स्कूलों में टीचर्स द्वारा यह भी नहीं लिखा जाता कि यह काम दिया गया और यह काम नहीं हुआ। देखने में आता है कि स्कूलों में टीचर्स आते नहीं हैं। बहुत सी जगहों पर स्कूलों में देखने को मिलता है टीचर्स 10-10 या 15-15 दिन तक आते नहीं हैं और बाद में आकर हाजरी लगा लेते हैं। इस चीज को देखने के लिए और इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जो टीचर्स हैं उनकी डायरी स्कूल में होगी जिसमें वे लिखेंगें कि उन्होंने स्कूल में कितना टाइम लगाया ताकि इस बारे में लोगों को

[श्री ज्ञानचन्द गुप्ता]

जानकारी मिल सके। कमजोर बच्चों को और अच्छी शिक्षा देने के लिए रैमिडियल क्लासिज लगवाएंगें जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। स्कूलों के अंदर आज केवल एजूकेशन और केवल एजूकेशन ही है। आज जब बच्चे 10वीं या 12वीं क्लास पास करके निकलते हैं तो उनको कोई जोब नहीं मिलती क्योंकि उनके पास किसी क्षेत्र में स्किल या मास्टरी नहीं होती। जोब ओरयंटिड क्लासिज स्कूलों में पीरियड लेकर शुरू की जाएंगी। स्कूलों में बच्चों की सेहत ठीक रहे उसके लिए हमारी सरकार योग शिक्षा अनिवार्य करने जा रही है। मैं समझता हूं कि योग के आने से बच्चों के संस्कार ठीक होंगें और उनकी सेहत ठीक होगी। बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता मिले इसलिए खेलों में हमारी सरकार पहली बार कोई खेल नीति लेकर आई है। हमारी सरकार ने 12 जनवरी, 2015 को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर और युवा दिवस के अवसर पर खेल नीति लेकर आई है। आज मैं समझता हूं कि सरकार ने युवकों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए खेल नीति बनाई है। गांवों में पंचायत और खंड स्तर पर योग एवं व्यायामशाला बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर तक वैधानिक खेल परिषदों, नकद पुरस्कारों एवं उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं के खर्च को पूरा करने के लिए खेल विकास कोष, प्रशिक्षकों, अम्पायरों एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य खेल विकास संस्थान, हरियाणा साहसिक खेल अकादमी और नीति मूल्यांकन पर राज्य खेल संचालन समिति स्थापित की जा रही है। पुरस्कार राशि को काफी मात्रा में बढ़ाया गया है। खिलाड़ियों को विकास के लिए पहले पैसा नहीं मिलता था इसलिए उनके लिए खेल विकास कोष हमारी सरकार स्थापित करने जा रही है ताकि खिलाड़ियों को समय पर पैसा मिल सके। मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में भी हमारी सरकार ने अपनी खेल नीति के दौरान काफी भारी वृद्धि की है। ओलम्पिक व पैरालम्पिक खेलों के स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 6 करोड़, 4 करोड़ और अढाई करोड़ किया गया है। हरियाणा केसरी पुरस्कार की राशि पहले 31 हजार रूपये थी जिसको बढ़ाकर एक लाख 51 हजार करने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। विजेता खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है ताकि किसी को यह न लगे कि उसके साथ छल या धोखा हुआ है और उसकी सीनियोरिटी को बाई पास किया गया है। इस प्रकार की पारदर्शिता रखते हुए हमारी सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देगी और जो गैर सरकारी संस्थान कारपोरेशंज वगैरह हैं उनके अंदर भी प्रदेश के खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान हमारी सरकार द्वारा किया गया है जिसके लिए खेल मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। सभापति महोदय, इसी तरह से खिलाड़ियों के भविष्य की तरफ पहले किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। खेलते-खेलते कई दफा खिलाड़ियों को गंभीर चोट लगने के कारण उनकी टांग वैगरा टूट जाती थी जिसके कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। इस तरफ हमारी सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए खिलाड़ियों के लिए बीमा योजना लागू की है ताकि उनका भविष्य सिक्योर हो सके। सभापति महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में जिक्र करना चाहूंगा और प्रश्नकाल के दौरान हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी कि अगले साल 10 नये अस्पतालों, 12 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 12 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग्ज का निर्माण सरकार करने जा रही है। इस तरह से सरकार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। आने वाले साल में 72 नई एम्बूलैंस प्रदेश में चलाई

जायेंगी ताकि बीमार लोगों को समय रहते ईलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसी तरह से सरकार ने 427 दवाईयों को सूचिबद्ध किया है जो सरकारी अस्पतालों में गरीजों को मुफ्त दी जायेंगी। इसी तरह से हमारी सरकार लोगों को डॉयलासिज, एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पी.पी.पी. मोड पर ये सुविधाएं अस्पतालों में जल्द से जल्द लागू करने जा रही है और कई जगहों पर तैयारी भी हो चुकी है। सभापति महोदय, हमने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि बुढ़ापा पैंशन, विधवा पैंशन, विकलांग पैंशन प्रति माह 2000 रुपये दी जायेगी। हमारी सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये प्रति माह पैंशन में बढ़ौत्तरी कर दी और प्रति वर्ष इसमें 200 रुपये की बढ़ौतरी होगी। इस तरह से पांच साल में यह पैंशन 2000 रुपये प्रति माह हो जायेगी।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : सर, वायदा तो 2000 रुपये प्रति माह देने का किया गया था लेकिन अभी 200 रुपये की ही बढ़ौतरी की गई है।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है और पांच साल के दौरान यह पैंशन 2000 रुपये प्रति माह हो जायेगी। पहले तो ऐसी भी सरकारें रही हैं जिन्होंने दस साल में भी वायदे पूरे नहीं किए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): सभापति महोदय, माननीय साथी आपत्ति कर रहे हैं और अंत में सदन के नेता सभी बातों पर जवाब भी देंगे। यह जो पैंशन 200 रुपये प्रति वर्ष बढ़ौत्तरी की गई है यह नेता प्रति पक्ष के सुझाव पर की गई है। पिछले सैशन के दौरान नेता प्रति पक्ष और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि बुढ़ापा, विधवा, विकलांग आदि पैंशन पांच साल के दौरान फेजिज में बढ़ा दी जाए और उसी को ध्यान में रखकर 200 रुपये प्रति वर्ष बढ़ौत्तरी का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। सरकार ने यह फैसला सदन की भावना को ध्यान में रखकर लिया है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : सभापति महोदय, सरकार द्वारा पैंशन बिलकुल भी नहीं बढ़ाई जा रही थी तब नेता प्रति पक्ष ने सुझाव दिया था कि फेजिज में पैंशन बढ़ा दी जाए।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं माननीय साथी को और सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किए हुए सारे वायदे पूरे करेगी। मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों के लिए, विमुक्त जनजातियों के लिए, टपरीवास जातियों के लिए और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी पर 41,000 रुपये दिये जाएंगे। हमारी सरकार ऐसी योजना लेकर आई। इसी प्रकार से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ आशा प्रोत्साहन योजना इत्यादि अनेक योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है। आशा प्रोत्साहन योजना के तहत आशा वर्कर को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार हमारी सरकार ने योजना चलाई है। इसके तहत हमारी सरकार ने आशा वर्कर को प्रोत्साहित किया है कि वे बेटियों की रक्षा करें और कोख में बेटियों को न मारने दें। इसके लिए आशा वर्कर घर-घर जाकर हमें इनफार्म करेंगी और उसके बदले में उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस प्रकार से ये बहुत सारे काम किसी सरकार ने पहली बार किये हैं। 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना के तहत कन्या कोष की स्थापना पहली बार हमारी सरकार ने की है। पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं के लिए अभी

[श्री ज्ञानचन्द गुप्ता]

08 मार्च, 2015 को महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचकूला में अपने कोष में से 1 लाख रुपये और 51 लाख रुपये सरकार की तरफ से 'आपकी बेटी-हमारी बेटी' योजना के लिए योगदान दिया। इसी प्रकार से महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया जी ने भी अपना योगदान दिया था। (विघ्न) हमारी सरकार की नई उद्योग नीति भी जल्दी ही आने वाली है। हम हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्योगों को बढ़ावा देंगे। आदरणीय उद्योग मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हम प्रदेश के सभी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करेंगे। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हमारी सरकार प्रदेश के किसी जिले या किसी क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं करेगी। हमारा यह फोकस रहेगा कि सभी का समान विकास हो। इसके लिए हमारी जो उद्योग नीति है वह जल्दी ही सामने आने वाली है। सभापति जी, जैसा हमारी केन्द्र सरकार ने कहा कि मेक इन इण्डिया इसी प्रकार से हमने कहा है कि मेक इन हरियाणा इसके तहत जो हरियाणा के अंदर प्रोडक्शन होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। इस प्रकार की भावना भी हमारी उद्योग नीति के अंदर आने वाली है। इसी प्रकार से कुण्डली-मानेसर-पलवल हाईवे का जो प्रोजैक्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बड़ी देर से बंद पड़ा था उसका निर्माण कार्य भी हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। यह निर्माण कार्य क्यों बंद पड़ा था आज मैं यहां पर उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा लेकिन हमारी सरकार उस में जो कुछ हुआ उन सब बातों को छोड़ते हुए जनता की सुख सुविधाओं के लिए इस प्रोजैक्ट को चालू कर रही है। हमें उम्मीद है कि इस हाईवे का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू होकर पूर्ण हो जायेगा। इसके साथ-साथ मैं माईनिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारा यह मानना है कि पिछली सरकार ने पिछले पांच साल माईनिंग के ऊपर कोई निर्णय नहीं किया। सभापति महोदय, इसके क्या कारण थे ये तो पिछली सरकार के नुखिया ही बता सकते हैं। हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो बड़ी-बड़ी माईन्स हैं उनको हिस्सों में बांट कर हम नई खनन नीति लेकर आयेंगे और जो खनन का काम पूरे प्रदेश में बंद पड़ा था उस खनन के काम को हम दोबारा चालू करेंगे। यह घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने

13.00 बजे

की है। "स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत अभियान" आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वपन है स्वच्छ भारत। उनके मन में एक टीस है कि हमारा देश जिसमें सभी चीजें हैं लेकिन फिर भी हमारे कुछ नौजवान बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। जब वे वापिस आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर आपको कौन सी चीज पसंद आई तो वे बताते हैं कि वहाँ पर हमें दो चीजें पसंद आई हैं। एक तो सफाई और दूसरी चीज है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। इन दोनों बातों को हमारे देश में लागू करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने आई.टी. के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है तथा सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है उसको हरियाणा सरकार भी लागू कर रही है तथा हमारी सरकार उसके लिए कदम उठा रही है। इस काम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। शहरों में कूड़े-कर्कट का ठीक प्रबंध होना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगें उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। सभापति महोदय, अब मैं मलीन बस्तियों के पुनर्वास के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी सरकार इस बात के लिए दृढ़संकल्प है कि हम हरियाणा प्रदेश को स्लम-फ्री बनाना चाहते हैं। जहाँ-जहाँ भी झुग्गी-झौंपड़ियों में लोग बैठे हैं तथा जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से ही लोग झुग्गियों में बैठे हैं उनके विकास के लिए उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कई बार तो पैसे भी जमा करवा दिये गये तब भी इन लोगों को मकान नहीं दिये गये। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता

हूँ कि मलिन बस्तियों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसी प्रकार से अब मैं सी.एल.यू. के बारे मे बात करना चाहता हूँ। हमारी सरकार इस बात के लिए दृढ़संकल्पित है कि सी.एल.यू. में ट्रांस्पेरेंसी आये। जिस प्रकार से पिछली सरकार में सी.एल.यू. होती थी उसके बारे में सदन में काफी चर्चा हुई थी। पिछले एक साल में कितनी सी.एल.यू. हुई तथा पिछले 40-50 सालों में कितनी हुई यह भी बताया गया था। जब से हरियाणा प्रदेश बना है कितनी सरकारें आई हैं और किस प्रकार से सी.एल.यू. हुई हैं यह बात प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि हमारी सरकार कोई भाई-भतीजावाद, कोई क्षेत्रवाद नहीं करेगी। इन सब बातों से ऊपर उठ कर प्रदेश का विकास करने के लिए हमारी सरकार दृढसंकल्पित है। हमारी पार्टी के सभी सदस्यों के मन में जनसेवा की सच्ची भावना है। उसी भावना का प्रयोग करते हुये हम हरियाणा प्रदेश को नई बुलंदियों तक लेकर जायेंगे। हम एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे जहाँ प्रत्येक नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ0 अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव को सैकेंड करता हूं। इसके साथ ही मैं माननीय सभासदों के सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। महामहिम का जो अभिभाषण है वह सरकार का एक तरह से विजन स्टेटमैंट है और इसमें सरकार किन कामों पर कितना ध्यान देती है, कितना काम करना चाहती है, उसके बारे में सरकार ने इंगित किया है। सरकार उस काम को कितना कर पाती है और कितना नहीं कर पाती यह तो समय ही बताएगा। समय ही इस बात का फैंसला करता है जब पांच साल बीत जाते है तब यह फैंसला होता है कि सरकार ने कितना काम किया है। हमारी सरकार का भरसक प्रयत्न है कि पांच साल के लिए जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है उन पांच सालों में हम जनता की भावना के अनुरूप कुछ करके दिखाएंगे। हम सभी यहां एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत बैठे हैं और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो काम होता है वह जनहित होता है। सरकार की भावनाएं इस ओर इंगित कर रही हैं कि हमारे इरादे नेक हैं। हम इन नेक इरादों पर चलकर, नेक रास्तों पर चलकर, ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे समाज को हम पर उंगली उठाने का मौका न मिले। हमारी सरकार का कृतसंकल्प है कि जो भय मुक्त भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ था उस भय मुक्त भ्रष्टाचार के वातावरण से स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की तरफ हम चलें। क्योंकि हम प्रजातंत्र की व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। बहुत पहले कभी अब्राहिम लिंकन जी ने कहा था- Government of the people, by the people, for the people. यह केवल कहावत मात्र नहीं है सभापति महोदय, यह बहुत सारगर्भित पाठ है। जब भारत का संविधान बना तो कांस्टीच्यूशन के टाईम का जो प्रिएम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में बड़े सुन्दर ढंग से लिखा है -

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political; . . . "

I just want to bring this sentence to your kind attention सभापति महोदय, जहां जस्टिस बर्ड है जहां सोशल इकॉनोमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करते हैं वहां कहीं भी जाति-पाति, क्षेत्र की भावनाओं का स्कोप नहीं रहता। मैं पूर्व सरकार के अपने साथियों से

[डॉ0 अभय सिंह यादव]

माफी चाहूंगा। इनके समय में कई बार मर्यादाएं भंग हुई हैं। मर्यादाओं का उलंघन हुआ है। मैं नहीं समझता कि हमें किसी क्षेत्र विशेष की बात करनी चाहिए। किसी जाति विशेष की हम बात करें या किसी समुदाय विशेष की हम बात करें, उसकी बात नहीं है, बात है जो संविधान की मर्यादाओं का उलंघन हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसे बिन्दु आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनके मात्र सुनने से आपके समक्ष वह स्थिति प्रकट होगी कि मर्यादाओं का किस हद तक उलंघन किया गया है। मैं सबसे पहले अगर ग्रामीण विकास की बात करूं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष बताना चाहता हूं। वर्ष 2005 से 2009 तक का जो पीरियड था उसमें सरकार ने एक योजना चलाई, 'आदर्श ग्राम योजना' और मैं उन दिनों किसी जिले में ए.डी.सी. होता था। उस योजना के तहत लगभग एक करोड़ रुपये की राशि आदर्श गांव पर खर्च की जाती थी और उस योजना के तहत सारे स्टेट में 98 गांवों को आदर्श गांव की श्रेणी में लाया गया था । सभापति महोदय, मैं मोटे-मोटे तौर पर बता देता हूँ कि रोहतक जिले के 18 गांव थे, झज्जर जिले के 15 गांव थे, भिवानी जिले के 16, हिसार जिले के 9 गांव, सोनीपत जिले के 7 गांव, रेवाड़ी जिले के 4 गांव थे। सभापति महोदय, महेन्द्रगढ़, सिरसा और पंचकुला तीन जिले ऐसे थे जहां का एक भी गांव उस आदर्श गांव की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। मुझे नहीं पता इसके पीछे सरकार की क्या फिलोस्फी और क्या सोच रही होगी ? सभापति महोदय, इस तरह का संकेत जब सरकार की तरफ से जाता है तो वह ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : यादव जी, उस हल्के के विधायक ने इसमें रुचि नहीं ली होगी।

डॉ0 अभय सिंह यादव : सभापति महोदय, दांगी साहब ठीक कह रहे हैं कि वहां के स्थानीय विधायकों ने इसमें रुचि नहीं ली होगी। इसमें स्थानीय विधायकों ने रुचि क्यों नहीं ली, इसका अर्थ भी चौधरी साहब आप ही बता देना।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पंचकुला क्षेत्र का विधायक तो कांग्रेस पार्टी का ही था।

डॉ0 अभय सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास का एक और उदाहरण आपको बताता हूँ कि डि-सैंट्रलाईजेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए एक माननीय मंत्री जिला कष्ट निवारण समिति का इंजार्ज होता है और उसी की अध्यक्षता में उस कमेटी की मीटिंग होती है। सभापति महोदय, पिछले साल महेन्द्रगढ़ जिले की डिस्ट्रिक्ट प्लान बाकायदा स्वीकृत हुई और जिले के अधिकारियों ने स्वीकृत प्लान के मुताबिक कार्य शुरू भी करवा दिया था। इस प्लान के लिये बजट भी आया लेकिन उसके बाद बजट को इलेवन्थ आवर पर वापिस मंगवा लिया गया। बजट को कैंसिल कर दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ ? जब मैंने अधिकारियों से जानना चाहा कि इस साल का कितना बजट आया है। सभापति महोदय, मुझे अधिकारियों ने बताया की इस साल बजट तो आया है लेकिन पिछले साल के जो काम बकाया था वे काम करवा लिये हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले साल का बजट वापिस ले लिया था, इस प्रकार इस बार के बजट से पिछले साल जो काम किए हैं उनका पैसा चुकाया है। सभापति महोदय, इसी तरह से सड़क निर्माण की बात है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा की बात कर रहे थे। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से एक स्कीम है। पिछले साल लगभग 1 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने के लिये हरियाणा के हिस्से में आई थी।

सभापति महोदय, मुझे यह बात बताते हुए तकलीफ हो रही है कि आज की तारीख में, सड़कों के मामले में महेन्द्रगढ़ जिले की सबसे खस्ता हालत है। सभापति महोदय, यदि कोई भी माननीय सदस्य इस बात की वैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो मैं अपनी स्कोरपियो गाड़ी में बिठाकर महेन्द्रगढ़ और नांगल चौधरी के गांवों की अप्रोच सड़कों तक ले चलता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की टूट फूट कम होती है। मेरी गाड़ी को इन खस्ता सड़कों पर चलने की आदत हो गई है। सभापति महोदय, बी.एम.डब्ल्यू गाड़ी उन सड़कों पर चलेगी तो उसको वहां से आना मुश्किल हो जायेगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि एक हजार किलोमीटर की सड़क में से एक किलोमीटर की भी सड़क महेन्द्रगढ़ जिले को न देना अपने आप अनदेखी को दर्शाता है। इस बात को परिभाषित करने के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सभापति महोदय, मैं एक बात सिंचाई की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ है कि हमारे जिले महेन्द्रगढ़ में अरावली की चढ़ाई के कारण लिफ्ट इरीगेशन से पानी आता है। सभापति महोदय, मैंने विधान सभा की समिति में भी इस बात से अधिकारियों को अवगत करवा दिया था कि पिछले 37 सालों में एक भी पम्प सैट नहीं बदला गया है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायकों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करके विभाग से अनुमानित 143 करोड़ रुपये के खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करवाया है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बजट की सिद्धांतिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दे दी है। **(इस समय मेजें थपथपाई गई)** मुझे उम्मीद है कि बजट में उसकी व्यवस्था करके सिंचाई व्यवस्था को ठीक करेंगे। सभापति महोदय, इसका एक रोचक पहलू आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सोनीपत जिले में एक जगह है खुबड़ू हैड जहां से लिफ्ट इरीगेशन का फीडर चैनल चलता है और झज्जर में बाकरा हैड तक लिफ्ट इरीगेशन को फीड करने के लिए यह फीडर चैनल आता है। (विघ्न)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Chairman Sir, for the information of the House, बाकरा हैड को हटा दिया है और बाकरा हैड तक तकरीबन 15 करोड़ रुपये की लागत से उस चैनल की रिमॉडलिंग हुई है। सभापति महोदय, वहां से बाकरा हैड को हटाकर पानी का नैचुरल फ्लो कर दिया गया है।

डॉ0 अभय सिंह यादव : सर, यह अच्छी बात है, इसका भी कोई कारण रहा होगा, मैं इस पर आ रहा हूँ । (विघ्न) सर, पहले मेरी पूरी बात सुन लिजिये। कैनाल एक्ट में एक प्रोविजन है कि फीडर चैनल को कभी भी पंक्चर नहीं किया जा सकता है, फीडर चैनल में से आउट लैट नहीं दिये जाते हैं। यह फीडर चैनल भिवानी, महेन्द्रगढ और रेवाड़ी तीनों जिलों को पानी देता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पुन: बताते हुए तकलीफ हो रही है कि पिछले लगभग 6-7 साल में उस फीडर चैनल में से 6 आउट लैट दे दिये गये हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था के तहत तीन जिलों को पानी देने की व्यवस्था की गई थी, मेरी इस बात से कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी भी सहमत होगी कि यह गलत काम हुआ है। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं एक पहलू और बता रहा हूँ जो ऑरीजनल लिफ्ट बनी थी, जिधर से वह नहर जा रही थी, उसके साथ के इलाकों को सिंचित करने के लिए एक अलग चैनल बनाया गया था, जिसको (झज्जर सब ब्रान्च) जे.एस.बी. कहते हैं। जिसकी लैंथ 55 किलोमीटर है, उसकी व्यवस्था की गई थी। उस फीडर चैनल से नहर के दोनों तरफ के एरिया में आराम से पानी दिया जा सकता था और दिया जाता रहा है लेकिन वह नहर वहां पर ऊंची बंधी हुई है, जब ऊंधी बन्धी हुई नहर से पानी लेते हैं तो उसकी मात्रा ज्यादा

[डॉ0 अभय सिंह यादव]
आती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल पानी उन इलाकों में जाता है, एक तो लिफ्ट इरीगेशन से उठकर पानी हमारे इलाके में जाता है और दूसरा जो पानी की लॉग बुक भरी जाती है उस पानी में से जितना पानी हैड में से पम्प वहां से शुरू में उठाते हैं उसके मुताबिक लॉग बुक भरी जाती है। सभापति महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि जो अनअॅथोराईज्ड पानी बीच में पंक्चर किया जाता जाता है वह पानी भी हमारे हिस्से में ही काऊंट किया जाता है। (विघ्न) सभापति महोदय, यह बात मर्यादाओं की है। डॉ. साहब आप अपनी बात कह देना। मैं तो सिर्फ रिकार्ड के आधार पर ही सदन में कह रहा हूँ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य ने जे.एस.बी. की लैंथ 65 किलोमीटर बताई है। यह झज्जर सब ब्रान्च पहले साल्हावास तक थी, लेकिन अब ब्रान्च गोच्छी तक है। अब यह ब्रान्च अबंडन हो गई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 और वर्ष 2005 के बीच में जो सरकार थी उस सरकार के समय में यह अबंडन हुई है। जे.एस.बी. 20 किलोमीटर अबंडन हुई है Abhe Singh ji you were the part of the Government at that time उस समय उस एरिया को सिंचित करने के लिये एक स्पेशल भोगा जे.एल.एन. कैनाल में लगा था। इस इलाके में जे.एल.एन कैनाल में भोगा गाँव भागलपुर, जहाजगढ़, साल्हावास और बनाणी के इलाके को सिंचित करने के लिए लगाया गया था। यह भोगा 55 किलोमीटर का नहीं है बल्कि गोच्छी के आगे यह ब्रान्च अबैन्डन हो गई है।

डॉ0 अभय सिंह यादव : सभापति जी, इसके बाद हैल्थ डिपार्टमैंट की बात है। आप सभी को पता है कि हमारा इलाका सबसे दूर दक्षिण में पड़ता है। यह बड़ी विडम्बना है कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे वहां का बना रखा था उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं का वहां पर यह हाल है कि नारनौल में अगर कोई आदमी गम्भीर बीमार होता है तो वह जयपुर ले जाया जाता है। इसका कारण यह है कि गुड़गांव में जो अस्पताल हैं वे इतने महंगे अस्पताल हैं कि नारनौल का आदमी तो उन अस्पतालों की इन्ट्री फी या रजिस्ट्रेशन फी भी अदा नहीं कर सकता क्योंकि नारनौल एक बहुत गरीब इलाका है। पिछली सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री हमारे इलाके के थे और बहुत सारे एम.एल.एज. भी उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे और हमें उम्मीद थी कि हमारे इलाके में एक मेडिकल कालेज तो शायद खोल दिया जायेगा। मैं आदरणीय हुडा साहब की बहुत इज्जत करता हूं वे यहां पर सदन में बैठे हुए हैं, I acknowledge before this House that he has always been very nice to me. हमें उम्मीद थी कि वहां पर मेडिकल कालेज बनायेंगे लेकिन बाद में पता चला कि वहां के लिए एक आयूर्वेदिक कालेज दिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, माननीय सदस्य को शायद यह पता नहीं है कि महेन्द्रगढ़ में सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोली है उसमें एक मेडिकल कालेज भी बनेगा।

डॉ0 अभय सिंह यादव : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में इस बारे में किसी को भी पता नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, जब राष्ट्रपति जी ने सैंट्रल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था उस समय यह कहा गया था कि इस सैंट्रल यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कालेज भी बनेगा।

श्री सभापति : हुड्डा साहब, आपको बोलने से पहले चेयर की परमिशन लेनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, मैंने आपसे परमिशन लेकर ही बोलना शुरू किया है अगर कोई कमी है तो सुधार कर लूंगा। लेकिन क्या आप भी हमारी सरकार के वक्त परमिशन लेकर बोलते थे ?

श्री सुभाष बराला : सभापति जी, अब तो आप अध्यक्ष की चेयर पर विराजमान हैं इसलिए हुड्डा साहब को इस प्रकार चेयर पर लो एसपर्सन नहीं करनी चाहिए।

श्री पवन सैनी : सभापति जी, क्या हुड्डा साहब की यही मर्यादा है ये इस प्रकार बोलकर नये विधायकों को क्या सिखायेंगे ?

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति जी, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा यह बात कह रहे हैं कि वे तो आप से परमिशन लेकर बोले हैं लेकिन साथ ही ये आप पर कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या आप परमिशन लेकर बोलते थे ? सभापति जी, हुड्डा साहब से कोई पूछने वाला हो कि जब उस वक्त आप बोलने के लिए चेयर से परमिशन मांगते थे तो आपको जाति सूचक गालियां दी जाती थी उस समय की सरकार में यह हालात थे।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : सभापति जी, जब हरियाणा निवास में 20 फरवरी को नये विधायकों के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था उस समय श्री कुलदीप शर्मा जी ने नये विधायकों को यह संदेश दिया था कि आप किसी भी विधायक को तूं कहकर नहीं बोलेंगे और माननीय सदस्य कहकर बोलेंगे। अब पता चला कि इनके कार्यकाल में इन्होंने एक माननीय सदस्य को जाति सूचक गालियां देकर सम्बोधित किया यह बड़े शर्म की बात है।

PERSONAL EXPLANATION—

(By Shri Kuldeep Sharma)

Shri Kuldeep Sharma : Sir, on a point of personal explanation, I want to say that there is a misguided soul in this House. I don't know from where he is quoting ? (Interruption)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)

डॉ0 अभय सिंह यादव : सभापति जी, मैं कह रहा था कि हुड्डा साहब कहते थे कि वे हमारे यहाँ मैडिकल कॉलेज बनायेंगे। इस बात पर मुझे उन साथियों के लिए एक चुटकुला याद आ गया जो हुड्डा साहब के मुख्यमंत्रित्वकाल में इनके साथ रहे थे। पहले समय में छोटे-छोटे बच्चों के लिए मार्कीट में खिलौने नहीं मिलते थे। उस समय उनकी माताएं माचिश की डिब्बियों में छोटे-छोटे ककड़ डालकर उसको कपड़े से ढककर व चारों तरफ से सीलकर उसमें एक डंडी लगाकर झुनझुना बना देती थीं। कई बच्चे इस प्रकार के खिलौने से भी नहीं मानते थे तो उनकी माताएं कांसी की थाली में एक सिक्का डाल देती थी और जब बच्चा उस सिक्के को हाथ लगाता था तो वह सिक्का आवाज करता था और बच्चे मान जाते थे लेकिन कई बार बच्चे से गलती हो जाती तो सिक्का गले में फंस जाता था। (हंसी) ठीक इसी प्रकार से हुड्डा साहब ने हमारे एम.एल.एज. को यह सिक्का दे दिया और

[डॉ0 अभय सिंह यादव]
उस सी.एल.यू. की सी.डी. भी बन गई और वह गले में फंस गई तथा वे मैडिकल कॉलेज बनाना भूल गये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक बात करना उचित नहीं है। ठीक है, इनका मुकाबला उनसे हुआ होगा लेकिन उनके बारे में यहाँ पर इस प्रकार की बात कहना ठीक नहीं है। (विघ्न) अभी मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वे इनको भी झुनझुना दे दें।

डॉ0 अभय सिंह यादव : सभापति जी, इनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में न पानी की हिस्सेदारी ठीक है, न बिजली की हिस्सेदारी ठीक है तथा न सिंचाई व स्वास्थ्य की व्यवस्था ही ठीक है। सभापति जी, मैं एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा कि एक दिन टी.वी. पर एडवर्टाईजमैंट शुरू हुई जिसमें नवयुवक-नवयुवतियाँ नाचते व बोलते हुए देखे गये कि हरियाणा नम्बर-1 है, हरियाणा नम्बर-1 है। हरियाणा नम्बर-1 की बात जब चलने लगी तो इस बारे में हमारे क्षेत्र में लोग पूछने लगे। एक दिन नारनौल-महेन्द्रगढ़ रोड़ पर एक बस का ऐक्सल टूट गया तो लोग कहने लगे कि हरियाणा नम्बर-1 की हरियाणा नम्बर-1 बस का ऐक्सल टूट गया। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक नम्बर पर जब आते हैं तो दौड़कर आते हैं। दौड़कर भी आते हैं और हिम्मत भी होती है तब एक नम्बर माना जाता है लेकिन हरियाणा का यदि नक्शा देखें तो पता चलेगा कि महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा के पैर हैं अर्थात् सबसे नीचे है। यदि हरियाणा प्रदेश के पैर ही घायल पड़े हों तो हरियाणा कैसे नम्बर-1 पर आ सकता है ? (थंपिंग) सभापति जी, दूसरी बात मैं मर्यादाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि जब हम सभी किसी पब्लिक पोस्ट या किसी पोलिटिकल पोस्ट या किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट, चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे मुख्यमंत्री या मंत्री हों उस पद पर आसीन हों अथवा आटोनोमस बॉडी में हों तो पदग्रहण से पहले शपथ लेते हैं और उस शपथ का हिस्सा होता है कि हम बिना किसी भेदभाव व द्वेष के अपने समक्ष आये मामलों पर फैसला करेंगे। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली सरकारों की बात नहीं कर रहा। हम भी इस समय सरकार में हैं और हमारे कई मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं। मेरा निवेदन है कि शपथ का पालन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब मैं पी.एच.डी. पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहा था तो मैंने एक बार प्रश्न किया कि शपथ को इंट्रोडियूस क्यों किया गया। मैं अपने गाइड से पूछने लगा How, why and for what it is introduced? After lot of discussion I came to know कि चाहे जिस पद पर आदमी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर न हो self control वहां अपने आप में मोनीटरिंग का काम करती है क्योंकि हम ईश्वर की शपथ या संविधान की शपथ लेते हैं। उस शपथ का मतलब होता है कि जो शपथ हमने ली है उसके दायरे के बाहर हम नहीं जाएंगें। मैं समझता हूं कि पब्लिक ओफिस जो भी आदमी होल्ड करता है उसको उस शपथ के दायरे में रहकर न्याय करना चाहिए। मैं हमारी सरकार से उम्मीद करूंगा कि जो इरादे और जो वायदे और जो नेकनियती हम लेकर चले हैं उस नेकनियती को सामने रखते हुए, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए और सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है उसके अनुरूप हम सारे राज्य का समान और संतुलित विकास करेंगें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने

का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

"कि राज्यपाल महोदय को एक सभावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :-

कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 9 मार्च, 2015 को 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात सदन में देने की कृपा की है।"

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने दो बजे तक का समय रखा हुआ है इसलिए या तो आप समय बढ़ाएं या फिर कल फिर मुझे इस अभिभाषण पर आगे बोलने का मौका दें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उससे लग रहा था कि सरकार अपना कोई रोडमैप लेकर आई है लेकिन जिस तरह का अभिभाषण उनसे पढ़वाया गया है उसमें जो प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे थे उनमें कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी जरूर रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, लगातार बारिश जो हो रही थी जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी और खराब हो रही थी, हम यह मानकर चल रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं न कहीं दो लाइनें और जोड़ी जाएंगी कि जिस बारिश की वजह से और जिस ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल आज खराब हुई है इस पर सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कोई मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से दो दिन पहले कालिंग अटैंशन नोशन भी दिया गया था और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी दिया था। यह बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर हम आज चर्चा करना चाहते थे लेकिन आपने इसको कल पर टाल दिया है। कृषि हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है और हमारे प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। हरियाणा में 70 प्रतिशत लोग खेती तथा पशु पालन पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रदेश में यदि किसानों की खड़ी फसल आपदा के कारण बरबाद हो जाती है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ऐसे ब्यान तुरंत जारी करे जिससे किसानों को आशा बंधे कि सरकार उनकी मदद करेगी। पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है। यहां भी भारी बरसात और ओलवृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और 700 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग केन्द्र सरकार से की है ताकि वहां के किसानों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री जी से इस मैटर पर मिलकर भी आये। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार को भी इस पर चिंता करनी चाहिए और प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री जी से मिलकर मुआवजे की मांग करनी चाहिए ताकि प्रदेश के किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। सरकार को नुकसान की तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी भी करवानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है ? आज यदि कोई किसान ठेके पर जमीन खेती करने के लिए लेता है तो कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ वार्षिक के हिसाब से ठेका देना पड़ता है और कई जगहों पर तो 60 से 70 हजार रुपये भी ठेके के प्रति एकड़ देने पड़ते हैं। हमारे प्रदेश में किसानों की फसल का करीबन 50 से 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ है इसलिए हम चाहते हैं कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत फसल खराब हुई है उनको कम से कम 25 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय करना चाहिए ताकि किसान के नुक्सान की भरपाई हो जाये और

[श्री अभय सिंह चौटाला]

किसान अगली फसल तैयार करने के लिए पैरों पर खड़े हो सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से किसानों से संबंधित भूमि अधिग्रहण बिल एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा नहीं की गई है। भूमि अधिग्रहण को लेकर केन्द्र सरकार नया अध्यादेश लेकर आई है और पार्लियामैंट में उस पर चर्चा हो रही है। इस बारे में मैंने आज के अखबार में पढ़ा है कि केन्द्र सरकार इसको रैफर कर रही है और विपक्ष के साथी इसमें जो संशोधन चाह रहे हैं उनको कहीं न कहीं मान लिया जायेगा। लेकिन फिर भी इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश दिल्ली के साथ लगता है और हमारा ज्यादातर एरिया एन.सी.आर. में आता है। अब तो भिवानी, महेन्द्रगढ़, पानीपत और करनाल जिले भी एन.सी.आर. में आ गये हैं इस तरह से तकरीबन हमारे प्रदेश के 6-7 जिले एन.सी.आर. में आते हैं। एन.सी.आर. में किसानों के पास बहुत कम जमीन बची हुई है और एवरेज 60 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टेयर से भी कम जमीन है तथा एवरेज 12 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है। अगर उनकी यह जमीन भी नये भूमि अधिग्रहण बिल के तहत ले ली जायेगी और वे जमीन बचाने के लिए कहीं आवेदन भी नहीं कर पायेंगे तो इससे किसानों को बहुत परेशानी हो जायेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पूरा सदन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव पास करके भेजे कि हरियाणा भूमि अधिग्रहण बिल से सबसे ज्यादा अफैक्टिड होगा इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए और एक दफा इसको रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पिछले साल जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था उस समय भी नरमा कपास और जीरी की फसलों का किसान को अच्छा भाव न मिलने के कारण किसान को बहुत नुक्सान हुआ था और कपास की फसल का एरिया सूखे की चपेट में आ गया था। उस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 123 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में देने की बात कही गई थी। जबकि सबसे ज्यादा नरमा कपास की फसल हमारे सिरसा, फतेहाबाद, जींद और फिर थोड़ा-बहुत कैथल में होती है लेकिन इन सभी क्षेत्रों में मुझे आज तक एक भी ऐसा किसान नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि मुझे मुआवज़े के रूप में सरकार की तरफ से एक भी पैसा मिला हो। जबकि पिछली सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि मुआवजे के रूप में 123 करोड़ रूपये दिये गये हैं। इस बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे जब गवर्नर एड्रैस पर अपना रिप्लाई दें तो इस बारे में ज़रूर बतायें कि यह मुआवज़े की राशि कौन-कौन से गांवों में कितनी-कितनी वितरित की गई है ताकि हमें इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इसी प्रकार से एस.वाई.एल. का भी जिक्र आया है। इस सदन में जब कभी भी गवर्नर एड्रैस आता है चाहे वह किसी भी सरकार के समय के दौरान क्यों न आया हो उसमें हमेशा ही एस.वाई.एल. का जिक्र किया जाता है कि एस.वाई.एल. हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है। अगर एस.वाई.एल. के माध्यम से हमारे हिस्से का पानी हमें मिल जाता है तो हमारे प्रदेश का जो हिस्सा वीरान पड़ा है वह सिंचित हो जायेगा और इससे उस क्षेत्र के किसानों के साथ-साथ प्रदेश और देश को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे सदन को यह ज़रूर बताना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. के बारे में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था और उस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से यह आदेश दिया था कि अगर पंजाब की सरकार इस नहर का निर्माण नहीं करवाती है तो केन्द्र की सरकार इस नहर का निर्माण करवायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब की सरकार में भारतीय जनता पार्टी

हिस्सेदार है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बजाये इसके कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाये प्रदेश की सरकार को केन्द्र सरकार के सामने इस बात का जिक्र करना चाहिए कि एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण करवाया जाये। इसके लिए अगर सरकार कोई प्रस्ताव विधान सभा में लाना चाहती है तो इसमें पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जायेगा और हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव का 100 प्रतिशत पुरज़ोर समर्थन करेंगे। इसी प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र के मैनीफैस्टो के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश के मैनीफैस्टो में भी इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एफिडेविट दिया गया है कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। मगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी जैसा कि अभी माननीय कृषि मंत्री महोदय बता रहे थे कि हमने अपनी तरफ से एक नया प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा है कि किसानों को 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत रेट बढ़ाकर दिये जायें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अपने मैनीफैस्टो में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा करके आपने लोगों के वोट प्राप्त किये हैं जिससे आपकी सरकार सत्ता में आई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए ताकि किसान को उसका लागत मूल्य तो मिल जाये क्योंकि आज ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर लोगों में एक चिंता का विषय बना हुआ है जैसा कि मेरे से पहले जय प्रकाश जी बता रहे थे कि इसके लिए बहुत से किसानों ने प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर सड़क रोकने का काम किया है और धरने देने का काम किया है। इस सबके दौरान बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई और वे बीमार पड़ गये और अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। इन सब चीज़ों के लिए जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि सरकार को किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों को जेलों में बंद कर रखा है उनको भी तुरन्त छोड़ देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कोई गलत फैसला न किया जाये क्योंकि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वे कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो। वे अपने हित के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वे लड़ाई भी इसलिए लड़ रहे हैं कि आपने अपने मैनिफैस्टो में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का उल्लेख किया था और अगर आप अपनी बात से मुकरते हो तो इस बात को 100 प्रतिशत मान कर चलो कि जिस व्यक्ति ने आपको वोट दिया और आपको जिता कर यहाँ भेजा है उसको इस बात से तकलीफ होगी। इसलिए मजबूरन उनको सड़क पर आना पड़ा। इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए। इस काम के लिए हम 100 प्रतिशत सरकार के साथ हैं ताकि किसानों को पूरा फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बेरोजगारी के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी बेरोजगारी का जिक्र किया गया है तथा आपके मेनिफैस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने अपने मेनिफैस्टो में कहा था कि हम बेरोजगारों को 100 घंटे का काम देंगे तथा 10+2 पास बेरोजगारों को 6000/- रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। आपकी सरकार को बने लगभग 4 महीने का समय हो

[श्री अभय सिंह चौटाला]

गया है लेकिन आज तक न तो किसी 12वीं पास बेरोजगार को 100 घंटे का रोजगार ही मिला है और न ही उसको बेरोजगारी भत्ते का कोई पैसा ही मिला है । इसी तरह से आपके मेनिफैस्टो में यह भी कहा गया था कि बी.ए. पास या पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 9000/- रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा लेकिन नौजवान उससे भी वंचित रह गये हैं। सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाये हैं ? माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुये हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी को नोट करवा दें और जब वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दें तो इस बारे में जरूर बतायें कि किन कारणों से इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा सका और किस कारण वे आपके द्वारा किये गये वायदे से वंचित हैं ? वह वायदा भी आपको जल्दी पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो पिछले 10 सालों में तो हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत ऐसी थी कि जिस हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की अपनी एक अलग पहचान होती थी उस पहचान को मिटा दिया गया। इस दौरान क्राइम करने वालों को सरकार की तरफ से संरक्षण मिलता था तथा सरकार में बैठे हुये लोग उनको बचाने का काम करते थे। उसी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई जिसके कारण क्राइम रेट बढ़ता गया। क्राइम पर कोई अंकुश नहीं लगा था बल्कि क्राइम बढ़ा था। आज भी आपकी सरकार बनने के बाद भी पिछले 4 महीने में जिस तरह से घटनाएं घटी हैं उससे लगता है कि अब भी क्राइम पर कोई अंकुश वाली बात नहीं है। मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता बल्कि उदाहरण के तौर पर कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। रेवाड़ी जिले में पिछले 8 दिनों में 5 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री के जिले में भी असन्ध में एक सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। इसी तरह से गोहाना में भी एक सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। इसके साथ-साथ एक बात और भी हुई है कि सामूहिक बलात्कार के 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने छोड़ दिया और एक आदमी पर केस दर्ज कर दिया कि इसने बलात्कार किया है जबकि यह एक सामूहिक बलात्कार था। इससे लगता है कि अधिकारी आज भी कहीं न कहीं अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं उन पर सरकार को तुरन्त एक्शन लेना चाहिए तथा अंकुश लगाना चाहिए। इसी तरह से एक खबर आजकल और रोजाना अखबारों की सुर्खियों में रहती है कि ए.टी.एम. मशीन को कोई भी कहीं से भी उखाड़ कर ले जाता है, उस पर कोई रोक नहीं है। गोहाना में तो बात इससे भी आगे बढ़ गई तथा सुरंग खोद कर बैंक के अन्दर जा कर लोगों के लॉकर तोड़ कर चोर सारा सामान निकाल फरार हो गये थे और सरकार को कहीं कुछ जानकारी नहीं मिली। जबकि आप ये मानकर चलो कि चाहे कोई छोटा कस्बा है चाहे कोई सब-डिविजन है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बाकायदा पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वह समय-समय पर हर इलाके में गस्त करे और हर इलाके में इस बात की जानकारी रखे कि कहां क्या घटना घटित हो रही है ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। लेकिन मुझे लगता है कि जो पुरानी परम्परा थी आज भी वही की वही है उसमें कोई लम्बा चौड़ा सुधार नहीं हुआ है। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक घटना और बताना चाहूंगा जिस दिन विधान सभा का चुनाव था उस दिन हमारे सिरसा हल्के में एक गांव है मोडिया खेड़ा उस मोडिया खेड़ा गांव में मतदान हो रहा था और मतदान के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी श्रीमती सुनिता सेतिया जी, उनका बेटा उस मतदान केन्द्र पर गया और उसने उस मतदान केन्द्र पर जाकर हमारी पार्टी के एजेंट के साथ पहले बदतमीजी की जब उसने उसका विरोध किया तो हैरानी की बात है कि उसने अपना रिवालवर

निकाला और उससे उस पर फायर करने शुरू कर दिये जिससे उसको दो गोलियां लगी एक गोली तो उसके पेट में लगी और एक उसके हाथ में लगी वह तो परमात्मा की कृपा थी कि वह लड़का बच गया। मुकदमा दर्ज हो गया जिसका बाई नेम पर्चा दर्ज है। आज चार महीने हो गये मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी और उनसे मैंने पर्सनली मिलकर भी कहा कि उस पर कार्रवाही करवाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्रवाही करूंगा लेकिन अब तक कोई कार्रवाही नहीं हुई है। अगर ये कहते हैं कि वह मुजरिम नहीं है तो फिर कौन मुजरिम है ? उन लोगों को तो जरूर पकड़ा जाए ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को कहीं न कहीं डर पैदा हो। वे इस बात से डरें कि अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी। लेकिन कमाल की बात है आज तक कोई कार्रवाही नहीं हुई। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी से कहा था और आज भी मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में जो लोग दोषी हैं उनको तुरंत पकड़वाएं और उसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सीधा सा तरीका है आजकल हर पोलिंग बूथ पर कैमरे लगे होते हैं। आप उन कैमरों से जांच करवा लें और पता लगा लें कि वह कौन लोग थे उससे पता लग जाएगा कि कौन लोग गोली चलाने वाले थे और कौन भागने वाले थे ,कौन मारने वाले थे ? लेकिन पुलिस ने उस पर अब तक कोई कार्रवाही नहीं की। इसलिए मैं आज हाऊस में फिर प्रार्थना करता हूं कि इस पर आप कार्रवाही जल्दी करवाएं ताकि लोगों में जो भय का वातावरण है वह खत्म हो जाए। इसी तरह से जो आज आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की पहल की है वह बहुत अच्छी बात है यह होना भी चाहिए जरूरी भी है। इस योजना से आज जो तालमेल बिगड़ा हुआ है वह कहीं न कहीं सो फिस्दी ठीक होगा। क्योंकि जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं वहां सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की बात है रणधावा गांव है और रणधावा गांव की पी.एच.सी. में मेरे गांव की लड़की नर्स लगी हुई है वहां पर एक डॉक्टर ने उस लड़की को अपने दफ्तर में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी की और उसके साथ बदतमीजी की। यह कांग्रेस सरकार के समय का मामला है। हुड्डा साहब आपको भी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन बातों से कई बार बहुत गलत संदेश जाता है। वहां पर जो डॉक्टर लगा हुआ था उस डॉक्टर का पिता और डॉक्टर के.वी. सिंह जो हुड्डा सरकार में ओ.एस.डी. थे वह दोनों हमजमात थे। एक ही होस्पीटल में काम करते थे। उस वक्त उस लड़की ने जा कर पुलिस में उसकी एफ.आई. आर. लोज करवा दी। नाथू श्री धोपटा थाने में पर्चा दर्ज हुआ। एफ.आई.आर. लोज हो गई। लेकिन उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाही होने की बजाए उस केस में एफ.आर. लगाकर केस को खत्म कर दिया गया। जब एफ.आर. लग गई तो उस डॉक्टर की हिम्मत बढ़ गई और उसने दोबारा फिर उस लड़की के साथ बदतमीजी की। जब उसने दोबारा फिर बदतमीजी की तो उस लड़की ने फिर पूरे स्टाफ को साथ लेकर के दोबारा फिर एफ.आई.आर. दर्ज कराई। दोबारा एफ.आई. आर. लोज कराने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाही नहीं हुई। उस लड़की ने मुझे भी और आपको भी जो एफ.आई.आर. हुई है उसकी कॉपी भेजी है। तो यह मानकर चलो अगर लड़कियों के साथ इस तरह से कोई बदतमीजी करेगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं होगी तो मुजरिमों के हौंसले बढ़ेंगे और जो आपका यह अभियान है वह सिरे नहीं चढ़ पाएगा। फिर कहीं न कहीं लोग सोचेंगे कि जो आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान चलाया है उसको चलाने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में लोग बड़े चिन्तित हैं। जहां भी लोग जाते हैं, इस बात की चर्चा होती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई तथा ओलावृष्टि पर अब तक कुछ नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून पर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है।

[श्री अभय सिंह चौटाला]

हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को लेकर भी बड़ें चिन्तित हैं कि क्या कल गेहूँ की खरीद ठीक ढंग से हो पायेगी? जिस प्रकार से गेहूँ की खरीद के लिए शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट से लगता है कि एफ.सी.आई. हरियाणा में गेहूँ नहीं खरीदेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं खरीदेगी तो फिर इस बात को लेकर जनता के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को लेकर केन्द्र सरकार को मनाने का काम किया था कि एफ.सी.आई. हमारे राज्य में गेहूँ खरीदें और इस प्रकार आज वही एफ.सी.आई. पंजाब में फिर से गेहूँ की खरीददारी करेगी। इसी प्रकार से हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि गेहूँ की खरीददारी में किसी प्रकार की रुकावट न आये। किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए क्योंकि किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं की बहुत मार खा चुका है। इस इश्यू पर और ज्यादा मार न पड़े, इसके लिए सरकार को कोई न कोई कदम जरुर उठाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के किसानों को यह लगे कि प्रदेश सरकार हमारे हितों के लिए कुछ न कुछ काम कर रही है। सरकार से अगर गेहूँ की खरीद नहीं हो पायेगी तो व्यापारी वर्ग अपनी मनमर्जी से आधे अधूरे दामों पर किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर करेंगे क्योंकि किसान अपनी पकी हुई फसलों को अपने घरों में तो रख नहीं सकता है, उसको पिछला कर्जा उतारने के लिए अपनी फसल को मजबूरी में मण्डी में बेचना ही पड़ेगा जिससे किसान का व्यापारी वर्ग पर विश्वास कायम रहे, आगे की फसल के लिये उसे उधार मिलता रहे और उसका नुकसान भी न हो।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली को लेकर काफी लम्बे चौड़े वायदे किये गये हैं। पिछले सत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बाकायदा बिजली के इश्यू पर सबको आश्वस्त किया था कि बिजली ज्यादा मात्रा में देंगे। हमें भी लग रहा था कि हुड्डा साहब ने 5 हजार मैगावाट के कारखाने तो लगा दिये हैं लेकिन इनको चालू करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल अपनी पूरी ताकत लगायेंगे, जिससे प्रदेश के लोगों को बिजली मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे अखबार में एक स्टेटमैंट पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि जो गांव बिजली का अपना पूरा बिल

भरेगा तो उस गांव को 24 घण्टें बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं किसी भी गांव में जाने की जरुरत नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक भी गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ बिजली का बिल बकाया हो। आपको एक बात की और हैरानी होगी की पीछे जहां दो बल्ब जलते थे, वहां दो सौ रुपये का बिजली का बिल आता था, आज वही बिल 3 हजार रुपये से ऊपर आता है। बिजली विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लोगों को डराया और धमकाया जाता है कि बिजली के बिल नहीं भरोगे तो आपके बिजली के कनैक्शन काट दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिजली महकमे के एक्सईएन को इस बात से अवगत करवाया था कि पहले लोग जितना बिल भरते थे, उसी के हिसाब से बिजली के बिल ले लें। यदि सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिये हैं तो उस के मुताबिक बिजली का बिल दें। तीन हजार रुपये ज्यादा मांग रहे हो यह गलत बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करुँगा कि आप बाकायदा इसकी जांच करवाईये जो आपने लोगों को अखबारों के माध्यम से मैसेज दिया कि 24 घण्टे बिजली देंगे। अगर आप 24 घण्टे बिजली नहीं दे पाये तो कम से कम ट्यूबवैल्ज के लिए तो 12 से 14 घण्टे बिजली दे दीजिए और डौमैस्टिक के लिए कम से कम 18 घण्टे बिजली देनी चाहिए। आज सबसे मुश्किल यह है कि ट्यूबवैल्ज की बिजली रात को 12 बजे आती है और सुबह पांच बजे चली जाती है। इसलिए रात को आदमी सो नहीं पाता और फिर दिन में काम नहीं कर पाता। आपको ऐसा काम करना चाहिए ताकि किसानों को अपना काम करने में कोई दिक्कत न आये और वे अपना काम ठीक ढंग से कर सकें। इसी प्रकार से पिछले दिनों सरकार की तरफ से दो श्वेत पत्र जारी किये गये। इन श्वेत पत्रों में पिछली सरकार के समय में जमीन छोड़ने और जमीन अधिग्रहण के बारे में चर्चा की गई है। सुबह जब वित्त मंत्री जी भूमि अधिग्रहण के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने उस समय भी उनको यह कहा था कि आपको इस बारे में कहीं न कहीं गुमराह किया गया है। कांग्रेस सरकार के समय में कितनी जमीन रिलीज की गई थी। उस समय में वह जमीन रिलीज की गई थी जिसके सैक्शन 4,6 और 9 के नोटिस हो चुके थे और उसके बाद उसकी पेमेंट भी हो गई थी। सरकार ने उस जमीन को टेक ओवर कर लिया और उसके बाद अपने चहेते लोगों को वह जमीन दे दी। पिछली सरकार के कृषि मंत्री जी की जो जमीन थी उसको सारे पैसे देने के बाद सरकार ने केवल और केवल उस जमीन से कैसे लाभ मिल सके इसलिए सारे कायदे कानूनों की अनदेखी करके उस जमीन को रिलीज कर दिया। ऐसी कई जमीनें रिलीज हुई हैं उन जमीनों के बारे में हमने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है। आप इस बारे में अच्छी तरह से इन्क्वायरी करवायें जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि जिन लोगों ने ऐसी गलती की है उनको सजा मिले। आपने जो श्वेत पत्र जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि 16003 एकड़ जमीन उस समय की सरकार ने रिलीज की है वह सरकार के सारे कायदे कानूनों को तोड़कर रिलीज की है। ऐसी जमीन बाद में यह कह कर रिलीज कर दी कि यह जमीन कृषि योग्य है इसलिए रिलीज की गई है लेकिन बाद में उस जमीन को मल्टी कैम्पलैक्स बनाने के लिए, कालोनियां काटने के लिए और बिना लाईसैंस लिए उस जमीन पर बिल्डिंगज खड़ी करने के लिए रिलीज किया गया। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ 100 फीसदी कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक हमने जो चार्जशीट दी थी उसकी बात है तो पिछले सत्र में मैंने सदन में एक-एक बात कही थी

[श्री अभय सिंह चौटाला]

कि कहाँ-कहाँ और किस-किस एरिया में पिछली सरकार के समय किस प्रकार से पहले जमीनों के नोटिस दे कर एक्वायर किया गया और फिर पैसे लेकर जमीनों को रिलीज किया गया। मैं ऐसे सभी आदमियों के नाम भी इस सदन में बताना चाहूँगा ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस बारे में मैं सदन के नेता से एक आश्वासन चाहूंगा। पिछली दफा जब सत्र था उस समय मैंने सरकार से एक रिक्वेस्ट की थी कि हमने जो चार्जशीट राज्यपाल महोदय को दी है आप उस पर कार्रवाई कीजिए। उस पर सदन के नेता ने खड़े हो कर यह कहा था कि हमने जो चार्जशीट दी है मैं उस पर अवश्य कार्रवाई करूँगा लेकिन अगर आप एक एडीशनल चार्जशीट भी दे देंगे तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। उस चार्जशीट में कई लोगों के नाम हैं जो यहाँ पर बैठे हुये हैं। अगर मैं उनके नाम लूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उस चार्जशीट पर कार्रवाई कर लें। अगर आपको एडीशनल चार्जशीट चाहिए तो मैं वह भी दे सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे आदमी बैठे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। सारे कानून कायदे तोड़कर अपने लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया है। आपके पास इस बारे में सारी इन्फर्मेशन हैं और उन लोगों के नाम भी उसमें शामिल हैं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। क्या माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य का नाम ही नहीं लिया तो फिर इनको किस बात की तकलीफ हो रही है।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, Governor's Address is the visionary document of the Government. जब गर्वनर एड्रेस पर सदन में चर्चा चल रही है तो माननीय सदस्य को उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सदन को कहां ले जा रहे हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते समय कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले पर बोल सकते हैं तो मैं भ्रष्टाचार के मामले पर ही बोल रहा हूं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आप इस बारे में रूलिंग दे दें कि यह बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शामिल हो सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा हो सकती है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चौटाला साहब की तरफ से अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने जिस भूमि सुधार का जिक्र हमारी चार्जशीट में किया है उसमें आई.एम.टी. मानेसार, सोनीपत, अम्बाला के भूमि घोटाले का जिक्र

है। इसी प्रकार से जो रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को जमीन दी गई थी उसके बारे में पूरा विस्तार से हमने अपनी चार्ज शीट में जिक्र किया है। इसके साथ साथ गुड़गांव में एम्यूजमैंट पार्क, सैक्टर 29 वजीराबाद गुड़गांव में और 350 एकड़ जमीन डी.एल.एफ. को दी गई थी उसकी पूरी डिटेल हमने अपनी चार्जशीट में दी है। इसी प्रकार से स्काई हाईलाईट्स उलावास, गुड़गांव में और रोहतक में जमीन दी गई, इसके अलावा कुरूक्षेत्र और पंचकुला में जमीन दी गई उनके बारे में जिक्र किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Karan Singh Dalal : I am helping Shri Abhay Singh Chautala.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कर्ण सिंह दलाल जी का नाम लिया ही नहीं हैं फिर वे क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं।

Shri Karan Singh Dalal : Sir, I am standing on a point of order. मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्क्वायरी के मामले में एक बात और जोड़ दी जाये वह यह कि मेदांता होस्पीटल को अरबों रुपये की बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव में इन्होंने अपनी सरकार के दौरान डॉ0 त्रेहान को दी थी जिसमें इनका आज भी अपना हिस्सा है। माननीय सदस्य श्री अभय सिंह यादव जी कह रहे थे कि गरीब आदमी नारनौल से गुड़गाँव ईलाज के लिए नहीं आ सकता। इस अस्पताल की कमाई का करोड़ों रुपये का हिस्सा आज भी इनके पास आता है, उसके बारे में भी ये कहें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में दिल्ली के साथ लगते न केवल मेदांता होस्पीटल बल्कि सभी अस्पतालों के लिए जिनमें हर तरह की सुविधा हो, सरकार की एक ऐसी पॉलिसी बनी थी। (शोर एवं व्यवधान) उस समय जब वहां पर जमीन दी गई थी तो ये साथी विपक्ष की बैंच पर बैठते थे। (विघ्न) उस समय किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया था। उसके बाद 10 साल तक इनकी सरकार भी हरियाणा में रही, अगर हमने मेदांता होस्पीटल को जमीन दे दी थी और उसमें हमने अपना हिस्सा रखा था तो उस समय क्या ये सोये हुए थे, उस वक्त इनको इस मामले की इन्क्वायरी करवानी चाहिए थी। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : ईलाज भी हो रहा है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त इनके समधी खुद मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब इस बात पर इनको तकलीफ हो रही है कि इनकी असलियत सामने आ रही है, सारी बातें सामने आ रही हैं इसलिए इनका तो केवल एक मकसद है कि कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर इंट्रप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम रास्ते से भटककर इनसे उलझ जायें। (विघ्न) लेकिन तुम्हारे साथ उलझने का हमारा काम नहीं है। हम तो इनकी सरकार में हुए गलत कारनामों को उजागर करेंगे। (विघ्न) करण सिंह दलाल तो रोज रात को सब को मारकर सोते होंगे। लेकिन हम तो इनकी छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार बैठे हैं । (विघ्न) इनकी तसल्ली मैं ही करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं आपके माध्यम

[श्री अभय सिंह चौटाला]

से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बातें कहीं हैं तथा सरकार ने जो तथ्य सच्चाई से दूर रखे हैं उनकी सच्चाई सामने लाई जाये। इनकी दुबारा नये सिरे से इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली दफा भी आश्वास्त किया था, सदन में अपना जवाब देते समय स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वे किन मुद्दों पर इन्क्वायरी करवायेंगे और किन मुद्दों पर नहीं करवायेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक कल दिनाँक 11 मार्च, 2015, प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.13 बजे (तत्पश्चात् सदन की बैठक की कार्यवाही दिनाँक 11 मार्च, 2015, प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

****

53458—HV.S.—H.G.P., Chd.